भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-03
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता

***3. श्री अर्जुन रायः**
श्री अनंत कुमार हेगड़ेः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय/राज्य/निजी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और वर्ष 2013–14 के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार कितने प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितने प्राप्त किए गए तथा पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013–14 की प्रथम छमाही के दौरान कोयले और गैस से कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया गया तथा विद्युत उत्पादन की मात्रा में कमी, यदि कोई हो, के कारण क्या हैं;

(ग) देश में पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि की गई और सरकार द्वारा देश में विशेषकर दक्षिणी राज्यों में विद्युत उत्पादन क्षमता संवर्धन तथा विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या भावी योजनाएं बनाई गई हैं;

(घ) सरकार द्वारा झारखंड सहित देश में विद्युत अवसंरचना में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा वर्ष 2013–14 के दौरान देश में कितनी विद्युत परियोजनाएं चालू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार के पास विद्युत परियोजनाओं की स्थापना संबंधी विभिन्न राज्यों से प्राप्त लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क)से(ङ):विवरणसभापटलपररखदियागयाहै।

*****

विवरण

विद्युत उत्पादन क्षमता के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 03 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) : 31 अक्टूबर, 2013 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2013-14 के लिए केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता नीचे दिए गए अनुसार हैः-

क्षेत्र	**संस्थापित विद्युत उत्पादक क्षमता (मेगावाट)**
राज्य	90,062
निजी	72,927
केंद्रीय	66,263
कुल	2,29,252

2013-14 (अप्रैल-अक्टूबर, 2013) के दौरान विभिन्न परंपरागत स्रोतों से उत्पादित कुल विद्युत 561.593 बिलियन यूनिट थी। विद्युत उत्पादन के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्रोत-वार प्रतिशत का ब्यौरा **अनुबंध-I**में दिया गया है।

(ख) : विभिन्न परंपरागत ऊर्जा स्रोतों अर्थात ताप, जल, न्यूक्लीयर से वर्ष 2012-13 के दौरान और अक्टूबर, 2013 तक वर्ष 2013-14 के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन के वास्ते निर्धारित एवं प्राप्त लक्ष्य और भूटान से जल विद्युत के आयात का विवरण नीचे दिया गया हैः-

स्रोत	**बिलियन यूनिट में**			
	2012-13		2013-14 (अक्टूबर, 2013 तक)	
	लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
ताप	7,67.275	760.676	456.434	443.648
जल	1,22.045	113.720	84.527	93.851
न्यूक्लीयर	35.200	32.866	19.727	19.107
भूटान से आयात	5.480	4.795	3.863	4.987
कुल	**930.000**	**912.057**	**564.551**	**561.593**

2013-14 (अप्रैल से सितम्बर, 2013) की प्रथम छमाही के दौरान,पिछले वर्ष 2012-13 की इसी अवधि अर्थात अप्रैल से सितम्बर, 2012के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में, कोयला और गैस से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

स्रोत	**बिलियन यूनिट में**	
	2012-13 (अप्रैल से सितम्बर,, 2012)	2013-14 (अप्रैल से सितम्बर, 2013)
कोयला	310.83	339.79
गैस	37.83	22.82

कोयला आधारित संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। गैस आधारित संयंत्रों से उत्पादन में कमी, केजी डी-6 बेसिन से गैस की कम आपूर्ति के कारण आई है।

(ग) : वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में देश में जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता नीचे दी गई है:-

(मेगावाट में)

क्षेत्र	**ताप**	**जल**	**कुल**
केंद्रीय	5,023.3	374	5,397.3
राज्य	3,911.0	57	3,968.0
निजी	11,187.5	70	11,257.5
कुल	20121.8	501	20,622.8

योजना आयोग ने देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 12वीं योजना अवधि हेतु 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्षेत्र	**जल**	**ताप**				**न्यूक्लीयर**	**कुल**
		कोयला	**लिग्नाइट**	**गैस**	**कुल**		
केंद्रीय	6,004	13,800	250	827.6	14,878	5,300	26,182
राज्य	1,608	12,210	0	1,712.0	13,922	0	15,530
निजी	3,285	43,270	270	0.0	43,540	0	46,825
अखिल भारतीय	10,897	69,280	520	2,539.6	72,340	5,300	88,537

12वीं योजना अवधि के लिए निर्धारित 88,537 मेगावाट के उपर्युक्त लक्ष्य में से दक्षिणी राज्यों में क्षमता अभिवृद्धि हेतु 16,140 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) : झारखण्ड सहित देश में विद्युत अवसंरचना को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:-

(i) पैमाने की किफायत का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक की क्षमता 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।
(ii) उच्चईंधन दक्ष सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का विकास।
(iii) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू विनिर्माण क्षमता की वृद्धि।
(iv) पुरानी और दक्षतारहित उत्पादन यूनिटों का नवींकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन-विस्तार।
(v) अन्तर राज्यीय और अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार।
(vi) उप-पारेषण एवं वितरण क्षमता का सुदृढ़ीकरण।
(vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन उपायों का संवर्धन करना ।
(viii) 12वीं योजना के दौरान झारखण्ड में क्षमता अभिवृद्धि हेतु 2080 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान देश में शुरू की जाने वाली विद्युत परियोजनाएं **अनुबंध-II**में दी गई है।

(ङ):ब्यौरा **अनुबंध-III**में दिया गया है।

*****

अनुबंध.-I

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 03 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

2013-14 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों के अन्तर्गत वास्तविक उत्पादन का राज्य-वार प्रतिशत (अक्टूबर, 2013 तक)

क्षेत्र/राज्य	थर्मल										हाइड्रो		न्यूक्लीयर	
	कोयला		लिग्नाइट		प्राकृतिक गैस		नेप्था		डीजल					
	उत्पादन (एमयू)	कुल कोयला उत्पादन का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू)	कुल लिग्नाइट उत्पादन का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू)	कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू)	कुल नेप्था उत्पादन का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू)	कुल कोयडीजला उत्पादन का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू)	कुल हाइड्रो उत्पादन का प्रतिशत	उत्पादन (एमयू)	कुल न्यूक्लीयर उत्पादन का प्रतिशत
उत्तरी														
बीबीएमबी		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	8,332.0	8.4		0.0
दिल्ली	2,956.2	0.7		0.0	2,698.7	10.5		0.0		0.0		0.0		0.0
हरियाणा	14,759.5	3.7		0.0	1,066.4	4.2		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
हिमाचल प्रदेश		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	18,280.9	18.5		0.0
जम्मू एवं कश्मीर		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	9,306.0	9.4		0.0
पंजाब	10,078.3	2.5		0.0		0.0		0.0		0.0	2,548.7	2.6		0.0
राजस्थान	12,752.0	3.2	4,086.7	21.7	2,027.2	7.9		0.0		0.0	468.6	0.5	5,149.4	27.0
उत्तर प्रदेश	59,148.3	14.9		0.0	3,170.4	12.4		0.0		0.0	783.0	0.8	1,487.2	7.8
उत्तराखण्ड		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	8,212.6	8.3		0.0
कुल उत्तरी	**99,694.3**	**25.1**	**4,086.7**	**21.7**	**8,962.7**	**34.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**47,931.9**	**48.5**	**6,636.6**	**34.7**
पश्चिमी														
छत्तीसगढ़	38,072.2	9.6		0.0		0.0		0.0		0.0	219.4	0.2		0.0
गोवा		0.0		0.0		0.0	149.7	28.6		0.0		0.0		0.0
गुजरात	41,952.0	10.6	2,978.1	15.8	3,834.9	14.9		0.0		0.0	5,151.9	5.2	2,172.4	11.4
मध्य प्रदेश	26,415.4	6.6		0.0		0.0		0.0		0.0	5,901.0	6.0		0.0
महाराष्ट्र	39,756.4	10.0		0.0	4,296.0	16.7		0.0		0.0	3,372.3	3.4	5,275.8	27.6
कुल पश्चिमी	**1,46,196.1**	**36.8**	**2,978.1**	**15.8**	**8,130.8**	**31.7**	**149.7**	**28.6**	**0.0**	**0.0**	**14,644.5**	**14.8**	**7,448.2**	**39.0**
दक्षिणी														
आंध्र प्रदेश	40,444.0	10.2		0.0	3,074.3	12.0		0.0	0.0	0.0	5,000.0	5.1		0.0
कर्नाटक	16,073.8	4.0		0.0	0.0	0.0		0.0	24.4	2.5	6,548.2	6.6	4,036.0	21.1
केरल		0.0		0.0		0.0	372.7	71.2	153.4	15.7	4,794.0	4.9		0.0
पुडुचेरी		0.0		0.0	153.5	0.6		0.0		0.0		0.0		0.0
तमिलनाडु	15,323.9	3.9	11,776.0	62.5	2,525.5	9.8	0.7	0.1	694.0	71.3	3,125.7	3.2	986.3	5.2
कुल दक्षिणी	**71,841.7**	**18.1**	**11,776.0**	**62.5**	**5,753.2**	**22.4**	**373.4**	**71.4**	**871.8**	**89.5**	**19,467.9**	**19.7**	**5,022.3**	**26.3**

पूर्वी														
अंडमान निकोबार		0.0		0.0		0.0		0.0	102.2	10.5	0.0	0.0		0.0
बिहार	8,003.5	2.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
डीवीसी	16,715.2	4.2		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	168.5	0.2		0.0
झारखंड	7,959.5	2.0		0.0		0.0		0.0		0.0	74.0	0.1		0.0
ओडिशा	20,870.8	5.2		0.0		0.0		0.0		0.0	5,110.6	5.2		0.0
सिक्किम		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	2,517.9	2.5		0.0
पश्चिम बंगाल	26,363.0	6.6		0.0		0.0		0.0		0.0	807.4	0.8		0.0
कुल पूर्वी	**79,912.0**	**20.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**102.2**	**10.5**	**8,678.5**	**8.8**	**0.0**	**0.0**
पूर्वोत्तर														
अरुणाचल प्रदेश		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	790.0	0.8		0.0
असम		0.0		0.0	1,794.9	7.0		0.0		0.0	914.6	0.9		0.0
मणिपुर		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	422.2	0.4		0.0
मेघालय		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	785.6	0.8		0.0
मिजोरम		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
नागालैंड	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	215.3	0.2		0.0
त्रिपुरा		0.0		0.0	1,024.9	4.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
कुल पूर्वोत्तर	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2,819.8**	**11.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**3,127.8**	**3.2**	**0.0**	**0.0**
भूटान (आयात)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	4,986.8	5.0		0.0
कुल	**3,97,644.1**	**100.0**	**18,840.8**	**100.0**	**25,666.6**	**100.0**	**523.1**	**100.0**	**974.0**	**100.0**	**98,837.5**	**100.0**	**19,107.1**	**100.0**

अनुबंध.-II

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 03 के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र	ईंधन
केन्द्रीय					
1	बाढ़ ॥यू-4	बिहार	660	केन्द्रीय	कोल
2	तूतीकोरिन टीपीपी-1	तमिलनाडु	500	केन्द्रीय	कोल
3	वेल्लूर (ऐन्नोर) टीपीपीयू-3	तमिलनाडु	500	केन्द्रीय	कोल
4	रिहंदटीपीपी-IIIयू-6	उत्तर-प्रदेश	500	केन्द्रीय	कोल
5	रघुनाथपुरटीपीपी यू-1	पश्चिम बंगाल	600	केन्द्रीय	कोल
6	त्रिपुरा सीसीजीटी - ब्लॉक2	त्रिपुरा	363.3	केन्द्रीय	गैस
7	तीस्ता एलडी -IIIयू-4	पश्चिम बंगाल	33	केन्द्रीय	हाइड्रो
8	पर्वती-IIIयू-1,2,3	हिमाचल प्रदेश	390	केन्द्रीय	हाइड्रो
9	निम्मो बाजगो यू-1,2,3	जम्मू एवं कश्मीर	45	केन्द्रीय	हाइड्रो
10	उरी-II	जम्मू एवं कश्मीर	240	केन्द्रीय	हाइड्रो
11	रामपुर यू-1,2,3	हिमाचल प्रदेश	206	केन्द्रीय	हाइड्रो
12	कुडाकुलम यू 1,2	तमिलनाडु	2000	केन्द्रीय	न्यूक्लियर
	उप-जोड़ (केन्द्रीय)		**6,037.3**		
राज्य					
13	मारवाटीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	500	राज्य	कोल
14	सतपुराटीपीपी ईएक्सटी यू -11	मध्य-प्रदेश	250	राज्य	कोल
15	श्री सिंगाजी टीपीपी यू-1	मध्य-प्रदेश	600	राज्य	कोल
16	चंद्रपुरटीपीपीईएक्सटी यू 8	महाराष्ट्र	500	राज्य	कोल
17	कालीसिंधटीपीपी यू 1	राजस्थान	600	राज्य	कोल
18	छब्राटीपीपीईएक्सटी यू -3	राजस्थान	250	राज्य	कोल
19	छब्राटीपीपीईएक्सटी यू -4	राजस्थान	250	राज्य	कोल
20	उत्तरी चेन्नईटीपीपीईएक्सटी यू -1	तमिलनाडु	600	राज्य	कोल
21	प्रगति -III (बवाना) सीसीजीटी जीटी-4	दिल्ली	250	राज्य	गैस
22	प्रगति-III (बवाना) सीसीजीटीएसटी-2	दिल्ली	250	राज्य	गैस
23	पीपावव जेवीसीसीजीटी ब्लॉक-1	गुजरात	351	राज्य	गैस
24	रामगढ़एसटी	राजस्थान	50	राज्य	गैस
25	लोवर जूरियायू-1	आंध्र-प्रदेश	40	राज्य	हाइड्रो
26	भवानी कत्तली बैराज-IIIयू-2	तमिलनाडु	15	राज्य	हाइड्रो
27	भवानी कत्तली बैराज-II	तमिलनाडु	30	राज्य	हाइड्रो
	उप-जोड़ (राज्य)		**4,536**		
निजी					
28	विजागटीपीपी यू-1	आंध्र-प्रदेश	520	निजी	कोल
29	थमिनापट्टनमटीपीपी यू-2	आंध्र-प्रदेश	150	निजी	कोल
30	टमनारटीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	600	निजी	कोल
31	स्वास्तिक कोरबाटीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	25	निजी	कोल
32	अकलतारा (नरियारा) टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	600	निजी	कोल
33	वन्दना विद्युतटीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	135	निजी	कोल

34	डी बी पॉवरटीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	600	निजी	कोल
35	सासनयूएमपीपीयू-3	मध्य-प्रदेश	660	निजी	कोल
36	सासन यूएमपीपीयू-2	मध्य-प्रदेश	660	निजी	कोल
37	इंडिया बुल्स-नासिकटीपीपी पीएच-1-यू-1	महाराष्ट्र	270	निजी	कोल
38	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड टीपीपी यू-1	महाराष्ट्र	300	निजी	कोल
39	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (पी)लिमिटेडटीपीपी यू-2	महाराष्ट्र	300	निजी	कोल
40	ईएमसीओ वरोराटीपीपी यू-2	महाराष्ट्र	300	निजी	कोल
41	टीरोडाटीपीपी यू-3	महाराष्ट्र	660	निजी	कोल
42	देरंगटीपीपी यू-1	ओडिशा	600	निजी	कोल
43	कमलांगाटीपीपी यू-2	ओडिशा	350	निजी	कोल
44	गोंडवाल साहिबटीपीपी यू-1	पंजाब	270	निजी	कोल
45	तवांडी साहिबटीपीपी यू-1	पंजाब	660	निजी	कोल
46	सोरंग एचईपी यू-1,2	हिमाचल प्रदेश	100	निजी	हाइड्रो
47	चुजाछेन एचईपी यू -1,2	सिक्किम	99	निजी	हाइड्रो
	उप-जोड़ (राज्य)		**7,859**		
	(2013-14) के लिए क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य		**18,432.3**		

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 03 के भाग (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

सीईए द्वारा सहमति दिए जाने के लिए जांच के अधीन जलविद्युत स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं.	योजना	राज्य	क्षेत्र	एजेंसी	यूनिटxमेगावाट	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	सेली	हिमाचल प्रदेश	निजी	एसएचपीसीएल	4x100	400
2	दगमारा	बिहार	राज्य	बीएसएचपीसीएल	17x7.65	130
3	दिखू	नागालैंड	निजी	एनएमईएसपीएल	3x62	186
4	कलई-II	अरूणाचल प्रदेश	निजी	कलई पीपीएल	6x200	1200
5	छत्तरू	हिमाचल प्रदेश	निजी	डीएससी	3x42	126
6	डेम्वे अपर	अरूणाचल प्रदेश	निजी	एलयूपीएल	5x206+1x50	1080
7	तगुश्रित	अरूणाचल प्रदेश	निजी	एलटीएएचपीएल	3x24.67	74
8	किरू	जम्मू एवं कश्मीर	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपी	4x165	660
9	नई गण्डरवाल	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य	जेकेपीडीसी	3x31	93
10	जेलम तमक	उत्तराखंड	केन्द्रीय	टीएचडीसीआईएल	3x36	108
11	बोवला नन्द प्रयाग	उत्तराखंड	राज्य	यूजेवीएनएल	4x75	300
12	सच खास	हिमाचल प्रदेश	निजी	एल एवं टी एचएचपीएल	3x86.67+1x7	267
13	न्यूकचरोग चू	अरूणाचल प्रदेश	निजी	एसएनसीपीसीएल	3x32	96
14	किंशी-I	मेघालय	निजी	एकेपीएल	2x135	270
15	लुहरी	हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय	एसजेवीएनएल	3x196	588
16	कीरथाई -I	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य	जेकेपीडीसी	4x95+1x10	390
17	लोवर कोपली	असम	राज्य	एपीजीसीएल	2x55+1x5+2x2.5	120
18	उमन्गोत	मेघालय	राज्य	एमईपीजीसीएल	3x80	240
19	टाटो-I	अरूणाचल प्रदेश	निजी	एसएचआईपीपीएल	3x62	186
20	हियो	अरूणाचल प्रदेश	निजी	एचएचपीपीएल	3x80	240
21	सुबानसिरी मध्य (कमला)	अरूणाचल प्रदेश	निजी	केएचईपीसीएल	8x216+2x36	1800
22	मागोचू	अरूणाचल प्रदेश	निजी	एसएमसीपीसीएल	3x32	96
23	चांगो यंगथांग	हिमाचल प्रदेश	निजी	एमपीसीएल	3x46.67	180
	कुल					**8830**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-20
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

पन–विद्युत का उपयोग

***20. श्री निशिकांत दुबेः**
श्री डी॰बी॰ चन्द्रे गौडाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विद्युत की मांग और आपूर्तिके बीच अन्तर को पन–विद्युत क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग द्वारा कम कियाजा सकता है और यदि हां, तो इस पर सरकार कीक्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या देश में पन–विद्युत परियोजनाओंके निर्माण कार्य में प्राकृतिक और मानवजनितदोनों प्रकार की अनेक बाधाएं सामने आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरइन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वाराक्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु पन–विद्युतपरियोजनाओं की संचालनात्मक समयावधि काविस्तार किया गया है और तद्नुसार उनका दर्जाभी बढ़ाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का परियोजनाऔर राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथासरकार द्वारा पन–विद्युत परियोजनाओं की विद्युतउत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु अन्य क्या कदम उठाएजा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क)से(ङ):विवरणसभापटलपररखदियागयाहै।

*****

विवरण

पन–विद्युत के उपयोगके संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 20 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

*****

(क): जी, नहीं। देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को केवल देश में जल विद्युत क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। इसे अन्य बातों के साथ-साथ जल, ताप, परमाणु, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि सहित सभी स्रोतों से विद्युत उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग से पूरा किया जाना है।

(ख) और (ग): जी हाँ। जल विद्युत परियोजनाओं के समक्ष कार्यान्वयन के दौरान गत्यवरोध आते हैं। इनमें अन्य बातों के साथ कठिन भूवैज्ञानिक परिस्थितियाँ(प्राकृतिक),अनिश्चित मौसम परिस्थितियाँ(प्राकृतिक), स्थानीय क्षेत्रीय विरोध(मानव निर्मित) इत्यादि शामिल हैं।

सरकार ने देश में जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गत्यावरोधों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) द्वारा नियमित स्थल भ्रमण, विकासकर्ताओं के साथ बातचीत, मासिक प्रगति रिपोर्टों के विवेचनात्मक अध्ययन इत्यादि के माध्यम से प्रत्येक परियोजना की निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, सीईए महत्वपूर्ण मुद्दों/गत्यवरोधों के समाधान के लिए विकासकर्ताओं और अन्य पणधारकों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

(ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करने और जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक पावर प्रोजेक्ट मानीटरिंग पैनल(पीपीएमपी) की स्थापना की गई है।

(iii) महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर निर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/परियोजना विकासकर्ताओं इत्यादि के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

(iv) महत्त्वपूर्ण जनशक्ति और उपलब्ध कार्य मौसम में सामग्री के यातायात सहित खराब मौसम और कार्य परिस्थितियों का ध्यान रखने के लिए समुचित परियोजना आयोजना सुनिश्चित की जाती है।

(v) जल विद्युत परियोजना विकास से संबंधित मामलों की जांच करने और उनका समाधान करने के लिए वर्ष 2007 में विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में जल विद्युत विकास संबंधी कार्यबल का गठन किया गया था। इस कार्यबल की अंतिम बैठक दिनांक 10.09.2013 को आयोजित की गई थी।

(vi) जल विद्युत विकास सहित विद्युत क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और विचार-विमर्श करने के लिए जनवरी, 2013 में विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है।

(घ) और (ङ): जी, हाँ। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, देश में संबंधित उत्पादन यूटिलिटियों द्वारा 438 मे.वा. की कुल संस्थापित क्षमता वाली चार जल विद्युत परियोजनाओं में जीवन विस्तार कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिनसे उनके प्रचालनात्मक जीवनकाल में वृद्धि हुई है।

जीवन विस्तार कार्यों के अतिरिक्त, संबंधित उत्पादन यूटिलिटियों द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 2,485 मे.वा. की कुल संस्थापित क्षमता की 6 जल विद्युत परियोजनाओं में नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन(आरएम एंड यू) कार्य पूरे कर लिए गए हैं जिससे उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है।

परियोजना/राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

जहाँ तक अन्य कदमों का संबंध है, सरकार ने देश में जल विद्युत क्षमता और जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बहु-आयामी नीति अपनाई है। सरकार द्वारा किए गए कुछ नीतिगत उपायों और पहलों में निवेशकर्ता-अनुकूल नई जल विद्युत नीति, 2008, उदार राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति, पुरानी जल विद्युत उत्पादन इकाइयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार, निर्धारित समय से पूर्व परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन इत्यादि शामिल हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 20 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

विगत तीन वर्षों के दौरान जल विद्युत स्कीमों के जीवन विस्तार, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अपरेटिंग(आरएम एंड यू) का परियोजना/राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना, एजेंसी	सीएस/एसएस	संस्थापित क्षमता(मे.वा)	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	लाभ(मे.वा)	श्रेणी	वर्ष के दौरान पूरी की गई
				(रू. करोड़ में)				
एचईपी में एलई कार्यों के लिए पूरी की गई स्कीमों की सूची								
महाराष्ट्र								
1.	कोयना स्टे.III एमएसपीजीसीएल	एसएस	4x80	16.65	5.79	320 (एलई)	आरएम एंड एलई	2011-12
मेघालय								
2.	यूमियम स्टे.II, एमईएसईबी	एसएस	2x9	90.46	55.67 (31.03.12 के अनुसार)	2(U)+ 18.00 (एलई)	आरएम एंड एलई	2011-12
ओडिशा								
3.	रेंगाली यूनिट-1 ओएचपीसी	एसएस	1x50	47.50	36.76 (30.06.12 के अनुसार)	50(एलई)	आरएम एंड एलई	2012-13
4.	रेंगाली यूनिट-2 ओएचपीसी	एसएस	1x50	25.2 (लगभग)	20.73	50(एलई)	आर एंड एम	2013-14
	उप योग (क)		438	179.81	118.95	440 [2 (यू)+ 438 (एलई]		
एचईपी में आरएम एंड यू कार्यों के लिए पूरी की गई स्कीमों की सूची								
हिमाचल प्रदेश								
1.	देहार पीएच.ए बीबीएमएस	सीएस	6x165	11.00	6.936	-	आर एंड एम	2010-11
कर्नाटक								
2	लिंग्नामक्की, केपीसीएल	एसएस	2x27.5	3.81	2.62	-	आर एंड एम	2010-11
मणिपुर								
3.	लोकटक, एनएचपीसी	सीएस	3x30 डीरेटेड	18.55	17.88	15.00 (रेस.)	आर एंड एम +रेस.	2011-12
आंध्रप्रदेश								
4.	नागार्जुन सागर, एपीजीईएनसीओ	एसएस	1x110+ 7x100.8	33.35	13.90 (31.03.2012 के अनुसार)	-	आर एंड एम	2012-13
5.	ईदामलायर, केएसईबी	एसएस	2x37.5	14.50	13.22 (31.03.13 के अनुसार)	-	आर एंड एम	2012-13
6.	लोअर सिलेरू, एपीजीईएनसीओ	एसएस	4x115	8.75	6.77 (30.09.13 के अनुसार)	-	आर एंड एम	2013-14
	उप योग (ख)		2485.60	88.96	61.33	15 {15 (रेस)}		
	कुल (क + ख)		2923.60	268.77	180.28	455 {2(यू)+ 438 (एलई)+ 15 रेस .)}		
	सीएस = केंद्रीय क्षेत्र		एसएस = राज्य क्षेत्र		आरएम एंड एलई = नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार			

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2

जिसका उत्तर दिनांक05.12.2013 को दिया जाना है ।

पारेषण और वितरण हानियां

2. श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में सुधार के हिस्से के रूप में राज्यों में विद्युत वितरकों द्वारा उठाई जा रही हानियों को रोकना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह हानि पूरी तरह से पारेषण और वितरण हानियों के कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पारेषण और वितरण हानियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने से विद्युत वितरकों को जो लाभ हो सकता है उसका अनुमान लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)

(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क): जी हाँ, विद्युत क्षेत्र में सुधार के एक भाग के रूप में राज्यों में विद्युत वितरकों द्वारा उठाई जा रही हानियों को रोकना आवश्यक है ।

(ख): विद्युत वितरकों की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में पता लगाने के लिए भारत सरकार ने वाणिज्यिक हानियों के साथ-साथ पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए सुधार संबंधी उपाय शुरू किए हैं। इन सुधारों के उद्देश्यों में एक उद्देश्य विद्युत क्षेत्र के प्लेयरों के बीच प्रतिस्पर्धा लाना है जिससे कि सुधारी गई कुशलताओं को प्राप्त कर हानियों में कटौती करने की अन्तर्निहित योग्यता शामिल है ।

(ग): वितरण कंपनियों की हानियों का कारण केवल पारेषण एवं वितरण हानियां ही नहीं हैं। बल्कि पारेषण और वितरण हानियों के अतिरिक्त वाणिज्यिक हानियां भी कारण हैं । इसलिए भारत सरकार द्वारा समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानि की परिकल्पना शुरू की गई । एटी एंड सी हानि के अंतर्गत नेटवर्क में तकनीकी के साथ-साथ वाणिज्यिक हानियां शामिल हैं और यह सिस्टम में कुल हानियों का एक सत्य संकेतक है । सिस्टम में उच्च तकनीकी हानियों का कारण मुख्य रूप से सिस्टम सुधार कार्यों में वर्षों से किए जाने वाले अपर्याप्त निवेश हैं, जिसके परिणामस्वरूप वितरण लाइनों का अनियोजित विस्तार, ट्रांसफार्मरों और कंडक्टरों जैसे सिस्टम तत्वों की ओवरलोडिंग और पर्याप्त रिएक्टिव विद्युत सहायता की कमी आई है । वाणिज्यिक हानियों के मुख्य कारण निम्न मीटरिंग दक्षता, संग्रहण दक्षता, चोरी एवं छेड़छाड़ हैं ।

(घ) एवं (ङ) : ऐसे कई देश हैं जहाँ हानि का स्तर भारत से बहुत ही कम है । हमारे देश में विद्यमान स्थितियों के लिए 15% का प्राप्य हानि स्तर यथोचित रूप से संभावित है । वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों का निष्पादन "विषय पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर एटी एंड सी हानियां 27% है । हानियों में किसी भी कटौती के होने पर संबंधित यूटिलिटी के लाभ में वृद्धि होगी।

*****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3

जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

गैस का मूल्य पूलिंग

3. श्री आर॰ ध्रुवनारायणः
श्री पोन्नम प्रभाकरः
श्री के॰ सुगुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र के अंदरपुनः गैसीकृत (री–गैसिफाइड) तरलीकृतप्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) के साथ घरेलूगैस की पूलिंग हेतु स्वीकृति मांगने के लिए कैबिनेट टिप्पण प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरइसके लिए पूल ऑपरेटर के रूप में किस एजेंसीको नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार का गैस के प्रस्तावित मूल्यपूलिंग के कारण बढ़े हुए विद्युत प्रशुल्क को कवरकरने के लिए 11,000 रुपए की राजसहायता देनेका भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसके लिए किस तरहराजसहायता जारी की जाएगी?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क)से(ङ): विद्युत मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयी परामर्श के लिए इस विषय पर एक प्रारूप मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत किया है। चूंकि मंत्रिमंडलीय नोट परामर्श के चरण पर है, अतःइसके विवरणों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-8
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

आरजीपीपीएल का बंद किया जाना

8. श्री हंसराज गं॰ अहीरः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नागिरी गैस और पॉवरप्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) पॉवर प्लांटगैस की कमी के कारण बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त विद्युत संयंत्र कोकृष्णा–गोदावरी (के॰जी॰) डी–6 बेसिन से गैसकी आपूर्ति बंद हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त विद्युत संयंत्र कोघरेलू/आयातित गैस की आपूर्ति हेतु क्या कदमउठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क)से(घ) : कृष्णा गोदावरी (केजी) डी-6 बेसिन से विद्युत क्षेत्र को गैस की आपूर्ति 1 मार्च,2013 से पूरी तरह से रोक दी गई थी।

रत्नागिरी गैस एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल)की 8.5 मिलियन मीट्रिक मानक घनमीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी)की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए (ईजीओएम द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को आयोजित अपनी बैठक में) केजी डी-6 क्षेत्र से 7.6 एमएमएससीएमडी तथा ''ओएनजीसी सी सीरीज''से 0.9 एमएमएससीएमडी गैस आवंटित की गई है। आरजीपीपीएल को 15 जुलाई, 2013 से पूरी तरह से असहाय छोड़ दिया गया है।
(ड.): विद्युत मंत्रालय आरजीपीपीएल सहित असहाय छोड़ दिए गए सभी गैस आधारित संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने के लिए आयातित पुनः गैसीकृत, तरलीकृत, प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) के साथ घरेलू गैस की पूलिंग का तंत्र तैयार कर रहा है।

***

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-34
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को रक्षित कोयले की आपूर्ति

34. श्री पोन्नम प्रभाकरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड(एनटीपीसी) अपनी रक्षित कोयला खानों से कोयलेकी आपूर्ति लेने के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) और (ख):

एनटीपीसी झारखण्ड में पाकरी-बरवाडीह कोयला ब्लॉक से कोयला उत्पादन प्रारंभ करने के लिए तैयार है। सभी प्रमुख ठेके अवार्ड किए गए हैं तथा स्थल पर कार्य चालू है। सारी सांविधिक स्वीकृतियां/अनुमतियाँ उपलब्ध हैं।

ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में, अन्य केप्टिव कोयला ब्लॉकों के मामले में, प्रगति लक्ष्यों के अनुसार है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-36
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए
प्रस्ताव

36. श्री शिवकुमार उदासीः
श्री एस.आर. जेयादुराईः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरानकेंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से विद्युतपरियोजनाओं की स्थापना के लिए प्राप्त किए गए प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत किएगए प्रस्तावों और केन्द्र सरकार के पास अनुमोदनके लिए अभी भी लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनीहै;

(ग) उक्त प्रस्तावों के लंबित रहने के क्याकारण हैं; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इन सभी प्रस्तावों कोकब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क): विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार, नई ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) की सहमति आवश्यक नहीं है। तथापि, सीईए को उन जल विद्युत परियोजनाओं को सहमति प्रदान करना अनिवार्य है जिनमें ऐसी राशि, जिसे इस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जा सके, में वृद्धि करते हुए पूँजी व्यय शामिल करने का अनुमान है।

देश के विभिन्न राज्यों में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 25,438 मे.वा. की रिपोर्टें पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अर्थात वर्ष 2010-11 के बाद से सहमति हेतु सीईए को प्राप्त हुई थीं। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** पर हैं।

(ख) और (ग): 54 से अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (25,478 मे.वा.) में से 17 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों(11,208 मे.वा.) को अनुमोदन प्रदान किया गया है; 23 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (8,830 मे.वा.) जाँच के अधीन हैं और 14 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (5,440 मे.वा.) विकासकर्ताओं को वापिस कर दी गई हैं। ब्यौरे क्रमशः**अनुबंध-II, अनुबंध-III** और **अनुबंध-IV** पर हैं। इसके अतिरिक्त, सात परियोजनाओं (2,760

मे.वा.) की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें जो वर्ष 2010-11 से पूर्व प्राप्त हुई थीं, को भी इस वर्ष के दौरान सीईए द्वारा सहमति प्रदान की गई है। ब्यौरे **अनुबंध-V**पर हैं।

(घ) जैसे ही हर प्रकार से परिपूर्ण डीपीआर प्राप्त हो जाती है और जल विद्युत स्कीम के तकनीकी रूप से, आवश्यक इनपुट/स्वीकृति के साथ व्यवहार्य पाए जाने पर प्राधिकरण जल विद्युत योजना के क्रियान्वयन की सहमति प्रदान करने के लिए प्रयास करता है। तथापि, कई मामलों में, डीपीआरएस सभी पहलुओं से पूर्ण नहीं होती और इसमें विभिन्न सूचनाओं का अभाव होता है। सभी पहलुओं से डीपीआर के पूरा हो जाने पर सीईए को 90 दिनों की विहित अवधि के भीतर स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक होता है।

******

दिनांक 05.12.2013 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

IIIIIIIIII

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहमति हेतु सीईए में प्राप्त जल विद्युत स्कीमों की सूची

क्रम सं.	योजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	क्षेत्र	मेगावाट	प्राप्ति की तिथि
	2010-11					
	जे एंड के					
1	बगलीहार द्व रू	जे एंड के	जेकेएसपीडीसी	राज्य	450	05/10
	हिमाचल प्रदेश					
2	शोगटोंग करचम	एच.पी.	एचपीपीसीएल	राज्य	450	01/11
	उत्तराखंड					
3	बुगुदियार सिरकारी भ्योल	उत्तराखंड	जीजीएचपीएल	निजी	146	04/10
4	व्यासी	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	राज्य	120	07/10
5	त्यूनी प्लासू	उत्तराखंड	डीओएल. उत्तराखंड	राज्य	72	08/10
6	नन्द प्रयाग लंगासू	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	राज्य	100	03/11
	अरूणाचल प्रदेश					
7	तवंग स्टे-रु	अरूणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	केन्द्रीय	600	06/10
8	तवंग स्टे-रूरू	अरूणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	केन्द्रीय	800	05/10
9	नेफ्रा	अरूणाचल प्रदेश	एसएनईएल	निजी	120	08/10
10	न्यामजंग छू	अरूणाचल प्रदेश	बीईएल	निजी	780	07/10
11	टाटो-रूरू	अरूणाचल प्रदेश	टीएचपीपीएल	निजी	700	9/10
12	तलोंग लोण्डा	अरूणाचल प्रदेश	जीएमआर	निजी	225	09/10
13	यामने स्टे-रूरू	अरूणाचल प्रदेश	एसएसवाईईवीपीएल	निजी	84	03/11
	उप जोड़				**4647**	
	2011-12					
	जे एंड के					
14	किर्थी-रूरू	जे एंड के	जेकेपीडीसी	राज्य	990	04/11
	हिमाचल प्रदेश					
15	मियार	एच.पी.	एमएचपीसीएल	निजी	120	04/11
16	बारा बंघल	एच.पी.	एमपीसीएल	निजी	200	06/11
17	सेली	एच.पी.	एसएचपीसीएल	निजी	400	12/11
	उत्तराखंड					
18	देवसरी	**उत्तराखंड**	एसजेवीएनएल	केन्द्रीय	252	10/11
	अरूणाचल प्रदेश					
19	हीरोंग	अरूणाचल प्रदेश	जेएपीएल	निजी	500	05/11
20	नयिंग	अरूणाचल प्रदेश	एनडीएसईपीएल	निजी	1000	05/11
21	गोंगरी	अरूणाचल प्रदेश	डीईपीएल	निजी	144	07/11
22	पेमाशेल्फू	अरूणाचल प्रदेश	आरईएचपीएल	निजी	90	07/11
23	कलई-रु	अरूणाचल प्रदेश	केपीपीएल	निजी	1352	01/12
24	इटालिन	अरूणाचल प्रदेश	ईएचईपीसीएल	निजी	3097	02/12
25	हुतोंगद्वरूरू	अरूणाचल प्रदेश	एमएचईआईपीएल	निजी	1200	02/12
	उप - जोड़				**9345**	
	2012-13					
	जे एंड के					
26	रेटल	जे एंड के	जीवीकेएचईपीपीएल	निजी	850	05/12
27	क्वार	जे एंड के	सीवीपीपी	संयुक्त उद्यम	560	07/12
28	किरू	**जे एंड के**	सीवीपीपी	संयुक्त उद्यम	660	08/12
29	न्यू गंडरवाल	**जे एंड के**	जेकेएसपीडी	राज्य	93	10/12

30	किर्थी-ङ	**जे एंड के**	जेकेएसपीडीसी	राज्य	390	01/13
	हिमाचल प्रदेश					
31	छतरू	एच.पी.	डीएससी	निजी	126	04/12
32	सच खास	एच.पी.	एल एंड टी एचएचपीएल	निजी	267	01/13
33	लुहरी	एच.पी.	एसजेवीएनएल	केन्द्रीय	588	03/13
	उत्तराखंड					
34	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	राज्य	300	08/12
35	जेलम तमक	उत्तराखंड	टीएचडीसीआईएल	केन्द्रीय	108	12/12
	कर्नाटक					
36	सिवासामुद्रम	कर्नाटक	केपीसीएल	राज्य	345	04/12
	बिहार					
37	दगामारा	बिहार	बीएसएचपीसीएल	राज्य	130	04/12
	नागालैंड					
38	दीखू	नागालैंड	एनएमईएसपीएल	निजी	186	04/12
	असम					
39	लोअर कोपली	असम	एपीजीसीएल	राज्य	120	03/13
	मेघालय					
40	क्यून्शी	मेघालय	एकेपीएल	निजी	270	02/13
41	उमन्गोट	मेघालय	एमईपीजीसीएल	राज्य	240	03/13
	अरूणाचल प्रदेश					
42	कलई द्वय	अरूणाचल प्रदेश	कलई पीपीएल	निजी	1200	04/12
43	जिमलियांग	अरूणाचल प्रदेश	एसकेआईपीएल	निजी	80	04/2012
44	राईगम	अरूणाचल प्रदेश	एसकेआईपीएल	निजी	141	04/2012
45	दाम्वे अपर	अरूणाचल प्रदेश	यूएचपीएल	निजी	1080	07/12
46	तागुश्रित	अरूणाचल प्रदेश	एलटीएएचपीएल	निजी	74	07/12
47	सिओम	अरूणाचल प्रदेश	एसएचपीपीपीएल	निजी	1000	11/12
48	न्यूकचरोंग चू	अरूणाचल प्रदेश	एसएनसीपीसीएल	निजी	96	01/13
	उप-जोड़				**8904**	
	2013-14					
	हिमाचल प्रदेश					
49	चांगो यांगथांग	एस.पी.	एमपीसीएल	निजी	180	11/13
	अरूणाचल प्रदेश					
50	तातो-I	अरूणाचल प्रदेश	एसएचपीपीएल	निजी	186	05/13
51	कांगतांगसिरी	अरूणाचल प्रदेश	आरईएचपीएल	निजी	80	05/13
52	हियो	अरूणाचल प्रदेश	एचएचपीपीएल	निजी	240	07/13
53	सुबानसिरी मध्य (कमला)	अरूणाचल प्रदेश	केएचईपीसीएल	निजी	1800	10/13
54	मांगचू	अरूणाचल प्रदेश	एसएमसीपीसीएल	निजी	96	10/13
	उप - जोड़				**2582**	
	कुल				**25478**	

IIIIIIIII

दिनांक 05.12.2013 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध-।।

।।।।।।।।।।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहमति हेतु सीईए में प्राप्त जल विद्युत योजनाओं की सूची

क्रम सं.	योजना	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति
	2010-11				
	जे एंड के				
1	बगलीहार xxx	राज्य	जेकेएसपीडीसी	450	29.12.10
	अरूणाचल प्रदेश				
2	नेफ्रा	निजी	एसएनईएल	120	11.02.11
3	न्यामजांग छू	निजी	बीईएल	780	24.03.11
	उप - जोड़			**1350**	
	2011-12				
	उत्तरांखंड				
4	व्यासी	राज्य	यूजेवीएनएल	120	25.10.11
	अरूणाचल प्रदेश				
5	तवंग स्टेज-x	केन्द्रीय	एनएचपीसी	600	10.10.11
6	तवंग स्टेज-xxx	केन्द्रीय	एनएचपीसी	800	22.09.11
	उप - जोड़			**1520**	
	2012-13				
	जे एंड के				
7	रातल	निजी	जीवीकेआर एचईपीपीएल	850	19.12.12
	हिमाचल प्रदेश				
8	शोंगटोंग करचम	राज्य	एचपीपीसीएल	450	16.8.12
9	मियार	निजी	एमएचपीसीएल	120	07.02.13
	उत्तराखंड				
10	देवसारी	केन्द्रीय	एसजेवीएनएल	252	7.8.2012
	अरूणाचल प्रदेश				
11	तातो - ।।	निजी	टीएचपीपीएल	700	22.5.12
12	गोंगरी	निजी	डीईपीएल	144	04.02.13
	उप - जोड़			**2516**	
	2013-14				
	अरूणाचल प्रदेश				
13	हीरोंग	निजी	जेएपीएल	500	10.04.13
14	इटालिन	निजी	ईएचईपीसीएल	3097	12.07.13
15	तलोंग लोंडा	निजी	जीएमआर	225	16.08.13
16	नेइंग	निजी	एनडीएससीपीएल	1000	11.09.13
17	सियान	निजी	एसएचपीपीपीएले	1000	08.10.13।
	उप - जोड़			**5822**	
	कुल			**11208**	

। सहमति बैठक आयोजित की गई । सहमति पत्र जारी किया जाना है ।

।।।।।।।।।।

दिनांक 05.12.2013 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

IIIIIIIIII

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहमति हेतु सीईए में प्राप्त जल विद्युत स्कीमों की सूची

क्रम सं.	स्कीम/राज्य	प्राप्ति का महीना	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
	जम्मू एवं कश्मीर			
1	किरू	08/2012	660	डीपीआर दिनांक 8/2012 में प्राप्त हुई इसके प्रस्तुतिकरण की बैठक 15/10/12 को आयोजित हुई तथा डीपीआर जांचाधीन है । डीपीआर की हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, विद्युत - निकासी डिजाइन फ्लड, अर्न्तराज्य, जीएसआई एवं पॉडेज/जलाशय संबंधी पहलुओं की स्वीकृति मिल चुकी है ।
2	नया गंदरवाल	10/2012	93	दिनांक 27/11/2012 को प्रस्तुतिकरण बैठक हुई । डीपीआर की जांच चल रही है तथा हाइड्रोलॉजी, पीपीएस इंडस पानी उपचार, इलैक्ट्रीकल डिजाइन तथा परियोजना के परिव्यय की दृष्टि से, सीएमडीडी जीएसआई, सीएसएमआरएस की स्वीकृति मिल चुकी है।
3	किरथई-x	01/13	390	दिनांक 02.05.2013 को आयोजित प्रस्तुतिकरण बैठक में विस्तृत जांच के लिए डीपीआर को स्वीकृत कर दिया गया है तथा हाइड्रोलॉजी एवं पीपीएस पहलुओं से स्वीकृति हो चुकी है ।
	हिमाचल प्रदेश			
4	सेली	दिसं-11	400	दिनांक 13/01/2012 को प्रस्ततिकरण हुआ । डीपीआर को जांच के लिए ले लिया गया है । हाइड्रोलॉजी, पीपीएस ई एण्ड एम डिजाइन, सीएसडीडी इन्स्टूमेंटेशन, एफई एवं एसए विद्युत-निकासी, सीएसएसआरएस, अन्तर्राष्ट्रीय एवं जीएसआई की स्वीकृति हो चुकी है एवं लागत, विद्युत-निर्माण, लिखित लागत एवं ग्रेट-डिजाइन के पहलुओं पर टिप्पणियों के जवाब की प्रतिक्षा है ।
5	चतरू	04/2012	126	डीपीआर 10.04.2012 को प्राप्त हुई । प्रस्तुति बैठक 1.07.2012 को आयोजित हुई । हाइड्रोलॉजी, पीपीएस विद्युत-निकासी, इलेक्ट्रीकल डिजाइन एवं परियोजना परिव्यय इंस्ट्रूमेंटेशन, अन्तर्राज्यीय, बीसीडी, एफई एंड एसए तथा जीएसआई की स्वीकृति हो चुकी है ।
6	सच खास	01/13	267	प्रस्तुतिकरण बैठक 21.02.2013 को आयोजित हुई तथा डीपीआर को विस्तृत जांच के लिए ले लिया गया है। हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, विद्युत-निर्माण एवं विद्युत निकासी एवं जीएसआई की स्वीकृति हो गई है । सीएसएमआरएस, सिविल-लागत, गेट-डिजाइन, कानूनी पहलु तथा गोल्फ पहलुओं पर टिप्पणियों के परियोजना - प्राधिकारियों को भेज दिया है । सीएमसी एवं एमओडब्ल्यूआर पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है । एचसीडी-सीएमडीडी, एफई एंड सीए अन्तर्राज्यीय इस्ट्रूमेंटेशन, टीसीडी, एफ एंड सीए, ईएंडएम डिजाइन पहल, ई एंड एम लागत पर टिप्पणियों के जबाव प्राप्त हो गए हैं जिनकी जांच की जा रही है ।

7	लुहरी	03/2013	588	588 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ संशोधित डीपीआर एसजेवीएनएल द्वारा दिनांक 15/3/2013 को प्रस्तुत की गई है, जिसकी जांच की जा रही है । हाइड्रालॉजी, पीपीएस, अन्तर्राज्य, सीएमडीडी, गेट्स एफ ई एंड एसए तथा इस्टूमेंटेशन की स्वीकृति हो गई है ।
8	चांगो यंगथाग	11/2013	180	डीपीआर को 11/2013 में जांच के लिए स्वीकार कर लिया गया है ।
	उत्तराखंड			
9	जेलम तमक	12/2012	108	दिनांक 06.12.2012 को डीपीआर प्राप्त हुई तथा इसकी जांच की जा रही है । हाइड्रालॉजी, पीपीएस, जीएसआई एफई एंड एसए, संयत्र योजना, ई एंड, के डिजाइन, विद्युत-निर्माण, आईएसएम, अन्तर्राष्ट्रीय, इस्टूमेंटेशन, और विद्युत-निकासी पहलुओं पर स्वीकृति हो गई है । अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है ।
10	बोवला नंद प्रयाग	08/12	300	दिनांक 05.09.2008को हाइड्रोलॉजी, 08.06.2010 को पीपीएस का अनुमोदन हुआ । अन्तर्राज्यीय एफई एंड एसए, विद्युत-निकास, विद्युत-निर्माण, अन्तर्राष्ट्रीय इस्टुमेंटेशन एवं गेट्स/एचएम पहलुओं पर स्वीकृति हो गई है । अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है ।
	बिहार			
11	दगमारा	04/12	130	20.03.2013 को सहमति -बैठक आयोजित की गई । अध्यक्ष, सीईए से चर्चा के बाद यह निष्कर्ष् निकाला गया कि परियोजना लागत एवं दरों में अधिकता के कारण प्राधिकरण द्वारा दगमारा जल विद्युत परियोजना की सहमति को स्वीकार नहीं किया जा सका है । बैठक में उठाए गए मुद्दें, केन्द्रीय जल आयोग एवं बिहार सरकार के प्रक्रियाधीन है । सहमति बैठक में सीएसएमआरएस द्वारा उठाए गए परिक्षणों को किया जा रहा है । आगे शेष परीक्षणों के संबंध में जीएसआई की टिप्पणियों को 29.08.2013 को विकासकर्ताओं को भेज दिया गया है । जवाब की प्रतीक्षा है ।
	नागालैंड			
12	दिखू	04/12	186	सीएसएमआरएस सिविल प्रमात्राओं एवं सिविल कार्यों की लागत को छोड़कर सभी पहलुओं पर स्वीकृति हो गई है ।
	मेघालय			
13	उनगोट	03/2013	240	प्रस्तुति बैठक 14/06/2013 को आयोजित हुई तथा 30/09/2013 को हाइड्रोलॉजी पहलुओं की स्वीकृति हो गई है । जीएसआई, सीएसएमआरएस, इस्टुमेंटेशन, गेट्स, ई एंड एमआर कार्यों की लागत, सीएमडीडी, ई एंड एम कार्यों की लागत, सीएमडीडी, ई एंड एम डिजाइनों पर टिप्पणियों को भेज दिया गया है सीएसएमआरएस संबंधी जीएसआई पहलुओं के संबंध में जवाब प्राप्त हो गए है, तथा अन्य की प्रतीक्षा है ।
14	क्यून्शी-ङ	02/2013	270	22/2/2013 को डीपीआर प्राप्त हुई । 13/8/2013 को आरओआर के भंडारण से कन्वर्सन पर एसटीसी द्वारा परियोजना स्वीकृति हो गई है । हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, जीएसआई एवं विद्युत निकास के पहलुओं पर स्वीकृति हो गई है । अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है ।

	असम			
15	लोअर कोपली	03/2013	120	मार्च, 2013 में एपीजीसीएल द्वारा प्रस्तुत की गई । हाइड्रोलॉजी पहलुओं की स्वीकृति हो गई है । पीपीएस एवं ई एंड एम की लागत पर टिप्पणियां सितंबर, 2013 में विकासकर्ता को भेज दी गई है । सीएमडीडी पहलुओ पर टिप्पणियां अक्टूबर, 2013 में भेज दी गई है ।
	अरूणाचल प्रदेश			
16	कलई द्वब्ब	04/2012	1200	10/4/2012 को डीपीआर प्राप्त हुई । डीपीआर जांच की अग्रिम चरण में है ।
17	डम्वे अपर	07/2012	1080	23/7/2012 को संशोधित डीपीआर प्राप्त हुई । आरओआर स्कीम से स्टोरेज स्कीम के कन्वर्जन पर एसटीसी पर दिनांक 29/11/2012 को हुई इसकी बैठक में परियोजना की स्वीकृति दे दी गई है । डीपीआर, हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, सीएसएमआरएस, एफई एंड एसए, गेट्स, अन्तर्राज्य इंस्टुमेंटेशन एवं विद्युत निकासी पहलुओं से स्वीकृति कर दी गई है । अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है ।
18	तगुरशिट	07/2012	74	हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, अन्तर्राज्यीय, सीएमडीडी, एचसीडी, इंस्टुमेंटेशन, गेट्स, विद्युत निकासी एवं ई एंड एम डिजाइन पहलुओं पर स्वीकृति मिल चुकी है । अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है ।
19	न्यूकचारोंग चू	01/2013	96	जनवरी, 2013 में डीपीआर प्राप्त हुई । 14/3/2013 को प्रस्तुतिकरण आयोजित हुआ । हाइड्रोलॉजी, पीपीएस, अन्तर-राज्य एवं कानूनी विद्युत निकासी को सीईए/सीडब्ल्यूसी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है । अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है ।
20	ताती-रू	05/13	186	प्रस्तुतिकरण बैठक दिनांक 04.06.2013 को आयोजित की गई और जांच के लिए डीपीआर स्वीकृत की गई । हाइड्रोलॉजी, पीपीएस और विद्युत निकासी पहलुओं को स्वीकृत किया गया । नदी के बांध से संबंधित तकनीकी आर्थिक अध्ययन जांच के अधीन है । सितंबर, 2013 में जीएसआई, एफई एवं एसए, बीसीडी पहलुओं पर उत्तर प्राप्त हो चुके हैं, अक्टूबर, 2013 में इस्ट्रूमेंटेशन एवं ई एंड एम डिजाइन के पहलुओं पर टिप्पणियां दी जा चुकी है ।
21	हियो	07/2013	240	जांच के अधीन है । हाइड्रोलॉजी, पीपीएस एवं विद्युत निकासी पहलु को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।
22	सुबानसिरी मध्य (कमला)	10/2013	1800	प्रस्तुतिकरण बैठक 19.11.2013 को आयोजित की गई थी । सीईए, सीडब्ल्यूसी और जीएसआई में जांच के लिए डीपीआर को स्वीकृति प्रदान की गई थी । .
23	मगोचू	10/2013	96	प्रस्तुतिकरण बैठक 19.11.2013 को आयोजित की गई थी । सीईए, सीडब्ल्यूसी और जीएसआई में जांच के लिए डीपीआर को स्वीकृति प्रदान की गई थी ।
	कुल		**8830**	

IIIIIIIII

दिनांक 05.12.2013 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

IIIIIIIIII

परियोजना प्राधिकरणों को लौटाई गई जल विद्युत स्कीमों के ब्यौरे
(पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहमति के लिए सीईए में प्राप्त)

क्रम सं.	योजना/राज्य	प्राप्ति/लौटाने का माह	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	लौटाने के कारण /स्थिति
1	बोगुडियार सिरकारी भ्योल उत्तराखंड	04/10 09/10	146	अपर्याप्त भूगर्भीय अन्वेषणों के कारण लौटाई गई, सीईए द्वारा 28.4.11 को पीपीएस अनुमोदित, सीडब्ल्यूसी द्वारा 4.11.2010 को हाइड्रोलॉजी अनुमोदित ।
2	त्यूनी प्लासू उत्तराखंड	08/10 10/10	72	अपूर्ण भूगर्भीय अन्वेषणों, उच्च लागत इत्यादि के कारण लौटाई गई, सीईए तथा सीडब्ल्यूसी द्वारा पीपीएस तथा हाइड्रोलॉजी 16.08 12 तथा 03.10.11 को अनुमोदित ।
3	नंद प्रयाग लांगसू उत्तराखंड	03/11 04/11	100	स्वीकृति बैठक 04.04.11 को आयोजित हुई तथा उच्च लागत, अपर्याप्त भूगर्भीय अन्वेषणों, सिविल संरचना अर्थात् बैराज, सर्जशॉफ्ट, बटरफ्लाई वाल्व इत्यादि के डिजाइन की समीक्षा के कारण डीपीआर लौटाई गई । संशोधित डीपीआर अभी मिलनी है। हाइड्रोलॉजी अभी अनुमोदित नहीं है । सीएसएमआरएस तथा फाउंडेशन अभियांत्रिकी पर टिप्पणियों के उत्तर 07.09.12 को प्राप्त हुए ।
4	बारा भंगल हिमाचल प्रदेश	06/11 06/11	200	स्वीकृति बैठक 28.06.11 को आयोजित हुई । अपर्याप्त भूगर्भीय अन्वेषण, पर्यावरणीय एवं वन्यजीव मुद्दों, आईसी एवं लागत की समीक्षा के कारण डीपीआर लौटाई गई ।
5	हुतोंग –II एचईपी अरूणाचल प्रदेश	02/12	1200	प्रस्तुतिकरण 23.03.2012 को हुआ तथा डीपीआर को जांच के लिए लिया गया है । डीपीआर को 24.05.12 को लौटाया गया क्योंकि, स्कीम को एक भंडारण स्कीम के रूप में विकसित किया जाना है । हाइड्रोलॉजी एवं पीपीएस 09.05.11 तथा 23.03.11 को स्वीकृत की गई ।
6	कलई-ख् अरूणाचल प्रदेश	01/12 05/12	1352	एसटीसी ने निर्णय लिया था कि मैसर्स एमएफआईपीएल सीईए के दिनांक 24.05.12 के पत्र के अनुसार संशोधित डीपीआर के लिए विस्तृत अन्वेषण करें ।
7	किरथई –II जे एंड के	04/11 09/12	990	विभिन्न कारणों से लौटाई गई जिनमें मानसून तथा गैर-मानसून अवधि के दौरान विचार किए जाने के लिए पर्यावरणीय प्रवाह के कारण विद्युत योजना पहलुओं में संशोधन, उच्च लागत अनुमान तथा चालू मूल्य स्तर पर लागत का संशोधन शामिल है ।
8	पेमाशेल्फू अरूणाचल प्रदेश	07/11 02/13	90	टिप्पणियों के उत्तर न मिलने तथा परियोजना से बांध के लाभों के स्थान में संभावित परिवर्तन के कारण परियोजना की डीपीआर लौटाई गई ।
9	क्वार जे एंड के	07/2012 10/2012	560	एचआरटी के विन्यास की समीक्षा, लूपिंग सर्ज गैलरियों के स्थान पर सर्जशॉफ्ट के प्रावधान, विद्युत ग्रह के पुनः स्थान निर्धारण एवं टीआरटी की लम्बाई में कमी के कारण लौटाई गई ।
10	सिवासामुद्रम/कर्नाटक	04/2012 05/2012	345	प्रस्तुतिकरण बैठक 16.05.12 को आयोजित की गई, चूंकि इसमें अन्तर्राज्यीय मुद्दे शामिल हैं अतः डीपीआर पर कार्यवाई नहीं की जा सकी तथा इसे लौटा दिया गया ।
11	यामने चरण-ख्ख् अरूणाचल प्रदेश	03/11 05/11	84	बांध स्थल, डाएवर्जन सुरंग, सर्जशॉफ्ट तथा विद्युत गृह के इत्यादि में अपर्याप्त भूगर्भीय अन्वेषणों के कारण डीपीआर लौटाई गई ।

12	जिमलियांग अरूणाचल प्रदेश	04/2012 06/2013	80	03.05.13 को आयोजित प्रस्तुतिकरण बैठक के दौरान अपर्याप्त भूगर्भीय अन्वेषणों के कारण डीपीआर लौटाई गई । विकासकर्ता को कहा गया था कि आवश्यक अन्वेषण करवाने तथा सीईए से आईसी निर्धारित करवाने के पश्चात् संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करें ।
13	रायगम अरूणाचल प्रदेश	04/2012 06.2013	141	03.05.13 को आयोजित प्रस्तुतिकरण बैठक के दौरान अपर्याप्त भूगर्भीय अन्वेषणों के कारण डीपीआर लौटाई गई । विकासकर्ता को कहा गया था कि आवश्यक अन्वेषण करवाने तथा सीईए से आईसी निर्धारित करवाने के पश्चात् संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करें ।
14	कांगतांग श्री अरूणाचल प्रदेश	05/2013 07/2013	80	अपर्याप्त अन्वेषण और अनुचित विन्यास इत्यादि के कारण 29.07.13 को लौटा दिया गया ।
	कुल		**5440**	

|||||||||

अनुबंध-ङ

दिनांक 05.12.2013 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

IIIIIIIIII

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहमति हेतु सीईए में प्राप्त जल विद्युत स्कीमों की सूची

क्रम सं.	स्कीम	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति
	2010-11				
	हिमाचल प्रदेश				
1	कुटेहर	निजी	एसडब्ल्यूईपीएल	240	31.08.10
2	सैंज	राज्य	एचपीपीसीएल	100	29.12.10
	सिक्किम				
3	तीस्ता स्टेज-ङ्ग	केन्द्रीय	एनएचपीसी	520	13.05.10
4	पनन	निजी	एचएचपीएल	300	07.03.11
	हिमाचल प्रदेश				
5	बजोली होली	निजी	जीएमआर	180	30.12.11
	उप-जोड़			**1340**	
	2011-12				
	आंध्र प्रदेश				
6	इंदिरासागर (पोलावाराम)	राज्य	एपीजीईएनसीओ	960	21.02.12
	मिजोरम				
7	कोलोडाइन स्टेज-II	केन्द्रीय	एनटीपीसी	460	14.09.11
	उप-जोड			**1420**	
	कुल			**2760**	

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-38
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत फर्मों के लिए उपस्कर

38. श्री सुरेश कुमार शेटकरः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनियांस्वदेशी विनिर्माताओं से विद्युत उपस्करों की खरीद कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) और (ख) : सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों (पीएसयू) द्वारा कार्यान्वित विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिकतर मुख्य संयंत्र उपकरणों (बायलर और टरबाइन जेनेरेटर) का प्रापण घरेलू विनिर्माताओं अर्थात मैसर्स भेल और देश में सुपर क्रिटिकल बायलर और टरबाइन जेनेरेटरोंके विनिर्माण के लिए देश में स्थापित संयुक्त उद्यमों/अन्य विनिर्माताओं से किया जा रहा है।

विभिन्न पीएसयू द्वारा निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं (घरेलू विनिर्माताओं द्वारा की गई आपूर्ति) का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है । जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है

(ग) :ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

****

सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माणाधीन ताप परियोजनाएं, तथा जहां बॉयलर/टीजी के आदेश स्वदेशी निर्माताओं को दिए गए हैं, का ब्यौरा

राज्यपरियोजना का नाम	*कार्यान्वयन एजेंसी*	*यूनिट सं.*	*क्षमताचालू होने की*	*(मेगावाट)संभावित तिथि*	
केन्द्रीय क्षेत्र					
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	250	12/2014
			यू-2	250	05/2015
			यू-3	250	10/2015
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	यू-4	660	12/2013
			यू-5	660	09/2014
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपैं.	एनटीपीसी	यू-3	195	09/2014
			यू-4	195	03/2015
बिहार	नबी नगर टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	250	03/2015
			यू-2	250	07/2015
			यू-3	250	11/2015
			यू-4	250	03/2016
बिहार	न्यू नबी नगर टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	660	02/2017
			यू-2	660	08/2017
			यू-3	660	02/2018
छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	800	03/2017
			यू-2	800	09/2017
झारखण्ड	बोकारो टीपीएस 'क' एक्सपैं.	डीवीसी	यू-1	500	03/2015
कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी फेज-I	एनटीपीसी	यू-1	800	06/2016
			यू-2	800	12/2016
			यू-3	800	06/2017
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	यू-3	660	05/2016
			यू-4	660	11/2016
महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	660	05/2016
			यू-2	660	11/2016
मध्य प्रदेश	गडरवारा एसटीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	800	04/2017
			यू-2	800	10/2017

मध्य प्रदेश	विन्ध्याचल टीपीपी-V	एनटीपीसी	यू-13	500	01/2016
तमिलनाडु	नेवेली टीपीएस-II एक्सपैं.	एनएलसी	यू-2	250	03/2014
तमिलनाडु	तूतीकोरिन जेवी	एनएलसी	यू-1	500	03/2014
			यू-2	500	06/2014
तमिलनाडु	वल्लुर टीपीपी-II	एनटीईसीएल	यू-3	500	02/2014
त्रिपुरा	मौनार्चक सीसीपीपी	नीपको	जीटी	61.3	01/2014
			एसटी	39.7	05/2014
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	ओटीपीसी	मॉड्यूल-2	363.3	12/2013
उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी	यू-1	660	06/2016
			यू-2	660	12/2016
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-II	डीवीसी	यू-1	660	08/2017
			यू-2	660	01/2018
			उप-जोड़ :	**19534.3**	
राज्य क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैह टीपीएस	एपीपीडीएल	यू-1	800	03/2014
			यू-2	800	10/2014
आंध्र प्रदेश	काकातिया टीपीएस एक्सटें.	एपजैंको	यू-1	600	07/2014
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा स्टे.-III यू-6	एपजैंको	यू-6	600	12/2015
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	जीटी	70	06/2014
			एसटी	30	09/2014
बिहार	बरौनी टीपीपी	बीएसईबी	यू-1	250	05/2016
			यू-2	250	10/2016
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	सीएसपीजीसीएल	यू-1	500	02/2014
			यू-2	500	07/2014
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी- III	पीपीसीएल	एसटी-2	250	01/2014
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	भावनगर एनर्जी	यू-1	250	09/2014
			यू-2	250	12/2014
गुजरात	पीपीवाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	ब्लॉक-1	351	01/2014
गुजरात	सिक्का टीपीएस एक्सटें.	जीएसईसीएल	यू-3	250	04/2014
			यू-4	250	07/2014
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीपी स्टे.-III	केपीसीएल	यू-3	700	03/2015
कर्नाटक	एदलापुर टीपीपी	केपीसीएल	यू-1	800	03/2017
कर्नाटक	यरमारुस टीपीपी	केपीसीएल	यू-1	800	12/2015
			यू-2	800	06/2016
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	यू-8	500	03/2014

			यू-9	500	01/2015
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीएस एक्सपैं.	एमएसपीजीसीएल	यू-10	660	04/2015
			यू-8	660	04/2014
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीएस एक्सपैं.	एमएसपीजीसीएल	यू-9	660	10/2014
महाराष्ट्र	पर्ली टीपीएस एक्सपैं.	एमएसपीजीसीएल	यू-8	250	02/2014
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी(श्री सिंगाजी टीपीपी)	एमपीजैंको	यू-2	600	03/2014
मध्य प्रदेश	सतपुरा टीपीएस एक्सटें.	एमपीपीजीसीएल	यू-11	250	12/2013
राजस्थान	छाबरा टीपीएस एक्सटें.	आरआरवीयूएनएल	यू-4	250	03/2014
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें.-III	आरआरवीयूएनएल	एसटी	50	01/2014
उत्तर प्रदेश	अनपारा-डी टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	यू- 6	500	06/2014
			यू-7	500	10/2014
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर टीपीएस एक्सटें.	डीपीएल	यू-8	250	03/2014
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर टीपीएस एक्सटें.यू-8	डीपीएल	यू-8	250	01/2014
पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीएस-II	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	यू-3	500	10/2014
			यू-4	500	02/2015
			उप-जोड़ :	**15981**	
			कुल :	**35515.3**	

****

अनुबंध-II

12वीं योजना एवं इसके आगे के लिए निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के टीजी सेट (स्वदेशी)

क्रम सं.	परियोजना का नाम /राज्य	क्षमता(संख्या मेगावाट)	लाभ (मेगावाट)	टीजी सेट के निर्माण कर्ता/आपूर्तिकर्ता	आदेश की तिथि
	केंद्रीय क्षेत्र				
	बीएचईएल इकाई				
1	पार्वती-2 (एनएचपीसी), (हिमाचल प्रदेश)	4**X**200	800.0	बीएचईएल	24.12.02
2	पार्वती-3 (एनएचपीसी) (हिमाचल प्रदेश)	4**X** 30	520.0	बीएचईएल	29.12.06
3	कोल डम (एनएचपीसी) (हिमाचल प्रदेश)	4**X**200	800.0	बीएचईएल, तोसीबा एवं मारूबेनी	07/2004
4	रामपुर (एसजीवीएनएल) (हिमाचल प्रदेश)	6**X**68.67	412.0	बीएचईएल	16.09.08
5	किशनगंगा (एनएचपीसी),जम्मू एवं कश्मीर	3**X**110	330.0	बीएचईएल	22.01.09
6	तपोवन विणुगढ़ (एनएचपीसी), उत्तर प्रदेश	4**X**130	520.0	बीएचईएल	01/2008
7	लता तपोवन, उत्तराखंड	3**X**57	171	बीएचईएल	12/2012
8	तीस्ता लो डैम-4 (एनएचपीसी), पश्चिम बंगाल	4**X**40	160.0	बीएचईएल	10.05.07
9	कामेंग (एनईईपीसीओ),आंध्र प्रदेश	4**X**150	600.0	बीएचईएल	03.12.04
10	तूरियल(एनईईपीसीओ),मिजोरम	2**X**30	60.00	बीएचईएल	25.10.03 01.08.11 (संशोधित)
	उप-कुल-बीएचईएल		**4373.00**		
	अन्य इकाई				
11	उरी-2 (एनएचपीसी), जम्मू एवं कश्मीर	4**X**60	60.0	अलैस्टोम, इंडिया एवं फ्रांस	29.12.06
12	सुभानसिरी लोअर (एनएचपीसी), आंध्र प्रदेश	8**X**250	2000.0	अलैस्टोम, फांस एवं इंडिया	11.02.05
13	पेर (एनईईपीसीओ), आंध्र प्रदेश	2**X**55	110.0	एंड्रिटज हाइड्रो, इंडिया	01.10.10
	उप-कुल-अन्य		**2170.0**		
	उप-कुल (केंद्रीय क्षेत्र)		**6543.0**		
	राज्य क्षेत्र				
	बीएचईएल इकाई				
14	यूएचएल-3 (हिमाचल प्रदेश)	3**X**33.33	100.0	बीएचईएल	15.02.07
15	नागर्जुन सागर तल, आंध्र प्रदेश	2**X**25	50.0	बीएचईएल	03.05.06
16	पुलिचिंताला, आंध्र प्रदेश	4**X**30	120.0	बीएचईएल	25.05.07
	उप-कुल-बीएचईएल		**270.00**		
	अन्य इकाई				
17	बगलिहार-2, जम्मू एवं कश्मीर	3**X**150	450.00	वयथ-एंड्रिटज कांसोडियम जर्मनी एंड इंडिया	31.03.12
18	किशांग-1 (हिमाचल प्रदेश)	2**X**32.5	65.0	एंड्रिटज हाइड्रो, इंडिया	01.12.10
19	किशांग-2एवं3, हिमालच प्रदेश	2**X**65	130.00	एंड्रिटज हाइड्रो, इंडिया	01.12.10
20	सवारा कुड़डू, हिमाचल प्रदेश	3**X**37	111.0	एंड्रिटज हाइड्रो, इंडिया	05.02.09
21	सेंज, हिमाचल प्रदेश		100.00	वयथ हाइड्रो, इंडिया	17.08.11
22	लोवर जूराला, आंध्र प्रदेश	6**X**40	240.00	एलैस्टोम , इंडिया	09.06.08
23	नई उमतरू, मेद्यालय	2**X**20	40.00	वी.ए. टेक, इंडिया	25.02.09
	उप-कुल-अन्य		**1136.0**		
	उप-कुल (राज्य क्षेत्र):		**1406.0**		
	कुल		**7949.0**		

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-43

जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

डाभोल विद्युत परियोजना को गैस का आबंटन

43. श्री गजानन ध॰ बाबरः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री आनंदराव अडसुलः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार डाभोल विद्युतपरियोजना को बारी से पहले नए गैस क्षेत्रों से गैसआबंटन की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरइसके क्या कारण हैं तथा ऐसी कंपनियों का ब्यौराक्या है जो कि इस प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं;

(ग) क्या ऐसे प्रस्ताव के परिणामस्वरूप18000 मेगावाट वाले विद्यमान गैस–चालित संयंत्रोंऔर अन्य निर्माणाधीन 7000 मेगावाट क्षमता वालेसंयंत्रों के लिए ईंधन पर रोक लग जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले के समाधान केलिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) : जी नहीं, इस संबंध में सरकार द्वारा इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (ङ) : उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-50
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विद्युत संयंत्र

50. श्री अशोक कुमार रावतः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बिल्हौर, हरदोई औरसीतापुर क्षेत्रों में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगमलि.(एनटीपीसी) विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिएकोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरइन्हें स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गएहैं/प्रस्तावित हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में कब तक विद्युत संयंत्र स्थापितकिए जाने की संभावना है और इस पर कितनाअनुमानित खर्च होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क)से (ग): नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) ने बिल्हौर (जिला कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश) के निकट 1320 मेगावाट (2X660 मेगावाट) का एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। एनटीपीसी उत्तर प्रदेश के हरदोई तथा सीतापुर जिलों में किसी परियोजना के लिए प्रयास नहीं कर रहा है।

बिल्हौर परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट को एनटीपीसी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तथा भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है । ईंधन की व्यवस्था की जा चुकी है। जल लिकेंज के लिए आवेदन कर दिया गया है। सारी स्वीकृतियाँ मिल जाने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से निवेश संबंधी अनुमोदन मांगा जाएगा। उसके बाद लागत निर्धारित की जाएगी।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-75
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण कम्पनियों का घाटा

75. श्री अर्जुन मेघवालः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों की लाभ कमा रही विद्युतवितरण कम्पनियों सहित घाटे में चल रही विद्युतवितरण कम्पनियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम औरविद्युत वित्त निगम इन विद्युत वितरण कम्पनियोंको समय पर वित्तीय सहायता देने में असमर्थ है,तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लाभ कमाने वाली विद्युतवितरण कम्पनियों की कार्यप्रणाली में कोईमूल्यांकन किया है और लाभ कमाने वालीकम्पनियों का अनुसरण करने के लिए घाटे मेंचल रही कम्पनियों को कोई परामर्श जारी कियाहै; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क): यूटिलिटियों द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखों के ब्यौरे के आधार पर ''वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों का निष्पादन'' संबंधी विद्युत वित्त निगम की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर यूटिलिटियाँ, जो सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करती है, को वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान हानि हुई है। ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख): अनुमोदित नीति और प्रक्रिया के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम विद्युत डिस्कामों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ): जी नहीं।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 75 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

IIIIIIIIII

उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय करने वाली यूटिलिटियों के लाभ एवं हानि का ब्यौरा

(रू. करोड़ में)

			2009-10		2010-11		2011-12	
क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	कर पश्चात लाभ /हानि	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ /हानि	कर पश्चात लाभ /हानि	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ /हानि	कर पश्चात लाभ /हानि	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ /हानि
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	-1412	-1412	-1332	-1332	-1816	-1816
	झारखंड	जेएसईबी	-707	-707	-723	-723	-3211	-3211
	उड़ीसा	सेसको	-146	-146	-87	-87	-257	-257
		नेसको	-28	-28	-72	-72	-92	-92
		सेसको	-40	-40	-19	-19	-22	-22
		वेसको	-27	-27	-38	-38	-52	-52
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	-9	-9	-38	-38	36	36
	पश्चिम बंगाल	डब्लूबीएसईडीसीएल	71	71	95	95	73	73
पूर्वी योग			**-2298**	**-2298**	**-2213**	**-2213**	**-5342**	**-5342**
पूर्वोत्तर	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश पीडी	-212	-212	-182	-182	-264	-264
	असम	एपीडीसीएल	-303	-303	-486	-486	-408	-558
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	-145	-145	-204	-204	-307	-307
	मेघालय	मेघालय एसईबी	-56	-56		0		0
		मेघालय ईसीएल		0	-91	-91	-195	-195
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	-142	-142	-158	-158	-149	-149
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	-108	-108	-175	-175	-201	-201
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	2	-11	-126	-130	-157	-157
पूर्वोत्तर योग			**-964**	**-977**	**-1423**	**-1428**	**-1682**	**-1832**
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	187	187	388	388	121	121
		बीएसईएस यमुना	77	77	155	155	21	21
		एनडीपीएल	351	351	258	258	339	339
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-633	-680	-792	-955	-1621	-1664
		यूएचबीवीएनएल	-912	-912	-129	-129	-2011	-2011
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	-153	-153	-122	-122		0
		एचपीएसईबी लि.		0	-389	-389	-513	-513
	जम्मू और कश्मीर	जेएंडके पीडीडी	-2106	-2106	-2167	-2167	-3037	-3037
	पंजाब	पीएसईबी	-1302	-1302		0		0
		पीएसपीसीएल		0	-1640	-1640	-453	-453
	राजस्थान	एवीवीएनएल	0	-3924	-6907	-6907	-7596	-7596
		जेडीवीवीएनएल	0	-3169	-6827	-6828	-6179	-6179
		जेवीवीएनएल	0	-3913	-7636	-7636	-5797	-5796
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	-1707	-1707	-1117	-1117	-1499	-1499
		केस्को	-155	-155	-182	-182	-384	-384
		एमवीवीएन	-1040	-1040	-353	-353	-900	-900
		पश्चिमी वीवीएन	-1188	-1188	-304	-304	-392	-392
		पूर्वी वीवीएन	-1170	-1170	-1649	-1649	-1157	-1157
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	-527	-527	-204	-204	-417	-417
उत्तरी योग			**-10279**	**-21333**	**-29616**	**-29779**	**-31475**	**-31518**
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	36	-1198	3	-778	4	-1476
		एपीईपीडीसीएल	18	-435	13	-572	25	-963
		एपीएनपीडीसीएल	7	-892	7	-409	3	-874
		एपीएसपीडीसीएल	4	-1116	3	-418	6	-710
	कर्नाटक	बेसकोम	12	112	0	0	144	133
		चेसकोम	-74	-318	11	11	-123	-269
		जेसकोम	-31	-31	61	61	-13	-13

		हेसकोम	-174	-174	-65	-65	40	40
		मेसकोम	9	-14	2	2	6	6
	केरल	केएसईबी	241	241	241	241	241	241
	पुड्डुचेरी	पुड्डुचेरी	-47	-47	-134	-134	-164	-164
	तमिलनाडु	टीएनईबी	-10295	-10295	-6273	-6273		0
		टैनजेडको		0	-5634	-5634	-14306	-14306
दक्षिणी योग			**-10293**	**-14166**	**-11764**	**-13967**	**-14138**	**-18356**
पश्चिमी	**छत्तीसगढ़**	सीएसपीडीसीएल	-351	-351	-581	-581	-1310	-1310
	गोवा	गोवा पीडी	16	16	-79	-79	-271	-271
	गुजरात	डीजीवीसीएल	22	22	63	63	76	76
		एमजीवीसीएल	17	17	25	25	36	36
		पीजीवीसीएल	4	4	3	3	9	9
		यूजीवीसीएल	6	6	13	13	12	12
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-779	-779	-605	-605	-1129	-1129
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	-1433	-1433	-578	-578	-624	-624
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	-1131	-1131	-974	-974	-1167	-1167
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	-1085	-1085	-1505	-1505	-808	-808
पश्चिमी योग			**-4714**	**-4714**	**-4219**	**-4219**	**-5175**	**-5175**
कुल योग			**-28548**	**-43488**	**-49235**	**-51606**	**-57811**	**-62221**

(स्रोतःपीएफसी)

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-81
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

मेगा विद्युत परियोजनाओं हेतु छूट

81. श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्री के॰ सुगुमारः
श्री भास्करराव बापूराव पाटीलखतगांवकरः
श्री संजय भोईः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कुछ बड़ी विद्युतपरियोजनाओं के मानकों में छूट का प्रस्ताव कियाहै जो मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत क्रियान्वित किएजा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथाऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें इनसेलाभ होगा;

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं के द्वारा कितनीबिजली का उत्पादन किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विद्युत उत्पादन बढ़ानेके लिए उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय ने मेगा विद्युत नीति में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों सहित आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति(सीसीईए) के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले नोट के मसौदे को अंतर-मंत्रालयी परामर्श हेतु परिचालित किया है। संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियाँ प्राप्त होने और उन पर विचार करते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) सरकार द्वारा देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही अन्य पहलों का ब्यौरा नीचे सूचीबद्ध किया गया हैः

I. सरकार ने निर्णय लिया है कि मार्च, 2009 के बाद शुरू किए गए संयंत्रों और मार्च, 2015 तक शुरू होने के कार्यक्रम के कुल 78,000 मे.वा. (67,000 मे.वा. दीर्घावधि लिंकेज और 11,000 मे.वा. टैपरिंग लिंकेज) के संयंत्रों हेतु ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) पर हस्ताक्षर किए जाएं।

एफएसए हस्ताक्षरित होने से विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी जिससे आगामी वर्षों में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

II. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने और निजी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कई कानूनी, नीति और प्रशासनिक उपाए किए हैं। इन उपायों में से कुछ हैंः

i) नए विद्युत अधिनियम, 2003 का अधिनियमन।
ii) तापीय उत्पादन को लाइसेंस-मुक्त करना। इसके बाद निजी उत्पादन स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है।
iii) राज्य विद्युत बोर्ड हेतु आधारभूत सुधार।
iv) केन्द्र और राज्य विनियामक आयोगों का गठन।
v) राष्ट्रीय ग्रिड का गठन।
vi) पारेषण और वितरण में खुली पहुंच।
vii) विद्युत विपणन को विशिष्ट गतिविधि के तौर पर पहचान करना।
viii) विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता।
ix) पारेषण और वितरण हानियों में कमी लाना।
x) विद्युत अधिनियम के अधीन वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत प्रापण हेतु प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के लिए दिशानिर्देश जारी करना।
xi) प्रशुल्क नीति की अधिसूचना।
xii) राष्ट्रीय विद्युत नीति की अधिसूचना।
xiii) जल विद्युत नीति, 2008 की अधिसूचना।
xiv) अल्ट्रामेगा विद्युत संयंत्र(यूएमपीपी) की पहल।

******

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-89
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

जल विद्युत उत्पादन

89. श्री जगदानंद सिंहः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत उत्पादनकी अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूरी हो चुकी या निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं के आधार पर देश के अन्यभागों में बड़ी क्षमता वाली पारेषण लाइनें स्थापितकी जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उत्तर–पूर्व से उत्तरी ग्रिड तक पारेषणलाइनों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथाइसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)
(क) और (ख): जी हाँ, पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत उत्पादन की अपार सम्भावना है । सीईए द्वारा वर्ष 1978-87 में करवाए गए पूनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में 58971 मेगावाट (58356 मेगावाट - 25 मेगावाट से अधिक) की क्षमता विद्यमान है ।

(ग) और (घ) : देश में जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए बृहत्तम क्षमता (132 केवी और उससे अधिक) पारेषण लाइनों की सूची **अनुबंध** में दी गई है ।

(ङ) और (च) : 3483 सीकेएम लम्बाई की लाइन के साथ **±**800 केवी एचवीडीसी विश्वनाथ चरियाली (एनईआर) से आगरा बायपोल (एनआर) लाइन के द्वारा पूर्वोत्तर और उत्तरी ग्रिड के बीच इंटरकनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिए है । इस लाइन का निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 में पूरा होने की संभावना है ।

*****

अनुबंध

05.12.2013 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 89 के भाग (ग)और (घ)के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

****

जल विद्युत परियोजनाओं से संबद्ध उच्चतरक्षमता (132 के.वी. और अधिक) पारेषण लाइनों की सूची।

संबद्ध पारेषण लाइनें और उपकेंद्र	पारेषण कार्यों से जुड़े कार्यनिष्पादक	सीकेटीएस(एस/सी) एवं (डी/सी)	वोलटेज स्तर(केवी)	सीकेएम/एमवीए

		राज्य/एजेंसी			
1		2	3	4	5
अलकनंदा एचईपी (6X50 मेगावाट),पीएस, यूके, बदरीनाथ, यू1,यू2,यू3,यू4,यू5,यू6					
1	**अलकनंदा एचईपी-जोशीमाथा**	जीएमआर ईएनईआरजी	डी/सी	220	
2	श्रीनगर-काशीपुर	पीटीसीयूएल	डी/सी	400	304
बगलिहार-2 एचईपी (3X150 मेगावाट) एसएस,जम्मू एवं कश्मीर, जेकेपीडीसी, यू1-3/15, यू2-5/15, यू3-6/15,					
1	किशनपुर के एक सीकेटी का एलआईएलओ- बगलिहार एचईपी में न्यू वानपोह	जेकेपीडीडी	डी/सी	400	
भीषम एचईपी (3X17 मेगावाट), पीएस, सिक्किम, घाटी इंफ्रा, यू1,यू2 एवं3-2014-15,					
1	रांगनिछू के एक सीकेटी का एलआईएलओ-भीषम मे रॉडपो	जीएटीआई	एस/सी	220	
बूधिल एचईपी (2X35 मेगावाट), पीएस,एच.पी.,लैनको ग्रीन, यू1-5/12(सी), यू2-5/12(सी),					
1	बूधिल-चमेरा3	लीईपीपी	एस/सी पर डी/सी	220	40
चमेरा-2 एचईपी, सीएस, एच.पी.,,					
1	चमेरा-2 एचईपी (भाग-1)-चमेरा पूलिंग स्टेशन	पीजीसीआईएल	एस/सी	400	1
जोरथांग लूप एचईपी (2X48 मेगावाट) पीएस,सिक्किम,डीएएनएस, यू1एवं2-6/13,					
1	जोरथांग-न्यूमेली (टोकल) वाया ताशदिंग	डीईपीएल	एस/सी	220	
कामेंग एचईपी, सीसी,अरुणाचल प्रदेश, यू2-12/14,यू3-12/14,					
1	कामेंग-बलिपारा	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	110
किशनगंगा एचईपी (3X110 मेगावाट) सीएस, जम्मूएवंकश्मीर एनएचपीसी, यू1,2एवं 3-2016-17,					
1	किशनगंगा-न्यू वानपोह वाया एलिसटांग	एनएचपीसी	डी/सी	220	
2	किशनपुर-अमरगढ़	एनएचपीसी	डी/सी	220	
कोलडाम एचईपी (4X200 मेगावाट), सीएस, एच.पी.एनएचपीसी,यू(1-4)-13-14,					
1	कोलडाम-लुधियाना (जेवी भाग)	जेवी(पीजीएवीपी)	डी/सी	400	306
2	कोलडाम-नालागढ़	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	93
कोटेश्वर एचईपी(4X100 मेगावाट), सीएस, यू.के., टीएचडीसी, यू3-1/12,यू4-3/12,					
1	टेहरी के एलआईएलओ-मेरठ में टेहरी पूलिंग बिंदू(400 के.वी पर लिया जाने वाला प्रभाग)	पीजीसीआईएल	2डी/सी	765	13
2	कोटेश्वर -टेहरी पूलिंग बिंदू	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	5
लखवार एचईपी (300मेगावाट)एण्ड व्यासी एचईपी (120मेगावाट), एसएस,यू.के.,यूजेवीएनएल					
1	अमरोहा-पिथौरागढ़	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	146
2	आराकोट का आराकोट-मोरी और एलआईएलओ हानोल तूनी में मोरी	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	94
3	देवसरी-करणप्रयाग	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	52
4	नटवर मोरी में जखोल-शंकरी-मोरी की जखोल-शंकरी-मोरी और लीलो	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	76
5	लंगरासू में नंदप्रयाग-करनप्रयाग की लीलो	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	16
6	पीरानकलियर एस/एस में रोशनाबाद -पुहाना की लीलो	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	10
7	देहरादून (पीजी) एस/एस में व्यासी एचईपी-देहरादून की लीलो	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	70
8	मोरी-देहरादून	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	200
लोअर जुराला एचईपी(6X40मेगावाट),एसएस,एपीजीईएनसीओ, यू1-12/13,यू2-3/14 : यू3 से 6 - 14/16,					
1	लोअर जुराला एचईपी में वलतूर-जुराला की लीलो	एपीटीआरएएनएससी	डी/सी	220	10
2	लोअर-जुराला एचईपी-अपर जुराला	एपीटीआरएएनएससीओ	डी/सी	220	22
मियार एचईपी(3X40मेगावाट)पीएस,जिला स्पीति, एचपी,मेसर्स मियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी लिमिटेड,					
1	मियार पूलिंग स्टेशन सीसू/ग्रामफू	सीटीयू	डी/सी	400	
2	सीसू/ग्रामफू पूलिंग स्टेशन-हमीरपुर	सीटीयू	डी/सी	400	
नागर्जुन सागर टीआरएचईपी(2X25मेगावाट),एसएस,एपी,एपीजेनको,यू1और 2 - 2014/15,					
1	रंताचिंतला में वीटीएस-तल्लापली लाइन की लीलो	एपीटीआरएएनएससीओ	डी/सी	220	2
2	रंताचिंतला-मछेरला एस/एस	एपीटीआरएएनएससीओ	एस/सी	132	17
नई उम्तरु एचईपी (2X20मेगावाट)एसएस,एमईजी, एमईसीएल,यू1और 2 - 2014-15.,					
1	नई उम्तरु एचईपी-नोरबॉग (ईपीआईपी-2)	एमइईसीएल	डी/सी	132	6
पल्लीवासल एचईपी (2X30मेगावाट),एसएस, केरल, केएसईवी,यू1और 2-2014-15,					
1	पल्लीवासल एचईपी में इदूक्की-उदूमलपेत की लीलो	केएसईबी	डी/सी	220	
पार्वती-2 एचईपी (पीजीसीआईएल एण्ड जेपी)सीएस, एच.पी., एनएचपीसी, इकाई-14/15.,					
1	पार्वती-2-कोलडाम लाइन-2	पीकेटीसीएल	एस/सी	400	64

2	पार्वती-2-कोलडाम लाइन-1	पीकेटीसीएल	एस/सी	400	67
पार्वती-3 एचईपी (4X130मेगावाट),सीएस,एच.पी,एनएचपीसी,यू1-6/13,यू2-7/13,यू3-1/14,यू4-3/14,					
1	पार्वती-2 का लीलो पार्वती में कोलडाम पूलिंग बिंदू	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	1
2	पार्वती-2 का लीलो-पार्वती-3 में पार्वती पूलिंग बिंदू	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	4
3	पार्वती पूलिंग बिंदू-अमृतसर	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	501
पाटा ब्योंग एचईपी (2X38 मेगावाट),पीएस,यू.के., लैंको यू1-11/13,					
1	पाटा एचईपी-बारामवारी(रुद्धपुर)	एलईपीपी	डी/सी	220	8
2	रुद्धपुर (बारामवारी)-घानशाली-श्रीनगर लाइन	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	182
रामपुर एचईपी (6X68.67मेगावाट),सीएस,एच.पी.,सीजेवीएनएल,यू1-2/14,यू2-2/14,यू3-3/14,इकाई-4 का 6-14/15,					
1	नेष्था झाखरी का लीलो-रामपुर में नालागढ़	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	8
2	पटियाला का लीलो-कतिहाल में हिसार	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	66
3	पटियाला-लुधियाना	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	156
रनघिट-4 एचईपी (3X40 मेगावाट),पीएस,सिक्किम, जेपी,यू1,2,:3-2014-15,					
1	जोरथांग-न्यूमेली के एक सर्किट को रंगित-4 के माध्यम से भेजना	एलईपीपी	डी/सी	220	
रेटल एचईपी, (6X115मेगावाट), पीएस,जेएण्डके, जीवीके,यू1-2/17,यू2-2/17, यू3-2/17, यू4-2/17, यू5-2/17, यू6-2/17,					
1	रेटल एचईपी में दुलहस्ती-किशनपुर के एक सर्किट का लीलो	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	
2	किशनपुर-रेटल,(दुलहस्ती-किशनपुर द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिग को रेटल एचपी तक बढ़ना	पीजीसीआईएल	एस/सी	400	
सैंज एचईपी (100 मेगावाट), एसएस,एच.पी.,एचपीपीसीएल,यू1-2014-15,					
1	पार्वती-3-पार्वती पूलिंग स्टेशन का सैंज पर लीलो	एचपीपीटीसीएल	डी/सी	400	
सैली एचईपी (5X80 मेगावाट), पीएस, एच.पी., एम/एस सैली हाइड्रो इलैक्ट्रिक पॉवर कंपनी लि.					
1	मियार-हमीरपुर के एक सर्किट का सैली में (बरास्ता रोहतांग)लीलो	सीटीयू	डी/सी	400	
सिंगोली बटवारी एचईपी (3X33मेगावाट) पीएस,यू.के.,एलएण्डटी,यू1,2एवं3,					
1	ब्रहम्वारी-श्रीनगर का सिंगोली बटवारी पर लीलो	पीटीसीयूएल	डी/सी	220	5
सोरांग एचईपी, (2X50 मेगावाट), पीएस, एच.पी.,एचएसपीसीएल,यू1- 11/13, यू2-12/13,					
1	करछमवांग्तू-अब्दुलापुर के एक सर्किट का सोरांग पर लीलो	एचसीपीपीएल	डी/सी	400	6.4
श्रीनगर एचईपी, 4X82.5 मेगावाटट, पीएस, यू.के., जीवीकेआईएल,यू1-12/12, यू2-1/13, यू3-2/13, यू4-3/13.,					
1	श्रीनगर एचईपी-श्रीनगर 400 केवी एस/एस	पीटीसीयूएल	डी/सी	400	28
2	विष्णुप्रयाग-मुज्जफरनगर का श्रीनगर एचईपी पर लीलो	यूपीपीटीसीएल	डी/सी	400	15
सुबांसरी एचईपी (लोअर) (8X250मेगावाट), सीएस, अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी, इकाई1 का 8 -2016-17,					
1	लोअर सुबांसरी-विश्वनाथचेरियाली लाइन-1	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	334
2	लोअर सुबांसरी-विश्वनाथचेरियाली लाइन-2	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	340

सवारा कुड्डू एचईपी (3X37मेगावाट),यू1-3, 2014-15,					
1	नाथपा झाकरी-अब्दुलापुर के एक सर्किट का स्वाराकुड्डू पर लीलो	एचपीपीटीसीएल	डी/सी	400	
तपोवन विष्णुगार्ड एचईपी (4X130 मेगावाट), सीएस, यू.के., एनटीपीसी,यू1,2,3,एवं4 -2014-15,					
1	विष्णुप्रयाग-मुज्जफनगर का तपोवन विष्णुगार्ड पर लीलो	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	
2	तपोवन गार्ड-कुंवारी पास	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	
3	कुंवारीपास (पिपलाकोटी)-करनप्रयाग-श्रीनगर	पीटीसीयूएल	डी/सी	400	184
4	मुज्जफनगर-विष्णुप्रयाग का कुंवारीपास (पिपलाकोटी)पर लीलो	पीटीसीयूएल	डी/सी	400	2
ताशीडंग एचईपी (2X48 मेगावाट) पीएस, सिक्किम, सिगा ऊर्जा,यू1एवं2-3/14,					
1	ताशीडिंग-न्यूमैली		एस/सी	220	
तीस्ता एलडी4 एचईपी (4X40 मेगावाट), सीएस डब्ल्यू.बी, एनएचपीसी, इकाई 1 का 4 -2014-15,					
1	तीस्ता एलडीपी 3-तीस्ता एलडी 4-न्यू जलपाईगुड़ी	डब्ल्यूबीईटीसीएल	डी/सी	220	166
तीस्ता 4 एचईपी (4X125 मेगावाटट, पीएस, एम/एस लैंको उरिजा, सिक्किम, यू1-4 - 2015-16,					
1	तीस्ता 6-न्यू मैली	एलईपीपी	डी/सी	220	
टेहरी पीएसएस, एचईपी (4X250 मेगावाट) सीएस, यू.पी. टीएचडीसी,यू1,2,3एवं4,					
1	टेहरी पूलिंग स्टेशन-मेरठ की चाजिंग	पीजीसीआईएल	डी/सी	765	
2	टेहरी पीएसएस-टेहरी पूलिंग स्टेशन	पीजीसीआईएल	डी/सी	400	
थोटियार एचईपी (1X30+1X10 मेगावाट)एसएस, केरल, केएसईबी,यू1,एवं2,					
1	लड्डुकी-कोजिकोर्ड का कोडकपारा पर लीलो	केएसईबी	डी/सी	220	
2	थोटियार-कोडकपारा	केएसईबी	डी/सी	220	
टिडांग-1 एचईपी (2X50 मेगावाट) पीएस, एच.पी.एनएसएल,यू1एव2ं					
1	कासांग-भाबा का तिडोंग-1 पर लीलो	एचपीपीटीसीएल	डी/सी	220	
तूरियल एचईपी (2X30मेगावाटट, सीएस मिजो. एनईईपीसीओ,यू1 :2- 2015-16,					
1	जिरीबांग ऐजल का तूरियल पर लीलो	पीजीसीआईएल	डी/सी	132	
2	तूरियल एचईपी-ऐजल	पीएण्डईडी मिजो	एस/सी	132	
उरी-2 एचईपी (4X60 मेगावाट), सीएस, जेएण्ड के, एनएचपीसी,यू1-6/13,यू2-6/13,यू3-7/13,यू4-8/13.,					
1	उरी-1 उरी-2	पीजीसीआईएल	एस/सी	400	11
2	उरी-2 वगोरा	पीजीसीआईएल	एस/सी	400	105

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-97
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

बीपीएल को बिजली

97. डॉ॰ बलीरामः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसेलोगों की संख्या कितनी है जिन्हें राजीव गांधीग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ क्षेत्र में बिजलीप्रदान की गई है;

(ख) ऐसे लोगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बीपीएलसूची में शामिल किया गया है लेकिन आज तकबिजली कनेक्शन नहीं दिया गया है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में बीपीएल सूची में शामिलसभी लोगों को बिजली कनेक्शन कब तक दिएजाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) और (ख): राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की परियोजना जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी 50,828 घरों को मुफ्त विद्युत सर्विस कनेक्शन प्रदान करना शामिल है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई थी। सभी 50,828 बीपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं। बीपीएल घरों की सूची को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरजीजीवीवाई को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शेष अर्हता प्राप्त बीपीएल घरों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-105
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत का संवितरण

105. श्री गणेश सिंहः
श्री सुदर्शन भगतः
श्री शिवकुमार उदासीः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरानविद्युत की मांग, आपूर्ति और व्यस्ततम/गैर–व्यस्ततम कमी के वर्ष–वार और राज्य/संघराज्य क्षेत्र–वार ब्यौरे सहित राज्यों को विद्युत काआवंटन किए जाने के मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कतिपय राज्यों विशेषकरमध्य प्रदेश और झारखंड को विद्युत का आवंटनउनकी मांगों की तुलना में कम किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरइसके क्या कारण हैं;

(घ) झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में लंबितपड़ी विद्युत परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौराक्या है; और

(ङ) देश में विद्युत की स्थिति में सुधार लानेके लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमोंसहित पन बिजली सहित विद्युत उत्पादन क्षमता मेंसंवर्धन करने के लिए सरकार की भावी योजनाका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क): केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से लाभभोक्ता राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन, विद्युत आबंटन के लिए फार्मूला के अनुसार किया जाता है। इस फार्मूला को अप्रैल, 2000 से दिशा निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों, नामतः 85% का नियत आबंटन तथा आकस्मिक/समग्र जरूरतों को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा 15% गैर-आबंटित विद्युत के लिए आबंटन के तौर पर किया जाता है। नियत आबंटन में जल विद्युत केन्द्रों के मामले में प्रभावित राज्यों को किया जाने वाला 12% निःशुल्क आबंटन तथा स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु 1% आबंटन शामिल होता है। थर्मल तथा न्यूक्लियर विद्युत केन्द्रों के मामले में इसमें गृह राज्यों को 10%(निःशुल्क नहीं) विद्युत शामिल होता है। शेष 72%/75% विद्युत को क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच केन्द्रीय योजना सहायता के पैटर्न तथा पिछले 5 वर्षों के दौरान ऊर्जा के उपभोग के अनुसार वितरित किया जाता है तथा दोनों कारकों को समान महत्व दिया जाता है। केन्द्रीय योजना सहायता का निर्धारण गाडगिल फार्मूला के अनुसार किया जाता है, इसमें राज्यों की जनसंख्या पर भी

विचार किया जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में इक्विटी योगदान करने वाले राज्य को उनके इक्विटी योगदान के अनुसार नियत आबंटन में लाभ मिलता है।

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत आबंटन के लिए ऊपर लिखित दिशा निर्देश निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के उत्पादन केन्द्रों पर लागू होते हैं-

(i) जल विद्युत परियोजनाएं(जिनके लिए दिसम्बर, 2015 तक पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाने हैं)।

(ii) पहले से चालू परियोजनाओं का विस्तार(जल विद्युत को छोड़कर)।

(iii) ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए 05.01.2011 को अथवा इससे पूर्व पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं(जल विद्युत को छोड़कर)।

उपर्युक्त i, ii,तथा **iii** श्रेणी में न आने वाली कई परियोजनाओं की विद्युत का प्रापण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से वितरण कंपनियों/यूटिलिटीज द्वारा किया जाना है। जनवरी, 2011 से भारत सरकार ने निम्नलिखित से गृह राज्यों को 50% विद्युत के आबंटन को अनुमोदन प्रदान किया है:

(i) एनपीसीआईएल की सभी नई न्यूक्लियर परियोजनाएं।

(ii) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एनटीपीसी की 14 शुरू की जा रही तापीय विद्युत परियोजनाएं:

क्रम सं.	केन्द्र	क्षमता(मे.वा. में)	राज्य
1.	गडवाड़ा	2640	मध्य प्रदेश
2.	लारा	4000	छत्तीसगढ़
3.	तलचर विस्तार	1320	ओडिशा
4.	कुडगी	4000	कर्नाटक
5.	दारीपल्ली	3200	ओडिशा
6.	गजमारा	3200	ओडिशा
7.	गिद्दरबाहा	2640	पंजाब
8.	कटवा	1600	पश्चिम बंगाल
9.	धुवरन	1980	गुजरात
10.	खरगोन	1320	मध्य प्रदेश
11.	पुडीमडगा	4000	आन्ध्र प्रदेश
12.	बिल्हौर	1320	उत्तर प्रदेश
13.	कठुवा	500	जम्मू व कश्मीर
14.	बरेठी	3960	मध्य प्रदेश

परियोजनाओं की उपर्युक्त श्रेणियों(एनपीसीआईएल तथा एनटीपीसी की परियोजनाएं) के लिए शेष 50% विद्युत का आबंटन नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार किया जाना है:

- संस्थापित क्षमता का 15% गैर-आबंटित के रूप में भारत सरकार के विवेकानुसार।
- केन्द्रीय फार्मूला के अनुसार अन्य घटकों (गृह राज्यों को छोड़कर) का शेष 35% तथा बरेठी के लिए कुल क्षमता का 35% उत्तर प्रदेश को जाएगा।

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 (अक्टूबर, 2013 तक) के दौरान राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति के साथ-साथ सीईए द्वारा प्रकाशित लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट(एलजीबीआर) के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान प्रत्याशित विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(ख) और (ग): किसी राज्य की विद्युत जरूरतों की पूर्ति उस राज्य के स्वयं के उत्पादन, केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों (सीजीएस) में उनके हिस्से तथा प्रत्यक्ष द्विपक्षीय करारों के माध्यम से उपलब्ध विद्युत के साथ ही विद्युत आदान-प्रदान के माध्यम से की जाती है। भारत सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों को सीजीएसएस से विद्युत आबंटन के माध्यम से पूरा करती है। इस प्रकार सीजीएसएस से राज्यों को उनके विद्युत आबंटन की आपूर्ति, उनकी आवश्यकता के एक भाग की ही पूर्ति करती है। अतः सामान्यतः सीजीएसएस से विद्युत आबंटन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की मांग से कम रहता है। अप्रैल से अक्टूबर, 2013 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश तथा झारखण्ड की अधिकतम मांग क्रमशः 7663 मे.वा. और 1111 मे.वा. थी। इस मांग की तुलना

में अधिकतम मांग के घंटों में सीजीएसएस से 31.10.2013 की स्थिति के अनुसार इन राज्यों को क्रमशः 4512 मेगावाट तथा 543 मेगावाट विद्युत आबंटित की गयी थी। अप्रैल से अक्टूबर, 2013 तक की अवधि के दौरान राज्य/ संघ शासित क्षेत्र-वार

अधिकतम मांग तथा 31 अक्टूबर, 2013 की स्थिति के अनुसार अधिकतम मांग के घंटों में उनको किए गए कुल आबंटन का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(घ) विभिन्न राज्यों में लंबित पड़ी परियोजनाओं के विवरण सीईए के पास उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। अतएव थर्मल पावर परियोजनाओं के प्रस्ताव सीईए को प्राप्त नहीं होते हैं।

झारखण्ड सहित विभिन्न राज्यों में लंबित पड़ी विद्युत परियोजनाओं से संबंधित कोई सूचना सीईए के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, 8790 मेगावाट की समेकित संस्थापित क्षमता वाली 23 जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(इनडीपीआर की सूची **अनुबंध-III** पर दी गई है) सहमति हेतु सीईए, सीडब्ल्यूसी, जीएसआई तथा सीएसएमआरएस में जांच की जा रही है। झारखण्ड की किसी भी जल विद्युत परियोजना की डीपीआर जांच के अधीन नहीं है।

(ङ) योजना आयोग के अनुसार 12वीं योजना में जोड़ी जाने वाली उत्पादन क्षमता (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के 30,000 मेगावाट को छोड़कर) 88,537 मेगावाट होगी। विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्द्धन हेतु वर्तमान में कुल 14322 मेगावाट क्षमता की 48 जल विद्युत परियोजनाएं(25 मेगावाट से ऊपर) निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

देश की जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में शीघ्रता लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 के 73(एफ) के अनुसरण में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) विद्युत परियोजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रत्येक परियोजना की प्रगति को बार-बार कार्य स्थलों के दौरों, विकासकर्ताओं से बातचीत और मासिक प्रगति रिपोर्टों के समीक्षात्मक अध्ययन के माध्यम से निरंतर मॉनीटर किया जाता है। महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान हेतु सीईए के अध्यक्ष विकासकर्ताओं तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समीक्षा बैठकें करते हैं।

(ii) स्वतंत्र रूप से फॉलोअप तथा जल विद्युत परियोजनाओं को मॉनीटर करने के लिए विद्युत मंत्रालय में पावर प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग पैनल(पीपीएमपी) स्थापित किया गया है।

(iii) विद्युत मंत्रालय, सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर निर्माताओं, राज्य यूटिलिटीज/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ समीक्षा बैठकें करता है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

****

वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013				अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,637	1,637	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	26,088	25,950	-138	-0.5	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	41,407	38,209	-3,198	-7.7	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	8,992	8,744	-248	-2.8	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू कश्मीर	15,410	11,558	-3,852	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0
पंजाब	48,724	46,119	-2,605	-5.3	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	55,538	53,868	-1,670	-3.0	8,940	8,515	-425	-4.8
उत्तर प्रदेश	91,647	76,446	-15,201	-16.6	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखंड	11,331	10,709	-622	-5.5	1,759	1,674	-85	-4.8
उत्तरी क्षेत्र	**300,774**	**273,240**	**-27,534**	**-9.2**	**45,860**	**41,790**	**-4,070**	**-8.9**
छत्तीसगढ़	17,302	17,003	-299	-1.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	93,662	93,513	-149	-0.2	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	51,783	46,829	-4,954	-9.6	10,077	9,462	-615	-6.1
महाराष्ट्र	123,984	119,972	-4,012	-3.2	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन एवं दीव	1,991	1,860	-131	-6.6	311	286	-25	-8.0
दादर नागर हवेली	4,572	4,399	-173	-3.8	629	629	0	0.0
गोवा	3,181	3,107	-74	-2.3	524	475	-49	-9.4
पश्चिमी क्षेत्र	**296,475**	**286,683**	**-9,792**	**-3.3**	**40,075**	**39,486**	**-589**	**-1.5**
आंध्र प्रदेश	99,692	82,171	-17,521	-17.6	14,582	11,630	-2,952	-20.2
कर्नाटक	66,274	57,044	-9,230	-13.9	10,124	8,761	-1,363	-13.5
केरल	21,243	20,391	-852	-4.0	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	92,302	76,161	-16,141	-17.5	12,736	11,053	-1,683	-13.2
पुडुचेरी	2,331	2,291	-40	-1.7	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	36	36	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**281,842**	**238,058**	**-43,784**	**-15.5**	**38,767**	**31,586**	**-7,181**	**-18.5**
बिहार	15,409	12,835	-2,574	-16.7	2,295	1,784	-511	-22.3
डीवीसी	17,299	16,339	-960	-5.5	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखंड	7,042	6,765	-277	-3.9	1,263	1,172	-91	-7.2
ओडिशा	25,155	24,320	-835	-3.3	3,968	3,694	-274	-6.9
प. बंगाल	42,143	41,842	-301	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	409	409	0	0.0	95	95	0	0.0
अंदमान निकोबार	241	186	-55	-23	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	**107,457**	**102,510**	**-4,947**	**-4.6**	**16,655**	**15,415**	**-1,240**	**-7.4**
अरूणाचल प्रदेश	589	554	-35	-5.9	116	114	-2	-1.7
असम	6,495	6,048	-447	-6.9	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	574	543	-31	-5.4	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,828	1,607	-221	-12.1	334	330	-4	-1.2
मिजोरम	406	378	-28	-6.9	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	567	535	-32	-5.6	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	1,108	1,054	-54	-4.9	229	228	-1	-0.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**11,566**	**10,718**	**-848**	**-7.3**	**1,998**	**1,864**	**-134**	**-6.7**
अखिल भारतीय	**998,114**	**911,209**	**-86,905**	**-8.7**	**135,453**	**123,294**	**-12,159**	**-9.0**

लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में स्टैंड अलोन प्रणाली है, इनमें विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।

टिप्पणी : विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम मांग और ऊर्जा उपलब्धता निवल खपत को प्रदर्शित करता है (पारेषण हानियों सहित)। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों के खपत में शामिल किया गया है।

वर्ष 2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2013 - अक्टूबर, 2013				अप्रैल, 2013 - अक्टूबर, 2013			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,058	1,058	0	0	345	345	0	0
दिल्ली	17,901	17,848	-53	-0.3	6,035	5,653	-382	-6.3
हरियाणा	28,448	28,245	-203	-0.7	8,114	8,114	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	5,399	5,271	-128	-2.4	1,561	1,270	-291	-18.6
जम्मू कश्मीर	8,625	6,559	-2,066	-24.0	2,450	1,852	-598	-24.4
पंजाब	33,860	33,183	-677	-2.0	10,089	8,733	-1,356	-13.4
राजस्थान	31,545	31,429	-116	-0.4	8,929	8,913	-16	-0.2
उत्तर प्रदेश	57,178	48,931	-8,247	-14.4	13,089	12,115	-974	-7.4
उत्तराखंड	7,050	6,779	-271	-3.8	1,760	1,709	-51	-2.9
उत्तरी क्षेत्र	**191,064**	**179,303**	**-11,761**	**-6.2**	**45,934**	**42,774**	**-3,160**	**-6.9**
छत्तीसगढ़	11,121	11,020	-101	-0.9	3,365	3,320	-45	-1.3
गुजरात	53,062	53,054	-8	0.0	12,201	12,201	0	0.0
मध्य प्रदेश	26,389	26,380	-9	0.0	7,663	7,663	0	0.0
महाराष्ट्र	72,018	70,869	-1,149	-1.6	17,381	16,670	-711	-4.1
दमन एवं दीव	1,339	1,339	0	0.0	316	291	-25	-7.9
दादर नागर हवेली	3,202	3,202	0	0.0	661	661	0	0.0
गोवा	2,080	2,065	-15	-0.7	494	490	-4	-0.8
पश्चिमी क्षेत्र	**169,211**	**167,929**	**-1,282**	**-0.8**	**38,054**	**37,361**	**-693**	**-1.8**
आंध्र प्रदेश	55,451	50,613	-4,838	-8.7	14,072	11,914	-2,158	-15.3
कर्नाटक	35,602	31,473	-4,129	-11.6	9,934	8,256	-1,678	-16.9
केरल	12,241	11,825	-416	-3.4	3,538	3,233	-305	-8.6
तमिलनाडु	55,564	52,181	-3,383	-6.1	13,380	11,877	-1,503	-11.2
पुडुचेरी	1,427	1,403	-24	-1.7	351	332	-19	-5.4
लक्षद्वीप	28	28	0	0	9	9	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**160,289**	**147,499**	**-12,790**	**-8.0**	**39,015**	**34,151**	**-4,864**	**-12.5**
बिहार	8,892	8,438	-454	-5.1	2,465	2,221	-244	-9.9
डीवीसी	10,042	9,986	-56	-0.6	2,745	2,745	0	0.0
झारखंड	4,067	3,963	-104	-2.6	1,111	1,069	-42	-3.8
ओडिशा	14,890	14,660	-230	-1.5	3,727	3,722	-5	-0.1
प. बंगाल	26,706	26,628	-78	-0.3	7,325	7,290	-35	-0.5
सिक्किम	224	224	0	0.0	90	90	0	0.0
अंदमान निकोबार	140	105	-35	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	**64,821**	**63,899**	**-922**	**-1.4**	**15,885**	**15,528**	**-357**	**-2.2**
अरूणाचल प्रदेश	312	291	-21	-6.7	115	113	-2	-1.7
असम	4,612	4,302	-310	-6.7	1,329	1,220	-109	-8.2
मणिपुर	335	318	-17	-5.1	125	124	-1	-0.8
मेघालय	991	902	-89	-9.0	296	286	-10	-3.4
मिजोरम	250	242	-8	-3.2	70	68	-2	-2.9
नागालैंड	339	332	-7	-2.1	109	103	-6	-5.5
त्रिपुरा	719	681	-38	-5.3	254	250	-4	-1.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**7,558**	**7,068**	**-490**	**-6.5**	**2,164**	**2,048**	**-116**	**-5.4**
अखिल भारतीय	**592,943**	**565,698**	**-27,245**	**-4.6**	**135,561**	**129,815**	**-5,746**	**-4.2**

लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में स्टैंड अलोन प्रणाली है, इनमें विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।

टिप्पणी : विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम मांग और ऊर्जा उपलब्धता निवल खपत को प्रदर्शित करता है (पारेषण हानियों सहित)। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों के खपत में शामिल किया गया है।

वर्ष 2013-14 के लिए राज्य/प्रत्येक राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों में अनुमानित विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष (+)/कमी (-)		मांग	उपलब्धता	अधिशेष (+)/कमी (-)	
	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1750	1769	19	1.1	370	301	-69	-18.7
दिल्ली	26910	39464	12554	46.7	6100	6043	-57	-0.9
हरियाणा	44700	51536	6836	15.3	7900	8365	465	5.9
हिमाचल प्रदेश	9425	9682	257	2.7	1540	2132	592	38.4
जम्मू कश्मीर	16240	16657	417	2.6	2575	2358	-217	-8.4
पंजाब	50850	40819	-10031	-19.7	12200	9075	-3125	-25.6
राजस्थान	59770	50747	-9023	-15.1	9300	8135	-1165	-12.5
उत्तर प्रदेश	97785	80203	-17582	-18.0	14400	11606	-2794	-19.4
उत्तराखंड	12455	10542	-1913	-15.4	1900	1774	-126	-6.6
उत्तरी क्षेत्र	**319885**	**301418**	**-18467**	**-5.8**	**47500**	**46879**	**-621**	**-1.3**
छत्तीसगढ़	21410	21484	74	0.4	3120	3236	116	3.7
गुजरात	76808	81510	4702	6.1	11850	11832	-18	-0.2
मध्य प्रदेश	59431	63112	3681	6.2	9494	11432	1939	20.4
महाराष्ट्र	118455	106880	-11575	-9.8	18250	19738	1488	8.2
दमन एवं दीव	2115	2220	105	5.0	262	246	-16	-5.9
दादर नागर हवेली	5315	5116	-199	-3.7	625	610	-15	-2.5
गोवा	3219	3075	-144	-4.5	460	437	-23	-4.9
पश्चिमी क्षेत्र	**286752**	**283396**	**-3356**	**-1.2**	**43456**	**46389**	**2934**	**6.8**
आंध्र प्रदेश	109293	99398	-9895	-9.1	15955	13985	-1970	-12.4
कर्नाटक	75947	58345	-17602	-23.2	11925	8663	-3262	-27.4
केरल	22384	16824	-5560	-24.8	3731	2813	-918	-24.6
तमिलनाडु	99765	73323	-26442	-26.5	14970	9871	-5099	-34.1
पुडुचेरी	2451	2693	242	9.9	363	356	-7	-1.8
दक्षिणी क्षेत्र	**309840**	**250583**	**-59257**	**-19.1**	**44670**	**33001**	**-11669**	**-26.1**
बिहार	15268	12361	-2906	-19.0	2750	1954	-796	-29.0
डीवीसी	19605	24740	5135	26.2	2800	4354	1554	55.5
झारखंड	8609	8022	-587	-6.8	1285	1381	96	7.5
ओडिशा	27130	26911	-219	-0.8	3800	4238	438	11.5
प. बंगाल	48489	58965	10476	21.6	8045	8338	293	3.7
सिक्किम	531	881	350	65.8	125	163	38	30.0
पूर्वी क्षेत्र	**119632**	**131880**	**12248**	**10.2**	**18257**	**19700**	**1443**	**7.9**
अरूणाचल प्रदेश	655	539	-116	-17.7	135	128	-7	-5.2
असम	7031	5647	-1384	-19.7	1368	1046	-322	-23.5
मणिपुर	596	659	63	10.6	146	140	-6	-4.1
मेघालय	1905	2063	158	8.3	369	359	-10	-2.7
मिजोरम	430	505	75	17.5	82	92	10	12.2
नागालैंड	591	558	-33	-5.6	125	114	-11	-8.8
त्रिपुरा	1216	1052	-164	-13.5	355	301	-54	-15.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**12424**	**11024**	**-1400**	**-11.3**	**2251**	**2025**	**-226**	**-10.0**
अखिल भारतीय	**1048533**	**978301**	**-70232**	**-6.7**	**144225**	**140964**	**-3261**	**-2.3**

****

अनुबंध-।।

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

****

व्यस्ततम मांग और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से राज्यों के कुल हिस्से का ब्यौरा		
राज्य/क्षेत्र	व्यस्ततम मांग (मेगावाट) (अक्टूबर, 2013)	सीजीएस से कुल मेगावाट हिस्सा (31.10.2013 के अनुसार)
चंडीगढ़	245	219
दिल्ली	4495	4394
हरियाणा	6430	2405
हिमाचल प्रदेश	1428	1031
जम्मू कश्मीर	2320	1794
पंजाब	7332	2463
राजस्थान	7899	2704
उत्तर प्रदेश	12134	5882
उत्तराखंड	1670	876
छत्तीसगढ़	2935	1127
गुजरात	11175	3368
मध्य प्रदेश	7663	4512
महाराष्ट्र	16575	6649
दमन एवं दीव	316	317
दादर नागर हवेली	660	827
गोवा	434	491
आंध्र प्रदेश	12320	3694
कर्नाटक	8803	1882
केरल	3432	1644
तमिलनाडु	12388	4105
पुडुचेरी	350	390
बिहार	2371	1940
झारखंड	1111	543
ओडिशा	3596	1697
प. बंगाल	6670	1548
सिक्किम	90	149
अरूणाचल प्रदेश	115	133
असम	1266	733
मणिपुर	114	123
मेघालय	278	206
मिजोरम	61	74
नागालैंड	99	79
त्रिपुरा	254	105

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या-105 के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

****

जांचाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	योजना	क्षेत्र	एजेंसी	यूनिट **x**मेगावाट	संस्थापित क्षमता(मेगावाट)
	जम्मू व कश्मीर				
1	किरू	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपी	4x165	660
2	न्यू गांदेरवाल	राज्य	जेकेपीडीसी	3x31	93
3	किरथाए-I	राज्य	जेकेपीडीसी	4x95+1x10	390
	हिमाचल प्रदेश				
4	सेली	निजी	एसएचपीसीएल	4x100	400
5	छतरू	निजी	डीएससी	3x42	126
6	लुहरी	केन्द्रीय	एसजेवीएनएल	**3x196**	**588**
7	चांगो यांग थांग	निजी	एमपीसीएल	**3x46.67**	**140**
8	सच खास	निजी	एल एंड टी एचएचपीएल	**3x86.67+1x7**	**267**
	उत्तराखण्ड				
9	जेलम तमक	केन्द्रीय	टीएचडीसीआईएल	**3x36**	**108**
10	बोवला नंद प्रयाग	राज्य	यूजेवीएनएल	**4x75**	**300**
	बिहार				
11	डगमारा	राज्य	बीएसएचपीसीएल	**17x7.65**	**130**
	नागालैंड				
12	दिखू	निजी	एनएमपीएसपीएल	**3x62**	**186**
	असम				
13	लोअर कोपली	राज्य	एपीजीसीएल	**2x55+1x5+2x 2.5**	**120**
	मेघालय				
14	क्यांसी-I	निजी	एथेना क्योन्सी प्रा. लि.	**2x135**	**270**
15	उमंगोट	राज्य	एमपीजीसीएल	**3x80**	**240**
	अरुणाचल प्रदेश				
16	कलाए-II	निजी	कलाई पीपीएल	**6x200**	**1200**
17	देमवे अपर	निजी	एलयूपीएल	**5x206+1x50**	**1080**
18	तगुरशिट	निजी	एलटीएएचपीएल	**3x24.67**	**74**
19	न्युकचरोंग चू	निजी	एसएनसीपीसीएल	**3x32**	**96**
20	तातो-I	निजी	एसएचपीपीएल	**3x62**	**186**
21	हियो	निजी	एचएचपीपीएल	**3x80**	**240**
22	सुबानसिरीमध्य (कमला)	निजी	मै. केएचईपीसीएल	**8x216+2x36**	**1800**
23	मागोचू	निजी	मै. एसएमसीपीसीएल	**3x32**	**96**
	कुल				**8790**

****

भ्भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-109
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिनियम, 2003 की अनुपालना

109. श्री पशुपति नाथ सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 केउपबंधों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करनेके लिए कोई केन्द्रीय निकाय/प्राधिकरण गठितकिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क)और(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक उपयुक्त आयोग जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी), राज्य विद्युत विनियामक आयोग(एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग(जेईआरसी), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए), लोड डिस्पैच केन्द्र और जिला समितियाँ शामिल हैं, पर इन सभी पर अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की निगरानी का दायित्व है। अधिनियम के संगत प्रावधान जैसे धाराएं 79 और 86 क्रमशः केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) और राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) के कार्यों से संबंधित है, धारा 73 सीईए के कार्यों से संबंधित है, धारा 28 और 32 लोड डिस्पैच केन्द्रों के कार्यों से संबंधित है और धारा 166(5) जिला समितियों से संबंधित है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 142 के अधीन उपयुक्त आयोग को किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई नीतियों, नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति पर अर्थदंड लगाने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 143 के तहत आयोग को किसी व्यक्ति पर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र(आरएलडीसी) के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर अर्थदंड लगाने का भी अधिकार है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-121
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

यूएमपीपी की स्थापना

121. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशीः
श्री अर्जुन रायः
श्री एस॰एस॰ रामासुब्बूः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन हेतु अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना हेतु वर्ष 2005 में कोई पहल की थी;

(ख) यदि हां, तो यूएमपीपी की स्थापना हेतु चिन्हित स्थानों तथा प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता सहित तत्संबंधी परियोजना–वार/राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में स्थापित की जा रही/प्रस्तावित यूएमपीपी सहित प्रत्येक की वर्तमान स्थिति क्या है और इन यूएमपीपी को ईंधन की आपूर्ति हेतु की गई/की जा रही व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन यूएमपीपी की स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय ने प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विभिन्न राज्यों में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता (प्रत्येक) की कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास के लिए पहल की है। देश के विभिन्न भागों में सोलह यूएमपीपी चिह्नित किए जा चुके हैं। इनमे से, आठ यूएमपीपी कोयला मंत्रालय द्वारा आबंटित किए जाने वाले कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के घरेलू कोयले पर आधारित हैं तथा आठ यूएमपीपी आयातित कोयले पर आधारित हैं, जिसका प्रबंध विकासकर्ता द्वारा किया जाना है। घरेलू कोयला ब्लॉक पर आधारित आठ यूएमपीपी में से, छह यूएमपीपी के लिए ब्लॉक्स आबंटित/चिह्नित किए जा चुके हैं। इन सभी यूएमपीपी का ब्यौरा **अनुबंध-I**पर हैं।

(घ) :इन यूएमपीपी की स्थापना में विलंब के कारण हैं- मेजबान राज्यों द्वारा स्थलों को अंतिम रूप न दिया जाना, भूमि अंतरण/अधिग्रहण में विलंब, भारत के बाहर कोयले के निर्यात से संबंधित नए विनियम, वन संबंधी मामले, विशेषकर "गो/नो गो क्षेत्र का श्रेणीकरण", पर्यावरण एवं वन स्वीकृति में विलंब इत्यादि। इन मामलों को संबंधित मंत्रालय/विभाग तथा राज्य सरकारों के साथ शीघ्र समाधान के लिए उठाया गया है।

(ङ) : अवार्ड किए गए यूएमपीपी की सूची विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अनुसार चालू होने की अनुसूची के ब्यौरे सहित **अनुबंध-II**पर है।

****

अनुबंध-I

दिनांक 05.12.2013 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 121 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क. अवार्ड किए गए यूएमपीपी

क्र. सं.	यूएमपीपी (क्षमता)	स्थान	स्थिति	ईंधन प्रबंध
		मध्य प्रदेश		
1	सासन (6x660 मेगावाट)	जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सासन	परियोजना दिनांक 7.8.2007 को मैसर्स रिलायन्स पावर लिमिटेड को अवार्ड और स्थानांतरित की गई। सासन यूएमपीपी (660 मेगावाट) की प्रथम यूनिट मई, 2013 में चालू हो गई है।	मोहर (402 एमटी), मोहर-अमलोहरी एक्सटेंशन (198 एमटी) और छत्रसाल (160 एमटी) कोल ब्लॉक
		गुजरात		
2	मुन्द्रा (5x800 मेगावाट)	जिला कच्छ, गुजरात में टुण्डावन्द गांव में मुन्द्रा	परियोजना दिनांक 24.4.2007 को मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को अवार्ड और स्थानांतरित की गई। मुंद्रा यूएमपीपी पूरी तरह से चालू है तथा विद्युत उत्पादन कर रही है।	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया गया)
		आन्ध्र प्रदेश		
3	कृष्णापटनम (6x660 मेगावाट)	जिला नेल्लौर आन्ध्रप्रदेश में कृष्णापटनम	परियोजना दिनांक 29.01.2008 को मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को रु.2.33/कि.वा.घं. के लेवलाइज्ड प्रशुल्क पर अवार्ड और स्थानांतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयले की कीमत के नए विनियम को दर्शाते हुए कार्य स्थल पर काम रोक दिया है। प्रमुख प्रापक नामतः एपीएसपीडीसीएल ने सीएपीएल को यह बताते हुए समाप्ति सूचना जारी कर दी है कि चूक तथा प्रत्याशित भंग के परिप्रेक्ष्य में, कोई विकल्प न रहने पर, प्रापकों ने मिलकर करार समाप्ति का निर्णय लिया है। सीएपीएल दिल्ली की माननीय उच्च न्यायालय में चली गई है। न्यायालय ने सीएपीएल की याचिका को खारिज कर दिया है। सीएपीएल ने अब डिविजन बेंच, दिल्ली उच्च न्यायालय और भारतीय मध्यस्थ परिषद में याचिका दाखिल की है। सीईआरसी में भी एक अन्य याचिका दाखिल है। मामला अब न्यायाधीन है।	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया गया)
		झारखण्ड		
4	तिलैया (6x660) मेगावाट	झारखंड के हजारीबाग तथा कोडरमा जिले में तिलैया गांव के निकट	परियोजना मैसर्स रिलायन्स पावर लिमिटेड को 7.8.2009 को अवार्ड और स्थानांतरित की गई। संयंत्र का निर्माण रुका हुआ है क्योंकि झारखण्ड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि सौंपी नहीं गई है।	केरनदारी बी एण्ड सी (972 एमटी) उत्तरी करनपुरा कोल क्षेत्र में कोल ब्लॉक

ख. अन्य यूएमपीपी

ओडिशा				
5	बेडाबहल (4000 मेगावाट)	सुन्दरगढ़ जिला, उड़ीसा में बेडाबहल के निकट	इस यूएमपीपी के लिए स्थल सुंदरगढ़ जिले में बेडाबहल गांव में है। अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) 25.09.2013 को जारी किया गया है।	मीनाक्षी (285 एमटी), मीनाक्षी बी (250 एमटी), मीनाक्षी (350 एमटी) कोल ब्लॉक की डिप साइड
6	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी (4000 मेगावाट)	भद्रक जिले की चांदबली तहसील में बिजोयपाटना में स्थल चिह्नित किया गया है।	- -	बनखुई (800 एमटी) कोल ब्लॉक
7	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी (4000 मेगावाट)	अंतर्स्थल हेतु कालाहाण्डी जिले की नारला और कसिंगा सब डिविजन में स्थल चिन्हित किए गए हैं।	- -	घोगारपल्ली और घोगारपल्ली कोल ब्लॉक की डिप साइड (चिह्नित)
छत्तीसगढ़				
8	छत्तीसगढ़ (4000 मेगावाट)	जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ में सलका और खमरिया गांवों के समीप	इस यूएमपीपी का स्थल सरगुजा जिले में है। इस यूएमपीपी के लिए आरएफक्यू 15.03.2010 को जारी किया गया था। एमओईएफ ने सूचित किया है कि कैप्टिव कोयला ब्लॉक अनुलंघनीय क्षेत्रों में हैं। कोयला ब्लॉक की स्वीकृति के लिए एमओईएफ के साथ मामले को उठाया जा रहा है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि परियोजना के लिए आरएफक्यू, छत्तीसगढ़ यूएमपीपी को आबंटित कोयला ब्लॉक की स्वीकृति मिलने अथवा नए कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाने पर ही संशोधित एसबीडी पर नए सिरे से जारी किए जाएं। तद्नुसार, 4000 मेगावाट की छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए 15.03.2010 को जारी आरएफक्यू को वापिस ले लिया गया है।	पिंडारखी (421.51 एमटी) और पुतापरोगिया (692.16 एमटी) कोल ब्लॉक
तमिलनाडु				
9	तमिलनाडु (4000 मेगावाट)	गांव चेय्यूर, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु	तमिलनाडु में कांचीपुरम जिले में चेय्यूर में स्थल को पणिपुर गांव में कैप्टिव पोर्ट के साथ-साथ चिह्नित किया गया है। इस यूएमपीपी की आरएफक्यू को 26.09.2013 को जारी किया गया है।	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया जाना है)
10	तमिलनाडु का दूसरा यूएमपीपी (4000 मेगावाट)	अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	--	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया जाना है)
आन्ध्र प्रदेश				
11	आन्ध्रप्रदेश का दूसरा यूएमपीपी (4000 मेगावाट)	गांव न्यूनिपल्ली, जिला प्रकाशम, आन्ध्रप्रदेश	आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में न्यूनीपल्ली गांव में स्थल को अंतिम रूप दिया गया है।	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया जाना है)
झारखण्ड				
12	झारखंड का दूसरा यूएमपीपी (4000 मेगावाट)	हुसैनाबाद, देवघर जिले में स्थल चिन्हित किया गया है।	--	कैप्टिव कोल ब्लॉक

गुजरात				
13	गुजरात का दूसरा यूएमपीपी (4000 मेगावाट)	अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	--	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया जाना है)
कर्नाटक				
14	कर्नाटक (4000 मेगावाट)	राज्य सरकार ने मंगलोर तालुका, दक्षिण कन्नड़ जिले के निदोडी गांव में उपयुक्त स्थल चिन्हित किया है।	--	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया जाना है)
महाराष्ट्र				
15	महाराष्ट्र (4000 मेगावाट)	अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।	--	आयातित कोयला (विकासकर्ता द्वारा प्रबंध किया जाना है)
बिहार				
16	बिहार (4000 मेगावाट)	बांका जिले के ककवारा में स्थल चिन्हित किया गया है।	--	कैप्टिव कोल ब्लॉक

****

अनुबंध-II

दिनांक 05.12.2013 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 121 के भाग (ङ)के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

क्रम सं.	यूएमपीपी का नाम	पीपीए के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की निर्धारित तिथि (सीओडी)	वास्तविक सीओडी
1.	मुंद्रा यूएमपीपी, गुजरात	यूनिट-1 : 08/12 यूनिट-2 : 02/13 यूनिट-3 : 08/13 यूनिट-4 : 02/14 यूनिट-5 : 08/14	यूनिट-1 : 07.03.2012 यूनिट-2 : 30.7.2012 यूनिट-3 : 27.10.2012 यूनिट-4 : 21.01.2013 यूनिट-5 : 22.03.2013. मुंद्रा यूएमपीपी पूरी तरह से चालू है और विद्युत उत्पादन कर रहा है।
2.	सासन यूएमपीपी, मध्य प्रदेश	यूनिट-1 : 05/13 यूनिट-2 : 12/13 यूनिट-3 : 07/14 यूनिट-4 : 02/15 यूनिट -5 : 09/15 यूनिट-6 : 04/16	यूनिट-1 : 06.05.2013. यूनिट-2 : 12/13 यूनिट-3 : 07/14 यूनिट-4 : 02/15 यूनिट -5 : 09/15 यूनिट-6 : 04/16
3	कृष्णापट्टनम यूएमपीपी, आंध्र प्रदेश	यूनिट-1 : 06/13 यूनिट-2 : 10/13 यूनिट-3 : 02/14 यूनिट-4 :06/14 यूनिट-5 : 10/14 यूनिट-6 : 02/15	विकासकर्ता ने निर्माण कार्य रोक दिया है। प्रापक ने समाप्ति सूचना जारी कर दी है। मामला न्यायाधीन है।
4.	तिलैया यूएमपीपी, झारखण्ड	यूनिट-1 : 05/15 यूनिट-2 : 10/15 यूनिट-3 : 03/16 यूनिट-4 : 08/16 यूनिट -5 : 01/17 यूनिट-6 : 06/17	संयंत्र का निर्माण अभी प्रारंभ किया जाना है क्योंकि झारखण्ड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि का हस्तातंरण नहीं किया गया है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-125
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी का लाभ50

125. श्री दिनेश चन्द्र यादवः
श्री अनंत कुमार हेगड़ेः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष औरचालू वर्ष की अर्द्ध प्रथम छमाहीके दौरान राष्ट्रीयताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वाराअर्जित लाभ या हुई हानि कितनी रही;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन में कमी के कारणचालू वर्ष की प्रथम पहली छमाही के दौरानएनटीपीसी द्वारा अर्जित लाभ में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो विगत वर्ष की समानअवधि के दौरान उत्पादन की तुलना में चालू वर्षमें अप्रैल से सितम्बर माह में उत्पादन में किस स्तरतक कमी आई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदमउठाए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) : एनटीपीसी द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष की प्रथम छमाही में अर्जित लाभ निम्नानुसार हैः

वर्ष	**लाभ (करोड़ रू0)**
2010-11	9102.59
2011-12	9223.73
2012-13	12619.39
2013-14 (सितम्बर,2013 तक)	5019.92

(ख) : 2012-13 की इसी अवधि (अर्थात 2012-13 की प्रथम छमाही) की तुलना में एनटीपीसी का चालू वर्ष की प्रथम छमाही का लाभ विद्युत के उत्पादन में कमी के कारण कम नहीं हुआ है।

(ग) एवं (घ): उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-132
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं हेतु स्वीकृति

†132. **श्री भर्तृहरि महताबः**
श्रीमती सुमित्रा महाजनः
श्री सी॰ राजेन्द्रनः
श्रीमती पुतुल कुमारीः
श्री अरविन्द कुमार चौधरीः
श्रीमती सुस्मिता बाउरीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं पर रोकीगई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है औरविगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान क्षमता–वारऔर राज्य–वार ऐसी विद्युत परियोजनाओं को प्रदानकी गई पर्यावरणीय और अन्य स्वीकृतियों काब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तनावपूर्ण आर्थिक परिदृश्य उद्यमियोंको विभिन्न विद्युत परियोजनाओं से बाहर जाने केलिए बाध्य कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधीब्यौरा क्या है और उठाए गए कदमों सहित इस परसरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने में हुएविलंब के कारण विभिन्न विद्युत परियोजनाओं मेंपरियोजना–वार लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या हैऔर सरकार द्वारा राज्य–वार विशेषकर तमिलनाडुमें लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने केलिए उठाए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्याहै;

(घ) क्या विद्युत परियोजना डेवलपर विद्युतउत्पादन हेतु ईंधन प्राप्ति में कठिनाइयों का सामनाकर रहे हैं; और,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरइसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इनपरियोजनाओं हेतु ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चितकरने और विद्युत परियोजनाओं द्वारा सामना कीजा रहीं सभी समस्याओं के समाधान हेतु क्याकदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) :विभिन्न कारणों से रुकी हुई विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे **अनुबंध-I(क)** पर हैं।
उन परियोजनाओं के क्षमता-वार तथा राज्य-वार ब्यौरे, जिन्हें पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यावरणीय एवं अन्य स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं, **अनुबंध-I(ख)(थर्मल)** और **अनुबंध-I(ग) (हाइड्रो)** पर हैं।

(ख) :विद्युत मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) : विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के पूरे होने में देरी के कारण लागत में बढ़ोत्तरी के परियोजना-वार ब्यौरे **अनुबंध-II (क)** पर और निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की लागत में बढ़ोत्तरी के ब्यौरे **अनुबंध-II(ख)** पर हैं।

सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं को समय पर चालू किए जाने हेतु किए गए सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं:-

- सरकार ने स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) का गठन किया है। परियोजनाओं की स्वीकृति में तेजी लाने और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए रुकी हुई परियोजनाओं के लिए संबंधित भारत सरकार के मंत्रालयों/विभाग तथा राज्य सरकार के साथ प्रयत्न करने हेतु एक परियोजना निगरानी समूह (पीएसपी) भी गठित किया गया है।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है। कार्य-स्थल के बार-बार दौरों, विकासकर्ताओं के साथ बातचीत और मासिक प्रगति रिपोर्टों के समीक्षात्मक अध्ययन द्वारा प्रत्येक परियोजना की प्रगति की निरंतर निगरानी की जाती है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जल विद्युत/ताप विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र रूप से अनुवर्ती एवं निगरानी हेतु एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएसपी) स्थापित किया गया है।
- मंत्रालय द्वारा सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्ताओं आदे के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

(घ) और (ङ) : ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) सरकार ने जून, 2013 में निम्नलिखित का अनुमोदन किया है:

क. समग्र घरेलू उपलब्धता और वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, 78,000 मेगावाट की चिन्हित क्षमता के लिए 12वीं योजना के शेष चार वर्षों के लिए वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीयू) के 65%, 65%, 67% और 75%की मात्रा पर हतोत्साहन लगाने के लिए घरेलू कोयला संघटक हेतु एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

ख. अपने शेष एफएसए दायित्वों को पूरा करने के लिए, सीआईएल कोयले का आयात करे और इच्छुक टीपीपी को इसकी लागत जमा आधार पर आपूर्ति करे। टीपीपी यदि स्वयं कोयले के आयात का विकल्प चुनते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं।

(ii) विद्युत क्षेत्र के आबंटित कोयला ब्लॉकों की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि इनसे शीघ्रातिशीघ्र उत्पादन शुरू किया जा सके।

*****

अनुबंध-I(क)

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

निर्माण के विभिन्न चरणों में रुकी हुई परियोजनाओं का ब्यौरा					
क्रम सं.	**राज्य**	**परियोजना का नाम**	**कार्यान्वयन एजेंसी**	**क्षमता (मेगावाट)**	**संक्षिप्त स्थिति**
1	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबानसिरी	एनएचपीसी	2000	अनुप्रभावी प्रभावों के भय के कारण बाँध विरोधी आंदोलनकारियों के विरोध प्रदर्शन से कार्य 16.12.2011 से ही रुका हुआ है।
2	उत्तराखण्ड	स्रोनगर	जीवीके इण्डस्ट्रीज	330	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 30.05.2011 को कार्य रोक दिया था। - मामले में धरी देवी मंदिर का जलमग्न हो जाना शामिल है।
3	मध्य प्रदेश	महेश्वर	एसएमएचपीसीएल	400	नकद प्रवाह समस्या और आर एण्ड आर मामले
4	*छत्तीसगढ़*	लैंको अमरकंटक टीपीएस- II	एलएपी प्राइवेट लिमिटेड	1320	वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य रुका हुआ है।
5	*झारखण्ड*	मैत्रिसी उषा टीपीपी- फेज-I एवं फेज- II	कारपोरेट पावर लिमिटेड	1080	वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य रुका हुआ है।
6	*महाराष्ट्र*	अमरावती टीपीपी फेज- II	इण्डिया बुल्स	1350	कार्यस्थल पर कोई कार्य जारी नहीं है।
7	*महाराष्ट्र*	नासिक टीपीपी पेज- II	इण्डिया बुल्स	1350	कार्यस्थल पर कोई कार्य जारी नहीं है।
8	*महाराष्ट्र*	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	1320	वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य रुका हुआ है।
9	*मध्य प्रदेश*	गोंगरी टीपीपी (डीबी पावर)	डीबी पावर	660	कार्यस्थल पर कोई कार्य जारी नहीं है।
10	*ओडिशा*	केवीके नीलांचल टीपीपी	केवीके नीलांचल	1050	माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के स्टे के कारण कार्य रुका हुआ है।
11	*ओडिशा*	लैंको बाबंध टीपीपी	लैंको बाबंध पावर लिमिटेड	1320	वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य रुका हुआ है।
		कुल		**12180**	

****

अनुबंध-I(ख) (थर्मल)

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

****

चालू वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाने वाली ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	संयंत्र क्षमता (मेगावाट)	जिला	कंपनी	ईसी अनुमोदित तिथि
1	छत्तीसगढ़	कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की 1000 मेगावाट (4x250 मेगावाट) 4x600 मेगावाट (2400 मेगावाट) को जोड़ते हुए, का विस्तार	2400	रायगढ़	जिंदल ग्रुप- जिंदल पावर लिमिटेड	18-मार्च-11
2	छत्तीसगढ़	1320 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	1320	जाजंगीर चम्पा	डी.बी. पावर लिमिटेड	16-दिसं.-10
3	छत्तीसगढ़	1200 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	1200	रायगढ़	इस्पात-एसकेएस इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड	5-अक्टू.-10
4	छत्तीसगढ़	2X300मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	600	रायगढ़	कोरबा वेस्ट पावर को. लिमि. (अवन्था)	20-मई-10
5	छत्तीसगढ़	पाराघाट और बेलतुकरी गांव में 660 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना	660	बिलासपुर	टीआरएन एनर्जी प्रा. लिमि.	18-मार्च-11
6	छत्तीसगढ़	2x800 मेगावाट की रायगढ़ में लारा एसटीपीपी	1600	रायगढ़	मैसर्स एनटीपीसी लिमि.	13-दिसं.-12
7	छत्तीसगढ़	प्रेमनगर के सलका गांव में 2x660 मेगावाट का कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र	1320	सरगुजा	मैसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमि.	16.3.12
8	छत्तीसगढ़	रायखेड़ा गांव में 2x660 से 2x685 की कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल	1370	रायपुर	मैसर्स जीएमआर एनर्जी लिमि.	9.5.11
9	छत्तीसगढ़	रायगढ़ में 2x660 सुपर ताप विद्युत परियोजना	1320	रायगढ़	मैसर्स वीजा पावर लिमि.	2.8.11
10	छत्तीसगढ़	सुपर कोयला 2x660 आधारित टीपीपी सुपर क्रिटिकल	1320	रायगढ़	मैसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमि.	7.3.12
11	झारखण्ड	कोयला आधारित 2x330 मेगावाट/4x135 मेगावाट टीपीपी	660	लतेहर	कारपोरेट पावर लिमि.	11-नवं.-10
12	झारखण्ड	सुंदर पहाड़ी तालुके के पंकाघाट और निपनिया गांव में 2x660 मेगावाट कोयला आधारित कैप्टिव टीपीपी	1320	गोडा	मैसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमि.	22-दिसं.-10
13	मध्य प्रदेश	1320 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	1320	सिधी	डी.बी. पावर (एमपी) लिमि.	9-सितं.-10
14	मध्य प्रदेश	1200 मेगावाट टीपीपी	1200	अनूपपुर	मोजर बेयर लिमि.	28-मई-10
15	महाराष्ट्र	वरौरा में 1X300 मेगावाट फेज-2 टीपीपी	600	चंद्रापुर	जीएमआर एनर्जी लिमि. (ईएमसीओ)	25-मई-10
16	महाराष्ट्र	कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र 1320 मेगावाट से 3x660 मेगावाट जोड़ते हुए 3300 मेगावाट का विस्तार	1980	गोंडिया	अदानी पावर महाराष्ट्र प्रा. लिमि.	22-अप्रैल-10
17	महाराष्ट्र	सिन्नार में कोयला आधारित 2x660 मेगावाट टीपीपी	1320	नासिक	इण्डिया बुल्स रियलटेक लिमि.	28-जुलाई-10
18	महाराष्ट्र	चरण-IIके अंतर्गत अतिरिक्त यूनिट की स्थापना करते हुए 5x 270 नासिक टीपीपी का विस्तार	1350	नासिक	मैसर्स इण्डिया बुल्स पावर लिमि.	5.8.11
19	महाराष्ट्र	1x660 मेगावाट (यूनिट-VI) सुपर क्रिटिकल तकनीकी कोयला आधारित टीपीपी	660	जलगांव	मैसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमि.	27-नवं.-12
20	महाराष्ट्र	2x300 मेगावाट और 1x660 मेगावाटकोयला आधारित टीपीपी	1260	यवातमल	मैसर्स जिनभूबिस पावर जेनरेशन प्रा. लिमि.	30-जुलाई-12
21	महाराष्ट्र	नंदगांवपेथ्ज चरण-IIके अंतर्गत अतिरिक्त यूनिट की स्थापना करते हुए 5x 270 अमरावती टीपीपी का विस्तार	1350	अमरावती	मैसर्स इण्डिया बुल्स पावर लिमि.	27.5.11
22	महाराष्ट्र	300 मेगावाट टीपीपी विस्तार फेज-II	300	चंद्रापुर	जीएमआर एनर्जी लिमि. (ईएमसीओ)	25-मई-10
23	महाराष्ट्र	मांडवा गांव के समीप 1300 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना	1320	वर्धा	लैंको महानदी पावर प्रा. लिमि.	24-फर.-11
24	महाराष्ट्र	मौदा के समीप 2X660 मेगावाट टीपीपी	1320	नागपुर	एनटीपीसी लिमि.	30-दिसं.-10
25	आंध्र प्रदेश	जयपुर में 600 मेगावाटसे 2x600 मेगावाटकोयला आधारित टीपीपी का विस्तार	600	कृष्णा	सिंगारैनी कोलीरीज कंपनी लिमि.	27-दिसं.-10
26	बिहार	ज़बीनगर ताप विद्युत संयंत्र	1980	बिहार ओरंगाबाद	एनटीपीसी लिमि.	27-दिसं.-10
27	राजस्थान	कवाई ताप विद्युत स्टेशन में 1320 मेगावाट 2 x 660 मेगावाट टीपीपी	1320	बारन	अदानी पावर राजस्थान लिमि.	4-मई-11
28	झारखण्ड	गांव पद्मपुर में कोयला आधारित 3x270 मेगावाट टीपीपी की अभिवृद्धि द्वारा विद्यमान 1x270 मेगावाट का विस्तार	3x270	सरायकेला-खरसावन	मैसर्स आधुनिक पावर एण्ड मैचुरल रिसोर्सेस लिमि.	9.5.11
29	झारखण्ड	आयातित कोयले पर आधारित 1800 मेगावाट के टीपीपी का 1x600 मेगावाट (फेज-I का यूनिट- II) और 1x600 मेगावाट (चरण- II)	1200	लतेहर	मैसर्स एस्सार पावर झारखण्ड लिमि.	14-नवं.-13
30	कर्नाटक	केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र में 2x210 मेगावाट का आयातित कोयला आधारित निजी ताप विद्युत संयंत्र	420	रायचूर	सुराना पावर लिमि.	9-सितं.-10
31	महाराष्ट्र	2x660 मेगावाट का सुपर टीपीपी	1320	सोलापुर	एनटीपीसी लिमि.	27-दिसं.-10
32	तमिलनाडु	कुड्डालोर के समीप कोयला आधारित 4000 मेगावाट का टीपीपी निजी पत्तन एवं डिसेलाइनेशन संयंत्र	4000	कुड्डालोर	आईएलएण्डएफएसलिमि.	31-मई-10
33	तमिलनाडु	1X660मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोयला ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी)	660	तूतीकोरिन	इण्डिया-बराथपावर(मद्रास)लिमि.	12-जुलाई-10

34	तमिलनाडु	नेवैली नगर में 2x500मेगावाट का टीपीपी	1000	कुड्डालोर	नेवैलीलिग्नाइटकारपोरेशनलिमि.	21-अक्टू.-10
35	तमिलनाडु	ञूतीकोरिन में आयातित कोयला आधारित 1x525मेगावाट का टीपीपी स्टे-IV	525	तूतीकोरिन	स्पिकइलैक्ट्रिकपावरकारपोरेशनप्रा.लिमि.	3-नवं.-10
36	तमिलनाडु	2x660मेगावाट टीपीपी	1320	नागापट्टिनम	छेतीनाडपावरकारपोरेशनलिमि.	20-जन.-11
37	तमिलनाडु	2x660मेगावाट थर्मल मर्चैंट पावर प्लांट	1320	नागापट्टिनम	एनएसएलपावरलिमि.	13-अक्टू.-10
38	गुजरात	टुंडा, मुंद्रा में 2x660मेगावाट टीपीपी फेज- III	1320	कच्छ	अदानीपावरलिमि,	20-मई-10
39	मध्यप्रदेश	चितरंगी सिधी में 3960मेगावाट टीपीपी	3960	सिंगरौली	रिलायंस-चित्रांगीपावरप्रा.लिमि.	28-मई-10
40	आंध्रप्रदेश	मुथुकुर मंडल में गांव पेनामपुरम तथा शिवारामपुरम में आयातित कोयला आधारित 2X660मेगावाट का सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र	1320	नल्लोर	नेलकास्टएनजीकारपोरेशनलिमि.	30-सितं.-10
41	उत्तरप्रदेश	फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्टे- IV (500 मेगावाट)	500	रायबरेली	मैसर्सएनटीपीसीऊंचाहार	10-मई-13
42	उत्तरप्रदेश	कोयला आधारित 2x660मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र	1320	रमाबाईनगर	मैसर्सलैंकोअनपरापावरलिमि.	24-अग.-12
43	उत्तरप्रदेश	1320मेगावाट(2x660मेगावाट) कोयला आधारित टीपीपी	1320	रमाबाईनगर	मैसर्सहिमावतपावरप्रा.लिमि.	3-अग.-12
44	उत्तरप्रदेश	तहसील ललितपुर में 3X660मेगावाट का कोयला आधारित टीपी	1980	ललितपुर	ललितपुरपावरजेनरेशनकंपनीलिमि.(यूपीपीसीएल)	31-मार्च-11
45	उत्तरप्रदेश	गांव बहादुरपुर में टांडा ताप विद्युत परियोजना, स्टे-II2X660 मेगावाट)	1320	अम्बेडकरनगर	एनटीपीसीलिमि.	13-अप्रैल-11
46	उड़ीसा	कोयला आधारित प्रस्तावित 2x660 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र	1320	अंगुल	एनएसएलनागापट्टिनमपावरएण्डइंफ्राटेकप्रा.लिमि.	25-मार्च-13
47	उड़ीसा	कटक में 4x250मेगावाट का टीपीपी	1000	कटक	मैसर्सवीजापावरलिमि.	17.1.12
48	उड़ीसा	गांव मालीब्राह्मणी में 2x525मेगावाट का कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र	1050	धेंकंडल	इस्पात.मोनटपावरकंपनीलिमि.	29-जून-10
49	उड़ीसा	कटक में 2x660मेगावाट का टीपीपी	1320	कटक	मैसर्सवीजापावरलिमि.	17-जन.-12
50	उड़ीसा	कमलंगा में 1x350मेगावाट का कोयला आधारित टीपीपी के अभिवृद्धि द्वारा विस्तार	350	नल्लोर	मैसर्सजीएमआरकमलंगाएनर्जीप्रा.लि.	5.12.11
51	उड़ीसा	नाराजमाथापुर में 1X660मेगावाट	660	बांका	टाटापावरकंपनीलिमि.	15-फर.-11
52	आंध्रप्रदेश	कोल फायर्ड टीपीपी	1980	नल्लोर	मैसर्सकिनेतापावरप्रा.लिमि.	25.1.12
53	बिहार	गांव सिरिया में 4x660काकोयला आधारित टीपीपी	2640	बांका	जसइफ्रास्ट्रक्चरप्रा.लिमि.	1.7.11
54	गुजरात	2x660मेगावाट का कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र	1320	जूनागढ़	मैसर्ससकूरजीपालोनजीएनर्जी(गुजरात)प्रा.लिमि.	30-नवं.-12
55	गुजरात	आयातित कोयला आधारित 6x660मेगावाट (3960 मेगावाट) का सुपर क्रिटिकल तकनीकी टीपीपी	3960	जामनगर	मैसर्सयूनिवर्सलक्रेसेंटपावरप्रा.लिमि.	27-नवं.-12
56	गुजरात	बाघेल गांव के समीप 1300 मेगावाट का गैस आधारित विद्युत संयंत्र पीपी	1300	पटना	मैसर्सडीएमआईसीडीसीबाघेलपावरकंपनीलिमि.	30-जुलाई-12
57	गुजरात	दाहेज में कोयला आधारित 4x660का ताप विद्युत संयंत्र	2640	भरूच	मैसर्सअदानीपावरदाहेजलिमि.	25.10.11
58	गुजरात	संघीपुरम में कोयला आधारित 2x660मेगावाट सुपर टीपीपी	1320	कच्छ	संघीएनर्जीलिमि.	7.6.2011
59	कर्नाटक	कुडगी में 3x800एसटीपीपी स्टे.- I	2400	बीजापुर	मैसर्एनटीपीसीलिमि.	25.1.12
60	कर्नाटक	हासन में कोयला आधारित 500 मेगावाट टीपीपी	500	हसन	मैसर्सएचटीपी(पी)लिमि.	17.2.12
61	तमिलनाडु	आयातित कोयला फायर्ड आधारित 1x150मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र	150	नागापट्टिनमक	मैसर्सनागापट्टिनमएनर्जीलिमि.	29-नवं.-12
62	तमिलनाडु	सिरूपुलालपेट्टल में 1x150मेगावाट की विद्युत परियोजना	150	थिरूवल्लूर	मैसर्सएकोर्डएनर्जीकारपोरेशनप्रा.लिमि.	18.5.11
63	तमिलनाडु	सुपर क्रिटिकल आयातित और घरेलू कोयले पर आधारित 2x800मेगावाट	1600	थोटूकुडी	मैसर्सउडनगुड़ीपावरकारपोरेशनलिमि.	14-अक्टू.-13
64	तमिलनाडु	4000 मेगावाट चेय्यूर यूएमपीपी	4000	कांचीपुरम	मैसर्सकोस्टलतमिलनाडुपावरलिमि.	30-सितं-13
65	तमिलनाडु	सिरकाझी तालुक में अगारापेरूथोटम, कीलायुर और पेरुनथटम पंडारावाडई गांव में 3x660मेगावाट का कोल आधारित टीपीपी	1980	नागापट्टिनम	मैसर्ससिंद्यापावरजेनरेटिंगकंपनीलिमि.	8-मार्च-13
66	तमिलनाडु	चिदांबरम में 3x600मेगावाट का टीपीपी	1800	कुड्डालोर	मैसर्सएसआरएमएनर्जीलिमि.	18.5.11
67	पश्चिमबंगाल	2x500मेगावाट+20%-फेज-IIसागरदिघी ताप विद्युत परियोजना	1000	मुर्शिदाबाद	मैसर्सडब्ल्यूबीपीडीसीएल	18.5.11
68	मध्यप्रदेश	2x660मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल टीपीपी	1320	अनूपपुर	मैसर्सबेलस्पनएनर्जीअनूपपुरप्रा.लिमि.	27-नवं.-12
69	मध्यप्रदेश	2x800 मेगावाट गडरवारा एसटीपीपी,स्टे.-Iसुपर ताप विद्युत संयंत्र	1600		मैसर्सएनटीपीसीलिमि.	22-मार्च-13
70	मध्यप्रदेश	गांव धनौरा में कोयला आधारित 2X660मेगावाट पेंच टीपीपी	1320	छिंदवाड़ा	मैसर्सअदानीपेंचपावरलिमि.	16-अक्टू.-12
71	मध्यप्रदेश	कोयला आधारित 1980 मेगावाट (3x660मेगावाट) का प्रस्तावित टीपीपी	1980	कटनी	मैसर्सबेलस्पनएनर्जीमध्यप्रदेशलिमि.	1-जून-12
72	मध्यप्रदेश	1x500मेगावाट विंध्याचल एसटीपीपी,स्टेज-V	500	सिंगरौली	मैसर्सएनटीपीसीलिमि.	2-मई-12

73	राजस्थान	लिग्नाइट आधारित 1x250मेगावाट के परसिंगसर ताप विद्युत संयंत्र की अभिवृद्धि द्वारा विस्तार	250	बारसिंगसर	मैसर्सनेवेलीलिग्नाइटकारपोरेशनलिमि.	30-जुलाई-12
74	राजस्थान	सूरतगढ़ में 2x660मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी,स्टे.-V	1320	स्रीगंगानगर	राजस्थानराज्यविद्युतउत्पादननिगमलिमि.	23-मई-12
75	राजस्थान	छाबरा में 2x660मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी,स्टे.-II	1320	बारन	मैसर्सराजस्थानराज्यविद्युतउत्पादननिगमलि मि.	23-मई-12
76	पश्चिमबंगाल	रघुनाथपुर में 2x500मेगावाट +20%स्टे.-IIरघुनाथपुर टीपीपी	1000	पुरूलिया	मैसर्सडीवीसी	23-मई-12
77	असम	असम पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड की 70 मेगावाट लाकवा एबजी विद्युत परियोजना (एलआरपीपी)	700	शिवनगर	असमपावरजेनरेशनकारपोरेशनलिमि.	14-अक्टू.-13
		कुल	103525			

****

अनुबंध-1(ग) (हाइड्रो)

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

****

उन जल विद्युत स्कीमों के ब्यौरे जिनमें पर्यावरण एवं /अथवा वन स्वीकृतियां पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्षों के दौरान प्रदान की गई है

क्रम सं.	परियोजना	क्षेत्र	राज्य	आई सी(मेगावाट)		सीईए की सहमति	पर्यावरण स्वीकृति	वन स्वीकृति
1	विष्णुगाढ़ पिपलाकोटि	केन्द्र	उत्तरप्रदेश.	4x111	444	21.09.06	22.08.07	28.05.13.
2	कोटलीभेल चरण-1ए	केन्द्र	उत्तर प्रदेश.	3X65	195	03.10.06	09.05.07	चरण-1 एफसी 13.10.11 को दी गई चरण-2 अभी मिलनी है
3	लोकटक डाउनस्टीम	केन्द्र	मणिपुर	2x33	66	15.11.06/	16.01.13	चरण-1 एफसी 03.03.11को दी गई चरण-2 अभी मिलनी है
4	अलकनंदा	निजी	उत्तरप्रदेश.	3x100	300	08.8.08	12.03.08	09.11.12
5	डिमवी लोअर	निजी	आंध्र प्रदेश	5x342+1x40	1750	20.11.09	12.02.10	03.05.13
6	डिब्बबिन	निजी	आंध्र प्रदेश	2x60	120	04.12.09	23.07.12	चरण-1 एफसी 07.02.12 को दी गई चरण-2 अभी मिलनी है
7	तीस्ता चरण-4	केन्द्र	सिक्किम	4x130	520	13.05.10	Awaited	चरण -1 26.02.13 स्वीकृत
8	कुटहेर	निजी	हिमाचल प्रदेश	3x80	240	31.8.10	05.07.11	19.02.13
9	बगलिहार-2	राज्य	जम्मू एवं कश्मीर	3x150	450	29.12.10	23.07.13	लागू नहीं
10	पनान	निजी	सिक्किम	4x75	300	07.03.11	02.01.07	06.10.10
11	नफरा	निजी	आंध्र प्रदेश	2x60	120	11.02.11	17.01.11	जून,12
12	नयामाजंग छू	निजी	आंध्र प्रदेश	6x130	780	24.03.11	19.04.12	चरण-1 एफसी 09.04.12 को दी गई चरण-2 अभी मिलनी है
13	तवांग चरण-1	केन्द्र	आंध्र प्रदेश	3x200	600	10.10.11	10.06.11	प्रतीक्षित
14	तवांग चरण-2	केन्द्र	आंध्र प्रदेश	4x200	800	22.09.11	10.06.11	प्रतीक्षित
15	इंद्रासागर(पोलेवराम)	राज्य	आंध्र प्रदेश	12x80	960	21.02.12	25.10.05@	28.07.10
16	बाजोली होली	निजी	हिमाचल प्रदेश	3x60	180	30.12.11	24.01.11	26.10.12
17	टाटो-2	निजी	आंध्र प्रदेश	4x175	700	22.5.12	27.6.11	प्रतीक्षित
18	सोंगटोंग करछम/	राज्य	हिमाचल प्रदेश	3x150	450	16.8.12	19.5.11	22.3.11
19	रेटल	निजी	जम्मू एवं कश्मीर	(4x205+1x30)	850	19.12.12	12.12.12	27.04.12
20	गोंगरी	निजी	आंध्र प्रदेश	2x72	144	04.02.13	21.03.13	07.09.12
21	मियार	निजी	हिमाचल प्रदेश	3x40	120	07.02.13	30.07.12	चरण-1 एफसी 27.07.12 को दी गई चरण-2 अभी मिलनी है
	कुल				**9384**			

@ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में मामला लंबित

****

अनुबंध-II(क) (हाइड्रो)

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या-132 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

****

विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं की लागत वृद्धि के ब्यौरे(25 मेगावाट से ऊपर)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/क्षमता/एजेंसी/राज्य	अतिरिक्त लगा समय	अतिरिक्त लागत (रू. करोड़ में)
केन्द्रीय क्षेत्र			
जम्मू एंड कश्मीर			
1	यूरी-II (4x60 मेगावाट) एनएचपीसीजम्मू एंड कश्मीर	52 महीने	356.21
2	किशनगंगा (3x110 मेगावाट) एनएचपीसीजम्मू एंड कश्मीर	32 महीने	1403.37
हिमाचल प्रदेश			
3	परबाती-II (4x200 मेगावाट) एनएचपीसीएच.पी	90 महीने	1446.11
4	परबाती-III (4x130 मेगावाट) एनएचपीसीएच.पी	52 महीने	165.90
5	रामपुर (6x68.67 मेगावाट) एसजेवीएनएलएच.पी	38 महीने	716.61
6	कोल डैम (4x200 मेगावाट) एनटीपीसी एच.पी	71 महीने	1831.76
उत्तराखंड			
7	तपोवन विष्णुगढ़ (4x130 मेगावाट) एनटीपीसी , उत्तराखंड	48 महीने	867.82
8	टिहरी पीएसएस (4x250 मेगावाट) टीएचडीसी, उत्तराखंड	92 महीने	1321.26
पश्चिम बंगाल			
9	तीस्ता लो डैम – IV (4x40 मेगावाट) एनएचपीसीपश्चिम बंगाल	78 महीने	440..62
10	सुबानसिरी लोअर (8x250 मेगावाट) एनएचपीसी आंध्र प्रदेश/असम	90 महीने	4381.67
11	कमैंग (4x150 मेगावाट) नीपकोअरुणाचल प्रदेश	87 महीने	2643.90
12	पारे (2x55 मेगावाट) नीपकोअरुणाचल आंध्र प्रदेश	31 महीने	543.93
मिजोरम			
13	तुईरियल (2x30 मेगावाट) नीपकोमिजोरम	128 महीने	544.91
राज्य क्षेत्र			
हिमाचल प्रदेश			
14	यूएचएल -III(3x33.33 मेगावाट) बीवीपीसीएल(एचपीएसईबी)	108 महीने	509.28
15	सावरा कुड्डु (3x37 मेगावाट) एचपीपीसीएल,	63 महीने	623.37
आंध्र प्रदेश			
16	लोअर जुराला (6x40 मेगावाट) एपीजीईएनसीओ	48 महीने	566.49
17	पुलिचिनताला (4x30 मेगावाट) एपीजीईएनसीओ	60 महीने	16.00
18	नागार्जुन सागर टेल पूल डैम (2x25 मेगावाट) एपीजीईएनसीओ	72 महीने	494.04

क्रम सं.	परियोजना का नाम/क्षमता/एजेंसी/राज्य	अतिरिक्त लगा समय	अतिरिक्त लागत (रू. करोड़ में)
केरल			
19	थोट्टीयार (1x30+1x10) मेगावाट केएसईबी	36 महीने	6.56
निजी क्षेत्र			
उत्तराखंड			
20	श्रीनगर (4x82.5 मेगावाट) अलकनंदा हाइड्रो पावर का. लि.	108 महीने	369.88
मध्य प्रदेश			
21	महेश्वर (10x40 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	168 महीने	1190.73

****

अनुबंध-II(ख)

दिनांक 05.12.2013 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

****

चालू होने की समय अनुसूची से पिछड़ रही विभिन्न निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की लागत वृद्धि के ब्यौरे

राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	प्रमुख उपस्कर आपूर्तिकर्ता	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की प्रत्याशित अनुसूची	विलंब (माह)	मूल लागत (रु. करोड)	नवीनतम लागत (रु.करोड़)	लागत आधिक्य रु. करोड़
	केन्द्रीय क्षेत्र										
झारखंड	बोकारो टीपीएस"क" वि.	डीवीसी	भेल	यू-1	500	दिसं-11	मार्च-15	39	2313	3552.18	1239.18
तमिलनाडु	नेवली टीपीएस-II वि.	एनएलसी	भेल	यू-2	250	जून-09	मार्च-14	57	2030.78 (2 छदत्दद्व)	3027.59 (2 छदत्दद्व)	996.81
तमिलनाडु	टूटीकोरिन जेवी टीपीपी	एनएलसी	भेल	यू-1	500	मार्च-12	मार्च-14	24	4909.54	6540.93	1631.39
			भेल	यू-2	500	अग.-12	जून-14	22			
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-I	डीवीसी	चाइनीज	यू-1	600	फर.-11	मार्च-14	37	4122	6745	2623
			चाइनीज	यू-2	600	मई-11	जुला.-14	38			
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र				**2950**						
	राज्य क्षेत्र										
आंध्रप्रदेश	दामोदरम संजीवा टीपीपी	एपीपीडीएल	गैस-भेल	यू-1	800	जुला.-12	मार्च-14	20	8432	8654	222
				यू-2	800	जन.-13	अक्टू-14	21			
आंध्रप्रदेश	काकातिया टीपीपी वि.	एपीजीईएनसीओ	भेल	यू-1	600	जुला.-12	जुला.-14	24	2968.64	3019	50.36
आंध्रप्रदेश	रायलसीमा चरण-III	एपीजीईएनसीओ		यू-6	600	जुला-14	दिसं.-15	17	3028.86	3525	496.14
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	भेल	जीटी	70	सितं-11	जून-14	33	411	693.73	282.73
				एसटी	30	जन.-12	सितं.-14	32			
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	सीएसपी जीसीएल	भेल	यू-1	500	मई-12	फर.-14	21	4735	6318	1583
				यू-2	500	जुला.-12	जुला.-14	24			
गुजरात	पीपाव सीसीपीपी	जीएसई सीएल	भेल	ब्लाक-1	351	सितं-10	जन.-14	40	2354.29	3029	674.71
गुजरात	सिक्का टीपीपी वि.	जीएसई सीएल	भेल	यू-3	250	अक्टू.-13	अप्रैल-14	6	2004	2715	711
				यू-4	250	जन.-14	जुला.-14	6			

महाराष्ट्र	चन्द्रपुर टीपीएस	एमएसपी जीसीएल	भेल	यू-8	500	जून-12	मार्च-14	21	5500	6497.29	997.29
				यू-9	500	सितं-12	जन.-15	28			
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीपी वि.	एमएसपी जीसीएल	भेल	यू-8	250	जन-12	फर.-14	25	1375	1859.24	484.24
मध्यप्रदेश	मालवा टीपीपी (श्री सिंगाजी टीपीपी)	एमपीजीई एनसीओ	भेल	यू-2	600	अक्टू-12	मार्च-14	17	4053	6750	2697
मध्यप्रदेश	सतपुड़ा टीपीपी वि.	एमपीपी जीसीएल	भेल	यू-10	250	फर.-12	मार्च-13	13	2350	3265	915
				यू-11	250	अप्रैल-12	दिसं-13	20			
राजस्थान	छाबरा टीपीपी वि.	आरआरवी यूएनएल	भेल	यू-4	250	जुला.-11	मार्च-14	32	2200	2990	790
राजस्थान	कालीसिन्ध टीपीएस	आरआरवी यूएनएल	चाइनीज	यू-1	600	अग-11	दिसं.-13	28	4600	7723	3123
				यू-2	600	मार्च-12	मार्च-14	24			
	कुल राज्य क्षेत्र				**8551**						
	निजी क्षेत्र										
आंध्रप्रदेश	थमिनापट्टनम टीपीपी-।।	मीनाक्षा एनजी लि.	चाइनीज	यू-3	350	मई-12	मार्च-15	34	3120	3791	671
				यू-4	350	अग-12	दिसं.-15	40			
छत्तीसगढ़	अवंथा भंडार टीपीएस, यू-1	कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लि.	भेल	यू-1	600	जुला.-12	दिसं-13	17	2872	3850	978
छत्तीसगढ़	बारादराह टीपीपी (डीबी पावर टीपीपी)	डी.बी. पावर कंपनी लि.	भेल	यू-1	600	मार्च-12	दिस-13	9	6533	6640	107
				यू-2	600	जुला.-13	मार्च-14	8			
छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	मैसर्स एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ) लि.	चाइनीज	यू-1	300	अग-13	दिस.-14	16	5058	6890	1832
				यू-2	300	नवं-13	मार्च-15	16			
				यू-3	300	फर.-14	।				
				यू-4	300	मई-14	।				
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीएस-।।	एलएपी प्रा. लि.	चाइनीज	यू-3	660	जन-13	मई-15	26	6886	7700	814
				यू-4	660	मार्च-13	अग-15	29			
छत्तीसगढ़	सिंगतराई टीपीपी	एथना छत्तीसगढ पारव लि.	चाइनीज	यू-1	600	जून-14	मार्च-15	9	4650	6200	1550
				यू-2	600	सितं.-14	अग-15	11			
छत्तीसग ढ़	स्वास्तिक टीपीपी	मैसर्स एसीबी	गैस-भेल	यू-1	25	जून-12	मार्च-14	21	136	142	6
छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी	आरकेएम पावर जेन प्रा.लि.	चाइनीज	यू-1	360	मई-12	जुला.-14	26	6653.61	8881.13	2227.52
				यू-2	360	नवं-12	जन.-15	26			
				यू-3	360	फर.-12	अप्रैल-15	26			
				यू-4	360	जुला.-13	जुला.-15	24			
महाराष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि.	चाइनीज	यू-1	300	मई-12	मार्च-14	22	2850	3479	629
महाराष्ट्र	तिरोरा टीपीपी	अडानी पावर	चाइनीज	यू-2	660	जुला.12	जन.-14	18	8993	9635	642

	चरण -II	लि.		यू-3	660	अक्टू-12	मार्च-14	17			
ओडिशा	कमलंगा टीपीपी	जीएमआर	चाइनीज	यू-3	350	फर.-12	दिस-13	22	4540	6500	1960
राजस्थान	कवाई टीपीपी	अडानी पावर लि.	चाइनीज	यू-2	660	मार्च-13	दिस-13	9	7020	7996	976
तमिलनाडु	मेलमारूथुर टीपीपी	कोस्टल एनर्जेन	चाइनीज	यू-1	600	फर-122	मार्च-14	25	4800	5158	358
				यू-2	600	मार्च-12	जून-14	27			
	कुल निजी क्षेत्र				**11515**						
	कुल योग				**23016.0**						

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-175
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

175. श्री असादूद्दीन ओवेसीः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें सुधारों की सिफारिश करने हेतु कोई पैनल बनाया है और क्या उक्त पैनल ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें भी प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का जल–विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने तथा पर्यावरणगत मानकों में ढील देने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में जल–विद्युत के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त पैनल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) सरकार ने उक्त सिफारिशों पर क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क): विद्युत मंत्रालय ने क्षमता में वृद्धि करने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए किसी पैनल का गठन नहीं किया है। तथापि, विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों पर समय-समय पर चर्चा करने और विचार-विमर्श करने और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों का सुझाव देने के लिए विद्युत राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग): वर्तमान में, इस मंत्रालय द्वारा जल विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमति प्रदान करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। पर्यावरणगत मानकों में ढील देने के संबंध में, मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय(एमओईएफ) से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियाँ शीघ्र देने का अनुरोध कर रहा है।

(घ) और (ङ): प्रश्न नहीं उठता।

******

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-178
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

एन॰टी॰पी॰सी॰ द्वारा विद्युत–उत्पादन

†178. **श्री के॰ सुगुमारः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड(एनटीपीसी) ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले पांचमहीनों के दौरान विद्युत–मांग के अभाव में16 मिलियन यूनिट विद्युत का कम उत्पादन कियाथा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन॰टी॰पी॰सी॰ उक्त कारण केमद्देनजर अपनी अनेक परियोजनाओं काकार्यान्वयन मंद गति से करने पर विचार कर रहाहै; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) और (ख): जी हाँ। एनटीपीसी को लाभार्थियों द्वारा दी गई कम समयावधि के कारण अप्रैल से अगस्त, 2013 की अवधि के दौरान कम उत्पादन(16.402 बिलियन यूनिट) करना पड़ा था। क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** पर हैं।

(ग) और (घ): जी नहीं। एनटीपीसी अपनी परियोजनाओं का कार्यान्वयन मंद गति से नहीं कर रहा है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या-178 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध I

*****

कम समयावधि (अप्रैल-अगस्त, 2013) के कारण अवसर की हानि(संस्थापित क्षमता के अनुसार)

स्टेशन	**मिलियन यूनिट**
सिंगरौली	149
रिहंद	533
ऊंचाहार	362
टांडा	14
दादरी(कोल)	858
बदरपुर	565
मौदा	211
कोरबा	454
विंध्याचल	827
सिपत	1527
रामगुंदम	217
सिम्हाद्री	223
फरक्का	958
कहलगोन	1405
तालचर कनिहा	295
एनटीपीसी(कोल)	8596
अंता	591
औरैया	1420
दादरी(गैस)	1425
फरीदाबाद	606
कवास	1409
गंधार	1422
आरजीसीसीपीपी	933
एनटीपीसी गैस	7805
एनटीपीसी योग	16402

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-190
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत परिवारों को बिजली

190. श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डीः
श्री हेमानंद बिसवालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार अगले पांचवर्षों के दौरान देश में सभी परिवारों एवंगांवों/बस्तियों को 24 घंटे एवं सस्ती बिजलीउपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथाइस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयारकी गयी है;

(ग) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरणयोजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत लगाए गएट्रांसफार्मरों के अक्सर जल जाने की खबरें आयीहैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौराक्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे जलेट्रांसफार्मरों के कब तक बदले जाने की संभावनाहै; और

(ङ) इस मुद्दे के समाधान के लिए क्याउपचारात्मक कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युत अवसंचरना के सृजन द्वारा ग्रामीण घरों को बिजली की पहुँच प्रदान करने और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को बिजली के निःशुल्क सिंगल पावर कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लक्ष्य से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई), एक महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया था । इस स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युत वितरण बैकवॉन (आरईडीबी) और ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वीईआई) की स्थापना करने के लिए पूँजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत के 90% की व्यवस्था की है और बिजली की वहनयोग्य पहुँच उपलब्ध करवाने के लिए बीपीएल घरों को बिजली के निःशुल्क सिंगल प्वाइंट कनैक्शन जारी करने

की भी व्यवस्था की गई है । तथापि, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति का उत्तरदायित्व वितरण कंपनियों/राज्य सरकार के विद्युत विभागों का है ।

भारत सरकार ने निम्नलिखित के लिए 12वीं और 13वीं योजना में आरजीजीवीवाई को जारी रखने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है **:**–

i) 10वीं और 11वीं योजना में मंजूर परियोजनाओं के स्पिलओवर कार्यों को पूरा करना ।

ii)100 से अधिक की जनसंख्या वाले शेष जनगणना गॉवों और आवासों को शामिल करना ।

iii) शेष पात्र बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनैक्शन उपलब्ध करवाना ।

(ग) से (ङ) : जी हाँ, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संस्थापित कुल ट्रांसफार्मरों के जलने की सूचना प्राप्त हुई है । ट्रांसफार्मरों के जलने के कुछ कारण निम्नलिखित है :-

i) गैर-प्राधिकृत कनैक्शनों/गैर-कानूनी रूप से कॉटा डालने के कारण ओवरलोडिंग

ii) स्कीम के अन्तर्गत घरों को दिए गए कनेक्शनों में अनुमोदित भार की तुलना में सम्बद्ध भार अधिक होना।

iii) अतिरिक्त भार अथवा खराबी के मामले में आग लगने की घटना से बचने के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों में उपर्युक्त सुरक्षा प्रणाली है । जब इन सुरक्षाओं का अतिक्रमण किया जाता है तो अतिरिक्त भार अथवा खराबी की स्थिति में वितरण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं ।

अवसंरचना के डिस्कॉम/विद्युत विभागों को सौपे जाने से पूर्व, जले हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत/बदलाव कार्यान्वयन एजेंसी का उत्तरदायित्व होता है । सौपे जाने के पश्चात्, इसका उत्तरदायित्व डिस्काम/विद्युत विभागों को स्थानांतरित हो जाता है जिनसे इसे उनके उचित मानदण्ड एवं प्रक्रियाएं अपनाकर इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की आशा की जाती है ।

ट्रांसफार्मर के जलने की घटनाओं को काफी हद तक कम करने के लिए 12वीं योजना को परियोजनाओं में बीपीएल कनैक्शन के लिए 250 वाट और एपीएल कनैक्शन के लिए 500 वाट पर विचार करके भार के वास्तविक मूल्यांकन पर विचार किया गया है । इसके अलावा, राज्यों से वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर 12वीं योजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का अनुरोध किया गया है ताकि भार के सही अनुमान के लिए परिवारों की सही संख्या का पता लगाया जा सके । 12वीं योजना के अंतर्गत, 63 और 100 केवीए के बड़े वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी) को भी औचित्य के साथ वास्तविक क्षेत्रीय माँग के आधार पर, यदि राज्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तो अनुमति दी जा सकती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-195

जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

विनियमित प्रशुल्क प्रणाली

†195. श्री कपिल मुनि करवारियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों के लिए प्रशुल्कआधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग के माध्यम सेबिजली खरीदना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवंइसके क्या कारण हैं तथा विद्युत क्षेत्र में विभिन्नसाझेदारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र ऋणदाताओं ने सरकारसे दीर्घावधि विद्युत खरीद समझौतों के माध्यम सेविद्युत खरीद हेतु वर्तमान मानदंडों के विकल्प केरूप में विनियमित प्रशुल्क प्रणाली की ओर वापसलौटने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवंतो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) और (ख) :जी हाँ, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (3) के अंतर्गत वर्ष 2006 में विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क नीति राज्यों को दिनांक 06.01.2011 के पश्चात कुछ क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट छूटों की शर्त पर प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत प्रापण को अधिदेशित करती है ।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुपालनस्वरूप, केन्द्र सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के प्रापण के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है । केन्द्र सरकार ने वर्ष 2006 में प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के द्वारा मामला-2 परियोजनाओं (जिसका विनिर्दिष्ट स्थल और क्षेत्र हो) और वर्ष 2009 में और समय-समय पर संशोधित मामला-1 परियोजनाओं से (जहाँ स्थल, प्रौद्योगिकी या ईंधन विनिर्दिष्ट नहीं है) विद्युत के दीर्घावधिक प्रापण के लिए अहर्ता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू), प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) और विद्युत क्रय करार (पीपीए) वाले मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) को भी जारी किया है ।

जहां तक ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों से विद्युत का प्रापण का प्रश्न है, प्रशुल्क नीति की धारा 6.4 यह विनिर्धारित करती है कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जहां तक संभव हो, वितरण लाइसेंसियों द्वारा समान अपारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा की प्रस्तावित आपूर्तियों के भीतर, अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से इस प्रकार का प्रापण किया जाएगा। जल विद्युत परियोजनाओं को दिसम्बर, 2015 तक प्रतिस्पर्धी बोली से छूट दे दी गई है।

विद्युत उद्योग के विभिन्न खंडों में प्रतिस्पर्धा लाना विद्युत अधिनियम, 2003 का एक प्रमुख बिंदु है । प्रतिस्पर्धा से पूँजीगत लागतों में कमी और प्रचालनों की कुशलता से भी उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ दिलाने की आशा की जाती है । यह प्रतिस्पर्धात्मक कीमत के निर्धारण में भी सहायता प्रदान करेगी । इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रशुल्क दरों पर विद्युत में निजी क्षेत्र के वृहतर निवेश को लाना है । सीईआरसी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 14 परियोजनाओं में से यह देखा गया है कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली रुट के अंतर्गत प्रशुल्क के मामले में 12 परियोजनाएं लागत सहित पहुँच से कम हैं ।

(ग) से (ङ):उपलब्ध सूचना के अनुसार विद्युत क्षेत्र के किसी भी ऋणदाता ने सरकार से दीर्घावधि विद्युत क्रय करारों के माध्यम से विद्युत प्रापण के लिए वर्तमान मानदंडों के विकल्प के रूप में विनियमित प्रशुल्क प्रणाली में वापस जाने के लिए अनुरोध नहीं किया है ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-199
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

†199. **श्री वैजयंत पांडाः**
श्री प्रहलाद जोशीः
श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष औरचालू वर्ष के दौरान देश में गैस आधारित विद्युतसंयंत्र और उनकी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता एवंपूरी क्षमता से उन्हें प्रचालित करने के लिए गैसकी आवश्यकता की तुलना में उनके द्वारावास्तविक उत्पादित विद्युत का संयंत्र–वार एवंराज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येकसंयंत्रों को आवंटित गैस एवं उनके लिए किए गएविद्युत खरीद समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत उत्पादन हेतु स्वदेशी प्राकृतिकगैस तथा दीर्घावधि संविदा पुनर्गैसीकृत तरलीकृतप्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा उपलब्ध है एवंगैस की कमी के कारण देश में अप्रयुक्त गैसआधारित विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(घ) गैस आधारित विद्युत संयंत्र की अप्रयुक्तक्षमता के उपयोग एवं उनसे विद्युत उत्पादन बढ़ानेके लिए सरकार द्वारा क्या कादम उठाए जा रहे हैं;और

(ङ) देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्र कीस्थापना के प्रस्ताव का राज्य–वार ब्यौरा क्या हैतथा गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को अधिक गैसआवंटित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदमउठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) : पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की संस्थापित उत्पादन क्षमता और उत्पादित विद्युत की तुलना में उनके 90% पीएलएफ पर पूर्ण भार पर प्रचालित करने के लिए गैस की आवश्यकता के संयंत्र तथा राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I**पर संलग्न हैं।

(ख) और (ग) :इन संयंत्रों में से प्रत्येक को आबंटित गैस (आरएलएनजी सहित) के ब्यौरे **अनुबंध-II**पर संलग्न हैं। बाधित गैस विद्युत संयंत्रों की सूची **अनुबंध-III**पर संलग्न हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में यथा उपलब्ध दीर्घावधि/अल्पावधि पीपीए वाली गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-IV**पर संलग्न है।

(घ) :सरकार द्वारा गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की निष्क्रिय क्षमता के उपयोग और उनसे विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

सरकार ने विद्युत कम्पनियों को उनके किसी एक संयंत्र के लिए आवंटित प्राकृतिक गैस को अन्य संयंत्र को आवंटित करने की अनुमति देने हेतु ईंधन के उपयोग के मानदण्डों को शिथिल किया है ताकि इष्टतम प्रचालन प्राप्त किए जा सकें। विद्युत संयंत्रों के बीच क्लबिंग/डाइवर्जन, शुरू किए गए इन्हीं उपायों में से एक है। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा 1/1/2013 को एक ही कम्पनी के विद्युत संयंत्रों के बीच गैस की क्लबिंग/डाइवर्जन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इन दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त, एमओपीएनजी ने संयंत्रों के लचीले ढंग से प्रचालन को सुगम बनाने के लिए विद्युत संयंत्रों के बीच गैस की रोस्टरिंग के लिए दिशा-निर्देशों का प्रारूप भी परिचालित किया है, ताकि पीएलएफ और इस प्रकार से उत्पादन में सुधार किया जा सके। इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने के लिए, सरकार विद्युत संयंत्रों को गैस की अतिरिक्त उपलब्धता हेतु हर संभव प्रयत्न कर रही है और देश में गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और देश में आरएलएनजी के आयात को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

(ङ) : गैस की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश में किसी नए गैस आधारित विद्युत संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय 2015-16 तक किसी नए गैस विद्युत संयंत्र की योजना नहीं बनाने हेतु एक निर्देश (एडवाइजरी) जारी कर चुका है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 199 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

****

वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान संयंत्र-वार उत्पादन (अप्रैल-अक्टूबर, 2013

क्रम सं.	विद्युत केंद्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	90% पीएलएफ पर गैस आवश्यकता (एमएमएससीएमडी)	उत्पादन (मिलियन यूनिट)			
				2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल-अक्टूबर, 2013)
हरियाणा							
1	फरीदाबाद सीसीपीपी (एनटीपीसी)	431.59	2.07	3155.40	3067.72	2402.85	1066.39
राजस्थान							
2	अनता सीसीपीपा (एनटीपीसी)	419.33	2.01	2487.90	2694.60	2176.45	1087.64
3	धौलपुर सीसीपीपी	330.00	1.58	1994.87	2253.77	1162.69	554.32
4	रामगढ़ (आरआरयूवीएनएल, जैसलमेर)	113.80	2.32	301.13	536.79	497.89	385.16
5	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें.	110.00	0.53	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00
	कुल	973.13	6.44	4783.90	5485.16	3837.03	2027.12
दिल्ली							
6	आई.पी. सीसीपीपी	270.00	1.30	1368.32	1243.72	1308.21	662.15
7	प्रगति सीसीजीटी-III	1250.00	5.99	6.09	331.38	1437.14	642.44
8	प्रगति सीसीपीपी	330.40	1.59	2335.78	2560.05	2508.35	1360.91
9	रिठाला सीसीपीपी	108.00	0.52	88.80	241.83	138.82	0.22
	कुल	1958.40	9.40	3798.99	4376.98	5392.52	2665.72
उत्तर प्रदेश							
10	औरया सीसीपीपी (एनटीपीसी)	663.36	3.18	4369.34	3878.62	2774.82	1144.75
11	दादरी सीसीपीपी (एनटीपीसी)	829.78	3.98	5399.88	5376.07	4417.58	2025.70
	कुल	1493.14	7.16	9769.22	9254.69	7192.40	3170.45
गुजरात							
12	एनटीपीसी गांधार (झानोर)	657.39	3.16	4058.06	3684.07	3478.60	1799.96
13	कवास सीसीपीपी (एनटीपीसी)	656.20	3.15	3882.14	3638.40	2900.99	857.77
14	धुवरन सीसीपीपी ((जीएसईसीएल)	218.62	1.05	891.38	1008.70	849.80	117.69
15	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.10	0.75	1022.81	907.62	701.27	179.81
16	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351.00	1.68	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00
17	उतरन सीसीपीपी (जेएसईसीएल)	518.00	2.49	2947.22	2987.98	954.77	8.31
18	वाटवा सीसीपीपी	100.00	0.48	670.53	459.26	125.19	0.00
19	बरौदा सीसीपीपी	160.00	0.77	843.55	668.74	377.17	269.33
20	एस्सार सीसीपीपी	300.00	2.47	1443.70	135.89	481.47	0.00
21	पेगुथान सीसीपीपी	655.00	3.14	3667.45	3067.07	1405.80	183.67
22	सुजैन सीसीपीपी	1147.50	5.51	8216.99	7592.16	4119.87	1372.71
23	पीपावाव सीसीपीपी	351.00	1.68	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.50	1.83	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2.16
	कुल	**5653.31**	**28.16**	**27643.83**	**24149.89**	**15394.93**	**4791.41**
महाराष्ट्र							
25	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967.00	10.66	11876.85	11619.08	522.18	921.05
26	उरान सीसीपीपी (महाजैंको)	672.00	3.23	5587.39	4668.78	3741.07	2224.56
27	ट्रॉम्बे सीसीपीपी	180.00	0.86	1568.79	1567.90	1596.58	725.00
	कुल	2819.00	14.75	19033.03	17855.76	5859.83	3870.61
आंध्र प्रदेश							

28	गौतमी सीसीपीपी	464.00	2.23	3331.07	2898.67	997.36	0.00
29	जीएमआर इनर्जी लिमिटेड, काकीनाडा	220.00	1.06	960.49	1200.03	393.39	0.00
30	गोदावरी सीसीपीपी	208.00	1.00	1464.36	1282.46	1032.98	553.18
31	जेगुरुपड्डू सीसीपीपी	455.40	2.19	3094.23	2833.49	1689.04	542.52
32	कोनासीमा सीसीपीपी	445.00	2.14	2350.49	2266.22	914.92	3.08
33	कोंडाप्पली एक्सटें. सीसीपीपी	366.00	1.76	2043.68	2203.54	661.51	0.00
34	कोंडाप्पली सीसीपीपी	350.00	1.68	2133.77	2030.94	1768.38	876.90
35	पेड्डा पुरम सीसीपीपी	220.00	1.06	1427.37	1318.82	713.20	269.01
36	वीमागिरी सीसीपीपी	370.00	1.78	2815.56	2066.81	960.77	177.51
37	विजेश्वरन सीसीपीपी	272.00	1.31	लागू नहीं	लागू नहीं	1168.17	632.37
38	श्रीबा इंडस्ट्रिज	30.00	0.14	64.46	52.56	लागू नहीं	0.00
39	आर वी के इनर्जी	28.00	0.13	43.19	39.25	लागू नहीं	0.00
40	सिल्क रोड सुगर	35.00	0.17	27.67	12.18	लागू नहीं	0.00
41	एल वी एस विद्युत	55.00	0.26	37.18	12.12	लागू नहीं	0.00
	कुल	3518.40	16.91	19793.52	18217.09	10299.72	3054.57
तमिलनाडु							
42	कोवीकलपल (तिरुमकोट्टाई)	107.00	0.51	663.76	705.75	726.74	315.90
43	कुटलम (टांगेडो)	100.00	0.48	172.58	413.29	55.84	361.98
44	वलूथूर सीसीपीपी (रामानंद)	186.20	0.89	547.67	1114.56	937.31	672.58
45	करूपपुर सीसीपीपी	119.80	0.58	820.38	797.10	881.96	413.00
46	पी. नालूर सीसीपीपी	330.50	1.59	2494.06	1526.19	1817.92	665.06
47	वेलंटरवी सीसीपीपी	52.80	0.25	370.17	377.51	380.42	180.13
	कुल	896.30	4.30	5068.62	4934.40	4800.19	2608.65
पुडुचेरी							
48	करायकाल सीसीपीपी	32.50	0.16	195.45	251.46	230.76	64.78
असम							
49	कटहलगुरी सीसीपीपी (नीपको)	291.00	1.40	1833.87	1765.17	1680.33	1011.50
50	लाकवा जीटी (एएसईबी, मैबेल्ला)	157.20	1.10	766.25	771.99	886.13	489.69
51	नामरूप सीसीजीटी + एसटी (एपीजीसीएल)	119.00	0.57	529.81	565.73	533.21	299.90
52	डीएलएफ असम जीटी	24.50	0.12	67.42	0.00	0.00	43.93
	कुल	591.70	3.19	3197.35	3102.89	3099.67	1845.02
त्रिपुरा							
53	अगरतला जीटी	84.00	0.58	644.10	666.12	632.73	379.61
54	बरमपुरा जीटी	58.50	0.41	225.82	357.62	347.37	142.73
55	रोखिआ जीटी	90.00	0.63	443.50	419.10	416.47	241.89
56	त्रिपुरा सीसीपीपी	363.30	1.74	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	595.80	3.36	1313.42	1442.84	1396.57	764.22

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 199 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

****

गैस विद्युत संयंत्रों को आबंटित गैस का ब्यौरा

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम	आबंटित गैस (एमएमएससीएमडी)				
				एपीएम (फर्म)	नॉन एपीएम/ अन्य	आरएलएनजी एलटी	केजीडी-6 (फर्म)	कुल
केंद्रीय क्षेत्र								
1	एनटीपीसी, फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	हरियाणा	1.95	0.49	0.2	0.35	2.99
2	एनटीपीसी, अनता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान	1.71	0.43	0.5	0.24	2.88
3	एनटीपीसी, औरया सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश	2.43	0.6	1	0.3	4.33
4	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश	2.93	0.72	0.3	0.86	4.81
	उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	2344.06		9.02	2.24	2	1.75	15.01
5	एनटीपीसी, गांधार (झानोर)	657.39	गुजरात	0.6	0	0	0.63	1.23
6	एनटीपीसी, कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात	2.19	0.35	0	2.08	4.62
7	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र	0	0.9	0	7.6	8.5
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	3280.59		2.79	1.25	0	10.31	14.35
8	कटहलगुरी (नीपको)	291	असम	1	0.4	0	0	1.4
9	अगरतला जीटी (आर.सी. नगर)	84	त्रिपुरा	0.75	0	0	0	0.75
10	त्रिपुरा सीसीपीपी	363.3	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
	उप-जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	738.3		1.75	0.4	0	0	2.15
	कुल (केंद्रीय क्षेत्र)	6362.95		13.56	3.89	2	12.06	31.51
राज्य क्षेत्र								
11	आई.पी. सीसीपीपी	270	दिल्ली	0.84	0.36	0.60	0.00	1.80
12	प्रगति सीसीजीटी-III	1250	दिल्ली	0.00	1.56	0.00	0.93	2.49
13	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली	1.75	0.30	0.20	0.00	2.25
14	धौलपुर सीसीपीपी	330	राजस्थान	0.00	1.50	0.00	0.10	1.60
15	धौलपुर सीसीपीपी	113.8	राजस्थान	0.75	0.70	0.00	0.00	1.45
16	धौलपुर सीसीपीपी	110	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	2404.2		3.34	4.42	0.80	1.03	9.59
17	पीपावाव सीसीपीपी	351	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	218.62	गुजरात	0.20	0.05	0.25	0.44	0.94
19	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.1	गुजरात	0.00	0.80	0.00	0.01	0.81
20	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	उतरन सीसीपीपी (जेएसईसीएल)	518	गुजरात	0.28	0.00	0.24	1.45	1.97
22	उरान सीसीपीपी (महाजैंको)	672	महाराष्ट्र	3.50	0.00	0.00	1.40	4.90
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	2266.72		3.98	0.85	0.49	3.30	8.62
23	करायकाल सीसीपीपी (पीपीसीएल)	32.5	पुडुचेरी	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
24	कोवीकलपल (तिरुमकोट्टाई)	107	तमिलनाडु	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
25	कुटलम (टांगेडो)	100	तमिलनाडु	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
26	वलूथूर सीसीपीपी (रामानंद)	186.2	तमिलनाडु	0.45	0.24	0.00	0.00	0.69
	उप-जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	425.7		1.53	0.24	0.00	0.00	1.77
27	लाकवा जीटी (एएसईबी, मैबेल्ला)	157.2	असम	0.40	0.55	0.00	0.00	0.95
28	नामरूप सीसीजीटी + एसटी (एपीजीसीएल)	119	असम	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66

29	बरमपुरा जीटी (टीएसईसीएल)	58.5	त्रिपुरा	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
30	रोखिआ जीटी (टीएसईसीएल)	90	त्रिपुरा	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
	उप-जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	424.7		1.96	0.55	0.00	0.00	2.51
	कुल (राज्य क्षेत्र)	5521.32		10.81	6.06	1.29	4.33	22.49
निजी क्षेत्र								
31	वाटवा सीसीपीपी (टोरेंट)	100	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37
32	ट्रॉम्बे सीसीपीपी (टीपीसी)	180	महाराष्ट्र	1.50	0.00	1.00	0.00	2.50
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	280		1.50	0.00	1.00	0.37	2.87
निजी आईपीपी क्षेत्र								
33	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
	उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	108		0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
34	बरौदा सीसीपीपी (जीआईपीसीएल)	160	गुजरात	0.28	0.08	0.30	0.09	0.75
35	एस्सार सीसीपीपी**	300	गुजरात	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17
36	पेगुथान सीसीपीपी (जीटीईसी)	655	गुजरात	0.00	0.13	0.40	1.30	1.83
37	सुजैन सीसीपीपी (टोरेंट)	1147.5	गुजरात	0.00	0.90	0.39	3.31	4.60
38	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	2645		0.28	1.11	1.09	5.87	8.35
39	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश	1.96	0.00	0.00	1.86	3.82
40	जीएमआर - काकीनाडा (तानीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88
41	गोदावरी सीसीपीपी (स्पेक्ट्रम)	208	आंध्र प्रदेश	0.90	0.53	0.00	0.00	1.43
42	जेगुरूपड्डू सीसीपीपी (जीवीके)	455.4	आंध्र प्रदेश	2.00	0.44	0.00	1.09	3.53
43	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश	1.60	0.00	0.00	1.78	3.38
44	कोंडाप्पली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46
45	कोंडाप्पली सीसीपीपी	350	आंध्र प्रदेश	1.46	0.50	0.00	0.36	2.32
46	पेड्डा पुरम (बीएसईएस)	220	आंध्र प्रदेश	0.64	0.20	0.00	0.25	1.09
47	वीमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश	1.64	0.00	0.00	1.48	3.12
48	विजेश्वरन सीसीपीपी	272	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	श्रीबा इंडस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12
50	आर वी के इनर्जी	28	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
51	सिल्क रोड सुगर	35	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
52	एल वी एस विद्युत	55	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
53	करूपपुर सीसीपीपी (एबीएएन)	119.8	तमिलनाडु	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
54	पी. नालूर सीसीपीपी (पीपीएन)	330.5	तमिलनाडु	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
55	वेलंटरवी सीसीपीपी	52.8	तमिलनाडु	0.30	0.08	0.00	0.00	0.38
	उप-जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	4021.5		11.00	3.25	0.00	9.71	23.96
56	डीएलएफ असम जीटी	24.5	असम	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
	उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	24.5		0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
	कुल (आईपीपी एस)	6799		11.28	4.46	1.09	15.98	32.81
	कुल निजी	7079		12.78	4.46	2.09	16.35	35.68
	सकल योग	18963.27		37.15	14.41	5.38	32.74	89.69

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 199 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

****

बाधित गैस संयंत्र

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम
	केंद्रीय क्षेत्र		
1	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)*	1967	महाराष्ट्र
	उप-जोड़ (केंद्रीय क्षेत्र)	1967	
2	केजी डी-6 पर धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	112	गुजरात
3	केजी डी-6 पर उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	374	गुजरात
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	486	
	कुल (राज्य क्षेत्र)	486	
4	वाटवा सीसीपीपी (टोरेंट)	100	गुजरात
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	100	
5	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)*	108	दिल्ली
	उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	108	
6	सुजैन सीसीपीपी (टोरेंट)	1147.5	गुजरात
7	पेगुथान सीसीपीपी (जीटीईसी)*	655	गुजरात
8	एस्सार सीसीपीपी	300	गुजरात
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	2102.5	
9	जीएमआर - काकीनाडा (तानीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश
10	कोंडाप्पली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश
11	श्रीबा इंडस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश
12	आर वी के इनर्जी	28	आंध्र प्रदेश
13	सिल्क रोड सुगर	35	आंध्र प्रदेश
14	एल वी एस विद्युत	55	आंध्र प्रदेश
	उप-जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	734	
	केजी डी-6 में मुख्य रूप से	5497.5	
बिना गैस आबंटन के प्रारंभ हुए नए संयंत्र			
1	प्रगति सीसीजीटी-III	500	दिल्ली
	उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	500	
2	पीपावाव सीसीपीपी	351	गुजरात
3	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	गुजरात
	उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	702	
	कुल (राज्य क्षेत्र)	1202	
4	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात
	उप-जोड़ (बिना आबंटन के प्रारंभ हुए नए संयंत्र)	1584.5	
	मुख्य ग्रिड से जुड़े कुल बाधित संयंत्र	7082.0	

उपर्युक्त संयंत्रों के अतिरिक्त निम्नलिखित चार संयंत्र या तो बाधित हैं अथवा अत्यंत निम्न पीएलएफ पर प्रचालित हैं:-

1	गौतमी सीसीपीपी	464.00	आंध्र प्रदेश
2	जीएमआर इनर्जी लिमिटेड - काकीनाडा	220.00	आंध्र प्रदेश
3	कोनासीमा सीसीपीपी	445.00	आंध्र प्रदेश
4	जेगुरूपड्डू सीसीपीपी*	455.40	आंध्र प्रदेश

* अत्यंत निम्न पीएलएफ पर प्रचालित

****

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 05.12.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 199 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

****

गैस आधारित परियोजनाओं के पीपीए का ब्यौरा

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य में स्थित	पीपीए की स्थिति
	केंद्रीय क्षेत्र			
1	फरीदाबाद सीसीजीटी	430	हरियाणा	हरियाणा के साथ दिनांक 22.12.95 को किए गए करार प्रारंभ में दिनांक 21.12.2010 तक वैध थे। तथापि, पीपीए तब तक जारी रहेगा जब तक हरियाणा पीपीए के नवीकरण, विस्तार या परिवर्तन होने तक की प्रारंभिक अवधि के पश्चात विद्युत आहरित करेगा।
2	अंता सीसीजीटी	413	राजस्थान	प्रारंभ में पीपीए दिनांक 31.01.94 से यूपी, उत्तराखण्ड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, चण्डीगढ़, रेलवे के साथ और दिल्ली के लिए 31.03.2012, रेलवे के लिए 04.03.2003 तथा अन्य के लिए 31.10.97 तक वैध थी। तथापि, पीपीए जारी रहेगा यदि लाभार्थी पीपीए के नवीकरण, विस्तार या परिवर्तन होने तक की प्रारंभिक अवधि के पश्चात विद्युत आहरित करता है।
3	औरैया सीसीजीटी	652	उत्तर प्रदेश	प्रारंभ में पीपीए दिनांक 31.01.94 से यूपी, उत्तराखण्ड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, चण्डीगढ़, रेलवे के साथ और दिल्ली के लिए 31.03.2012, रेलवे के लिए 04.03.2003 तथा अन्य के लिए 31.10.97 तक वैध थी। तथापि, पीपीए जारी रहेगा यदि लाभार्थी पीपीए के नवीकरण, विस्तार या परिवर्तन होने तक की प्रारंभिक अवधि के पश्चात विद्युत आहरित करता है।
4	दादरी सीसीजीटी	817	उत्तर प्रदेश	प्रारंभ में पीपीए दिनांक 31.01.94 से यूपी, उत्तराखण्ड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, चण्डीगढ़, रेलवे के साथ और दिल्ली के लिए 31.03.2012, रेलवे के लिए 04.03.2003 तथा अन्य के लिए 31.10.97 तक वैध थी। तथापि, पीपीए जारी रहेगा यदि लाभार्थी पीपीए के नवीकरण, विस्तार या परिवर्तन होने तक की प्रारंभिक अवधि के पश्चात विद्युत आहरित करता है।
5	कवास सीसीजीटी	644	गुजरात	01.11.93 से जीयूवीएनएल, एमपीपीटीसीएल, एमएसईडीसीएल, दमन एवं दीव, दादरा नागर हवेली, सीएसईबी, एमपीएकेवीएनएल के साथ पीपीए प्रारंभ में 31.10.97 तक वैध था। तथापि, पीपीए जारी रहेगा यदि लाभार्थी पीपीए के नवीकरण, विस्तार या परिवर्तन होने तक की प्रारंभिक अवधि के पश्चात विद्युत आहरित करता है।
6	गांधार सीसीजीटी	648	गुजरात	01.11.95 से जीयूवीएनएल, एमपीपीटीसीएल, एमएसईडीसीएल, दमन एवं दीव, दादरा नागर हवेली, सीएसईबी, एमपीएकेवीएनएल के साथ पीपीए प्रारंभ में 31.10.97 तक वैध था। तथापि, पीपीए जारी रहेगा यदि लाभार्थी पीपीए के नवीकरण, विस्तार या परिवर्तन होने तक की प्रारंभिक अवधि के पश्चात विद्युत आहरित करता है।
7	आरजीपीपीएल (दाभोल) सीसीजीटी (1300 मेगावाट वाणिज्यिक प्रचालनाधीन)	1300	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल के साथ अप्रैल, 2007 में पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।

उप-जोड़ (केंद्रीय क्षेत्र)		4904		
राज्य क्षेत्र				
8	उतरन सीसीजीटी	144	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
9	हजीरा सीसीपीपी -(जीएसईजी)	156.1	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
10	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	106.62	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
11	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल) एक्सटें.	112	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
12	उरन सीसीजीटी	912	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
13	प्रगति सीसीजीटी	330.4	दिल्ली	दिल्ली डिस्कॉम के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
14	आई.पी. सीसीजीटी	282	दिल्ली	दिल्ली डिस्कॉम के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
15	दबोलपुर जीटी	330	राजस्थान	राजस्थान के डिस्कॉमों के साथ 30.04.2005 को पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
उप-जोड़ (राज्य क्षेत्र)		2373.12		
निजी क्षेत्र				
16	वाटवा सीसीजीटी (एईसी)	100	गुजरात	अहमदाबाद में टोरेंट पावर लिमिटेड के लाइसेंस क्षेत्र को आपूर्ति की गई। एमईआरसी प्रशुल्क आदेश के रूप में बेस्ट, मुम्बई में टाटा पावर डिस्ट्रिब्यूशन बिजनेस
17	ट्रॉम्बे सीसीजीटी	180	महाराष्ट्र	एमईआरसी प्रशुल्क आदेश के रूप में मुम्बई में बेस्ट मुम्बई, टाटा पावर डिस्ट्रिब्यूशन बिजनेस, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर, मुम्बई के साथ पीपीए
18	जीपीईसी पेगुथान सीसीजीटी	655	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ 3 फरवरी, 1994 को पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
19	जीआईपीसीएल स्टे.-II सीसीजीटी	160	गुजरात	पीयू एवं राज्य प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षर
20	एस्सार सीसीजीटी	300	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किया गया।
21	टोरेंट सुजैन	1128	गुजरात	मैसर्स टोरेंट ने सूचित किया है कि क्षमता का लगभग 75% अहमदाबाद और सूरत वितरण को आपूर्ति की जाएगी। अहमदाबाद और सूरत पीटीसी 100 मेगावाट ने टीपीएल-वितरण एईसी एवं एसईसी को 835 मेगावाट के साथ पीपीए, 15 मेगावाट के लिए दाहेज एसईजेड के लिए टीईएल-दाहेज
22	गौतमी सीसीजीटी	464	आंध्र प्रदेश	एपीएसईबी के साथ दिनांक 31.03.97 को पीपीए पर हस्ताक्षर। दिनांक 18.06.2003 को संशोधन।
23	जेगुरूपड्डू सीसीपीपी (जीवीके)	235.4	आंध्र प्रदेश	एपी ट्रांस्को के साथ दिनांक 19.04.1996 को संशोधन एवं पुनः वर्णित पीपीए पर हस्ताक्षर
24	जेगुरूपड्डू सीसीपीपी (जीवीके) एक्सटें.	220	आंध्र प्रदेश	एपी ट्रांस्को के साथ दिनांक 18.06.2003 को पीपीए पर हस्ताक्षर।
25	कोनासीमा सीसीजीटी	445	आंध्र प्रदेश	एपी ट्रांस्को/एपी डिस्कॉमों के साथ 26.05.2003 को पीपीए पर हस्ताक्षर और दिनांक 21.11.2003, 12.01.2005 तथा 06.11.2010 को संशोधित करार।
26	कोंडाप्पली सीसीजीटी	350.00	आंध्र प्रदेश	वर्ष 2015 तक एपी ट्रांस्को के साथ पीपीए
27	समलकोट सीसीपीपी/पेड्डापुरम	220	आंध्र प्रदेश	सीओडी अर्थात 24.12.2002 से 15 वर्षों के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर।
28	वीमागिरी	370	आंध्र प्रदेश	एपी ट्रांस्को सहित एपी डिस्कॉमों के साथ 15 वर्षों के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर
29	गोदावरी सीसीजीटी (स्पेक्ट्रम)	208	आंध्र प्रदेश	एपी ट्रांस्को के साथ 18.04.2016 को समाप्त होने वाले के साथ पीपीए
उप-जोड़ (निजी क्षेत्र)		5035.4		

कुल (केंद्रीय+राज्य+निजी)		12312.52		
30	लैंको कोंडापल्ली एक्सटें.	366	आंध्र प्रदेश	एपी डिस्कॉमों के साथ लघु अवधि पीपीए
31	तानीर बावी, जीईएल काकीनाडा	220	आंध्र प्रदेश	एपी डिस्कॉमों के साथ लघु अवधि पीपीए
32	रिठाला	108	दिल्ली	एनडीपीएल (स्वयं की आवश्यकता के लिए) के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर
33	बवाना *	1500	दिल्ली	नई दिल्ली पावर लिमिटेड के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर, बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, हरियाणा पावर परचेज सेंटर 10%, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन 10%, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ हस्ताक्षर प्रस्तावित।
34	उतरन सीसीपीपी	374	गुजरात	जीयूवीएनएल के साथ दिनांक 25.02.2008 को पीपीए पर हस्ताक्षर।
कुल		2568		
35क	# विजेश्वरन गैस टर्बो पावर स्टेशन स्टे.- I एवं II	272	आंध्र प्रदेश	त्रिपक्षीय करार के रूप में पूर्ववर्ती एपीएसईबी, शेयर धारकों और एपीजीपीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन।
35 ख	# विजेश्वरन गैस टर्बो पावर स्टेशन स्टे.- III **	700	आंध्र प्रदेश	एपी ट्रास्को के साथ पीपीए।
	उप-जोड़	972		
	सकल योग	15852.52		

* 1250 मेगावाट विद्यमान है और अभी तक 750 मेगावाट के लिए गैस उपलब्ध है।

** 272 मेगावाट विद्यमान है और 700 मेगावाट विस्तार निष्पादन के अधीन है।

समूह कैप्टिव संयंत्र।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-209
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

209. श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री गजानन ध॰ बाबरः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री आनंदराव अडसुलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत राज्य–वार/संघ राज्यक्षेत्र–वार किए गए विद्युतीकरण का ब्यौरा क्या है और सरकार ग्रामीण विकास में आरजीजीवीवाई का महत्ती योगदान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) राज्यों के विद्युतीकरण के लिए सरकार के पास वित्तीय सहायता हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक ऐसे प्रस्तावों पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

क) भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युत अवसंरचना तैयार करने और घरों के विद्युतीकरण के लिए अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई) कार्यक्रम की शुरूआत की थी। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 10वीं और 11वीं योजना के दौरान 648 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं, जिनमें देश में 1,12,225 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों(यूईवी) का विद्युतीकरण, 3,83,372 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों(पीईवी) का गहन विद्युतीकरण और 2.76 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना शामिल है। संचयी रूप से, दिनाँक 15.11.2013 की स्थिति के अनुसार, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 1,07,752 यूई गांवों, 3,03,406 पीई गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है और 2.13 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। ये राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** पर हैं। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत तैयार की गई यह अवसंरचना देश में सम्पूर्ण ग्रामीण विकास में सहायक होगी।

ख) आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड(आरईसी) में 8 राज्यों से 150 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** पर हैं।

ग) आरईसी 12वीं योजना में आरजीजीवीवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन प्रस्तावों की जांच कर रहा है।

घ) और ङ) आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं थीं। ये शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई/ उचित उपाय करने के लिए आरईसी द्वारा तत्काल संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रेषित कर दी गई थीं।

****

अनुबंध-I

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों, आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों और बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन की राज्य-वार कवरेज एवं उपलब्धि

15.11.2013 के अनुसार

क्रम सं.	राज्य	गैर विद्युतीकृत गांव		आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव		बीपीएल कनेक्शन	
		कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	0	0	26628	26628	2766614	2766614
2	अरूणाचल प्रदेश	2081	1855	1526	1134	53337	44901
3	असम	8241	8069	12907	12502	1231826	1037967
4	बिहार	24295	22917	18639	5373	5455978	2446882
5	छत्तीसगढ़	1736	1143	16099	13102	1220281	1006215
6	गुजरात	0	0	16350	16280	847833	837227
7	हरियाणा	0	0	6593	4676	250409	199279
8	हिमाचल प्रदेश	95	83	12734	10534	17215	16375
9	जम्मू व कश्मीर	234	192	3247	3018	79991	64255
10	झारखंड	18747	18117	6099	5758	1473490	1307204
11	कर्नाटक	62	62	25349	24740	926165	868921
12	केरल	0	0	1272	473	117504	105945
13	मध्य प्रदेश	886	627	49327	26593	1841539	1044259
14	महाराष्ट्र	0	0	41921	36763	1218140	1206011
15	मणिपुर	882	616	1378	585	107369	29658
16	मेघालय	1866	1705	3239	2484	109697	92325
17	मिजोरम	137	109	570	346	30917	18849
18	नागालैंड	105	91	1169	1078	72861	42658
19	ओडिशा	14728	14397	29329	25742	3047917	2841443
20	पंजाब	0	0	6580	6030	102176	100404
21	राजस्थान	4237	4155	34449	33422	1439422	1155983
22	सिक्किम	25	25	413	383	12108	9832
23	तमिलनाडु	0	0	10402	9673	525571	501202
24	त्रिपुरा	148	143	658	623	117163	113951
25	उत्तर प्रदेश	28006	27750	22973	2982	1988574	1044933
26	उत्तराखंड	1512	1511	9263	9221	269560	269560
27	पश्चिम बंगाल	4202	4185	24258	23263	2287812	2184517
	कुल	112225	107752	383372	303406	27611469	21357370

अनुबंध -II

आरईसी में लंबित आरजीजीवीवाई प्रस्तावों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1	असम	2
2	बिहार	27
3	मध्य प्रदेश	12
4	ओडिशा	18
5	राजस्थान	1
6	त्रिपुरा	8
7	उत्तर प्रदेश	75
8	पश्चिम बंगाल	7
	कुल	**150**

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
****
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-218
जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2013 को दिया जाना है ।

पीजीसीआईएल द्वारा पोस्को की संभलाई

†**218. श्री अवतार सिंह भडानाः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडियालिमिटेड (पीजीसीआईएल) पावर ऑपरेशनसिस्टम कार्पोरेशन (पोस्को) के मामलों केप्रबंधन की देखरेख में बुरी तरह असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पोस्को कोपीजीसीआईएल से अलग कर इसे स्वतंत्रविनियामक बनाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रचालनात्मक, विकासात्मक औरबाजारोन्मुखी कार्यों को प्रभावी ढंग से नहीं करनेके लिए पीजीसीआईएल प्रबंधन के विरुद्ध क्यादण्डात्मक कार्यवाही की गई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्रप्रभार)
(श्रीज्योतिरादित्यमा.सिंधिया)

(क) से (ङ) : पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी सहायक कंपनी, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (पोसाको) के मामलों को प्रभावपूर्ण तरीके से संचालित किया है ।

पीजीसीआईएल विश्व की एक सबसे बड़ी पारेषण यूटिलिटी है और यह अपने पारेषण नेटवर्क में निरन्तर 99% से अधिक उपलब्धता को बनाए रखती है । कंपनी ने ग्रिड प्रचालनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक भार प्रेषण और संप्रेषण सुविधाओं सहित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) का भी आधुनिकीकरण किया है तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) की स्थापना की है । प्रचालनात्मक, विकासात्मक और बाजारोन्मुखी कार्यों के प्रबंधन के संबंध में, पीजीसीआईएल के दिशा-निर्देशों के अधीन पोसाको ने इसे प्रभावशाली तरीके से प्रशासित किया है ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व और विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में पोसाको की स्थापना भारत सरकार के विचाराधीन है ।

*****